



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092026-275942
CG-DL-E-03092026-275942

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 705]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 2026/भाद्र 11, 1948

No. 705]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2026/BHADRA 11, 1948

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 773(अ).— संसद द्वारा वर्ष 2023 में दूरसंचार अधिनियम पारित किया गया। यह एक अग्रणी विधायी पहल है, जिसके द्वारा पुराने और अप्रचलित भारतीय तार अधिनियम, 1885 का स्थान लिया गया है।

दूरसंचार अधिनियम एक व्यापक विधायी प्रावधान है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं को समाहित किया गया है। इसकी विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन संबंधित सेवा की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग विभागों द्वारा किया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय टेलीविजन, रेडियो तथा संबंधित सेवाओं से संबंधित प्रावधानों का प्रशासन करता है।

प्रारूप दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो और संबद्ध सेवाएं) नियम, 2026 को पुराने भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के संबंध में जारी विभिन्न दिशानिर्देशों को नए अधिनियमित दूरसंचार अधिनियम, 2023 के ढांचे के अंतर्गत समेकित करने के लिए तैयार किया गया है।

निम्नलिखित दिशानिर्देशों को इन नियमों में समेकित किया गया है:

- (क) भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों की अपलिकिंग और डाउनलिकिंग के लिए नीति दिशानिर्देश, दिनांक 9 नवंबर, 2022;

- (ख) भारत में डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने संबंधी दिशानिर्देश, दिनांक 15 मार्च, 2001, यथासमय संशोधित;
- (ग) भारत में हेडएंड-इन-द-स्काई (एचआईटीएस) प्रसारण सेवाएं प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश, दिनांक 26 नवंबर, 2009;
- (घ) निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार संबंधी नीति दिशानिर्देश (चरण-III), दिनांक 25 जुलाई, 2011, जिन्हें 10 सितंबर, 2024 तक यथासंशोधित किया गया है;
- (ङ) भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने संबंधी संशोधित नीति दिशानिर्देश, दिनांक 13 फरवरी, 2024; तथा
- (च) इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवाओं के प्रावधान संबंधी दिशानिर्देश, दिनांक 8 सितंबर, 2008

इन नियमों के साथ, उद्योग के लिए अब एक एकीकृत और महत्वपूर्ण रूप से सरलीकृत नियम-पुस्तिका उपलब्ध होगी। ये नियम मौजूदा व्यवस्था को सरल और सुसंगत बनाने के साथ-साथ टेलीविजन और रेडियो प्रसारण क्षेत्र में कारोबार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए हैं।

प्रारूप नियमों को सार्वजनिक परामर्श के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर 12.06.2026 को प्रकाशित किया गया था। हितधारकों से प्राप्त सुझावों और विचारों की जांच की गई है तथा जहां उचित समझा गया है, उन्हें समुचित रूप से समाहित किया गया है।

इन प्रारूप नियमों को एतद्वारा आगे के सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित किया जाता है। यदि कोई इनपुट, टिप्पणी अथवा सुझाव हो, तो उसे या तो अवर सचिव (बीपी एंड एल), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा संख्या 23076, तीसरी मंजिल, कर्तव्य भवन-II, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है अथवा, अधिमानतः, ई-मेल द्वारा usbpl-moib@gov.in पर 02.10.2026 तक भेजा जा सकता है।

अध्याय-1 : प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन नियमों को दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो और संबद्ध सेवाएं) नियम, 2026 कहा जाएगा।
- (2) ये नियम उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

2. परिभाषाएं

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहां परिभाषित पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें नीचे निर्दिष्ट किए गए हैं, तथा जो पद यहां परिभाषित नहीं हैं, किंतु दूरसंचार अधिनियम, 2023, कंपनी अधिनियम, 2013, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 अथवा सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो संबंधित अधिनियमों में उन्हें निर्दिष्ट किए गए हैं—

- (1) “अधिनियम” से अभिप्राय दूरसंचार अधिनियम, 2023 है;
- (2) “आवेदक” से अभिप्राय वह व्यक्ति है जो नियम 11 के अधीन प्राधिकरण हेतु आवेदन करता है;
- (3) “प्रसारण उपकरण” से अभिप्राय किसी भी ऐसे दूरसंचार उपकरण से है जिसका उपयोग प्रसारण के लिए किया जाता है;
- (4) “प्रसारण नेटवर्क” से अभिप्राय किसी भी ऐसे दूरसंचार नेटवर्क से है जिसका उपयोग प्रसारण के लिए किया जाता है;

- (5) “प्रसारण सेवा” से अभिप्राय ऐसी दूरसंचार सेवा से है जिसमें कार्यक्रमों का प्रसारण, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, उपयोगकर्ताओं द्वारा एक साथ प्राप्त किए जाने हेतु किया जाता है, तथा इसके सभी व्याकरणिक रूपों और समान प्रकृति की अभिव्यक्तियों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
- (6) “सामुदायिक रेडियो सेवा” से अभिप्राय निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में स्थित स्थानीय समुदाय की सेवा करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हुए लीनियर (रेखिक) तरीके से ऑडियो संदेशों के प्रसारण से है, तथा जिसकी प्रसारण सीमा निर्दिष्ट भू-निर्देशांकों से लगभग दस किलोमीटर हो;
- (7) “डीएसएनजी (DSNG)” से अभिप्राय डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग से है, जिसमें ऐसे प्रसारण उपकरण सम्मिलित हैं जो किसी प्राधिकृत इकाई को टेलीविजन स्टूडियो के बाहर स्थित स्थानों से सैटेलाइट ट्रांसमिशन माध्यम का उपयोग करके प्रसारण हेतु संदेश एकत्र करने में सक्षम बनाते हैं;
- (8) “इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा” से अभिप्राय बंद एवं प्रबंधित नेटवर्क पर इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाली टेलीविजन चैनल वितरण सेवा से है;
- (9) “इंटरनेट सेवाएं” का वही अर्थ होगा जो दूरसंचार (प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए प्राधिकरण) नियम, 2026 में उसे निर्दिष्ट किया गया है;
- (10) “एलएलपी (LLP)” से अभिप्राय सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी है;
- (11) “टेलीविजन हेतु समाचार एजेंसी” से अभिप्राय ऐसी एजेंसी से है जो समाचार एकत्र करती है तथा उसे या तो समाचार चैनल संचालित करने वाली किसी प्राधिकृत इकाई को अथवा टेलीविजन हेतु समाचार एजेंसी के रूप में कार्यरत किसी अन्य प्राधिकृत इकाई को उपलब्ध कराती है;
- (12) “समाचार चैनल” से अभिप्राय ऐसे टेलीविजन चैनल से है जो मुख्यतः समाचार एवं समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों का प्रसारण करता है;
- (13) “गैर-समाचार चैनल” से अभिप्राय समाचार चैनल से भिन्न टेलीविजन चैनल है;
- (14) “प्लेटफॉर्म सेवाएं” से अभिप्राय उन कार्यक्रमों से है जिनका प्रसारण टेलीविजन चैनल वितरण सेवाओं के लिए प्राधिकृत इकाई द्वारा अथवा इंटरनेट प्रोटोकॉल सेवा प्रदाता अपने स्वयं के सबस्क्राइबर्स के लिए किया जाता है और इसमें प्रसार भारती, संसद, प्राधिकृत टेलीविजन चैनलों अथवा भारत के राज्यक्षेत्र में वितरण हेतु प्राधिकृत नहीं किए गए विदेशी टेलीविजन चैनलों द्वारा उपलब्ध कराए गए चैनल सम्मिलित नहीं होंगे;
- (15) “प्रसार भारती” से अभिप्राय प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) से है, जिसकी स्थापना प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के अधीन की गई है;
- (16) “प्राइवेट रेडियो सेवा” से अभिप्राय रेडियो तरंगों का उपयोग करते हुए लीनियर तरीके से ऑडियो संदेशों के प्रसारण से है, जो व्यावसायिक गतिविधि के रूप में प्रदान किया जाता है;
- (17) “कार्यक्रम” से अभिप्राय ऐसे किसी संदेश से है जिसमें प्रसारण हेतु अभिप्रेत श्रव्य, दृश्य अथवा श्रव्य-दृश्य सामग्री सम्मिलित हो, तथा इसमें फिल्म, फीचर, नाटक, वृत्तचित्र, विज्ञापन और धारावाहिकों का प्रदर्शन, साथ ही कोई भी श्रव्य, दृश्य अथवा श्रव्य-दृश्य की लाइव प्रस्तुति, प्रदर्शन अथवा पूर्व-अभिलेखित संदेश सम्मिलित है;
- (18) “सैटेलाइट ट्रांसमिशन मीडियम” से अभिप्राय सैटेलाइट नेटवर्कों का उपयोग करने वाले ट्रांसमिशन मीडियम से है;

(19) “सेवा क्षेत्र” से अभिप्राय प्रत्येक प्राधिकरण के उस भौगोलिक क्षेत्र से है जो नियम 12 के उपनियम (9) के अधीन विनिर्दिष्ट है;

(20) “टेलीपोर्ट” से अभिप्राय ऐसे सैटेलाइट भू-केंद्र से है, जिससे अनेक टेलीविजन चैनलों का सैटेलाइट से अपलिंक किया जा सकता है;

(21) “स्थलीय पारेषण माध्यम (टरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन मीडियम)” से अभिप्राय ऐसे ट्रांसमिशन मीडियम से है जो किसी टेलीविजन चैनल के लिए स्थलीय अवसंरचना का उपयोग करता है तथा जिसमें तारयुक्त अथवा बेतार अवसंरचना, इंटरनेट अथवा सैटेलाइट ट्रांसमिशन मीडियम के अतिरिक्त कोई अन्य प्रसारण उपकरण या प्रणाली सम्मिलित है; तथा

(22) “टेलीविजन चैनल” से अभिप्राय कार्यक्रम के रैखिक (लीनियर) प्रसारण से है।

स्पष्टीकरण : “रैखिक (लीनियर) तरीके से कार्यक्रम” से अभिप्राय ऐसे कार्यक्रम से है जिसका प्रसारण टेलीविजन चैनल हेतु प्राधिकृत इकाई द्वारा पूर्वनिर्धारित, समयबद्ध क्रम में किया जाता है और जिसका चयन दर्शक द्वारा नहीं किया जाता।

3. प्रयोज्यता

(1) ये नियम ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू होंगे जो अध्याय 2 में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार के प्राधिकरण को प्राप्त करने का इच्छुक है अथवा पहले से धारण किए हुए है।

(2) अध्याय 2, 3, 4, 5, 6 और 8 के उपबंध तथा अनुसूचियां, इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए किसी प्राधिकरण के निबंधन और शर्तों का गठन करेंगे।

(3) ये नियम अनुसूची-1 में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली टेलीविजन, रेडियो तथा संबद्ध सेवाओं पर लागू नहीं होंगे।

(4) इस नियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियम प्राधिकृत निकाय पर लागू होते रहेंगे।

4. डिजिटल कार्यान्वयन

केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 53 के अनुसरण में, इन नियमों के कार्यान्वयन हेतु एक या अधिक डिजिटल पोर्टलों को अधिसूचित कर सकेगी, जिनमें इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट संगत प्ररूपों, निदेशों तथा दिशानिर्देशों का प्रकाशन भी सम्मिलित होगा।

अध्याय-2 : प्राधिकरणों के प्रकार

5. टेलीविजन चैनल

(1) टेलीविजन चैनल में समाचार चैनल तथा गैर-समाचार चैनल सम्मिलित होंगे, जिनका प्रसारण सैटेलाइट ट्रांसमिशन मीडियम अथवा टरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन मीडियम द्वारा किया जाता है और जिन्हें आगे उपयोगकर्ताओं तक पुनः प्रसारण के लिए निम्नलिखित को उपलब्ध कराया जा सकता है—

(क) टेलीविजन चैनल वितरण सेवाओं हेतु किसी प्राधिकृत इकाई को;

(ख) किसी मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर को; अथवा

(ग) किसी इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा प्रदाता को।

(2) टेलीविजन चैनल के संचालन हेतु प्राधिकरण प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक कोई कंपनी अथवा एलएलपी होगा और उसे—

- (क) लागू विधि के अधीन विदेशी निवेश संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा;
- (ख) आवेदन किए जाने वाले वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता को पूरा करना होगा; तथा
- (ग) उपनियम (3) तथा सुरक्षा संबंधी शर्तों से संबंधित नियम 19 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(3) आवेदक—

- (क) जिस टेलीविजन चैनल के लिए प्राधिकरण प्राप्त किया जाना है, उसके नाम एवं लोगो के संबंध में व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन पंजीकृत व्यापार चिह्न का धारक होगा अथवा पंजीकृत व्यापार चिह्न स्वामी से विधिमान्य अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा; अथवा अपंजीकृत व्यापार चिह्न के मामले में उस व्यक्ति से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा जो संबंधित व्यापार चिह्न का किसी वर्ग में निरंतर कम-से-कम एक वर्ष से उपयोग कर रहा हो;
- (ख) उन टेलीविजन चैनलों के संबंध में, जिन्हें वह आगे उपयोगकर्ताओं तक पुनर्प्रसारण के लिए टेलीविजन चैनल वितरण सेवाओं के लिए प्राधिकृत इकाई या मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर अथवा इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा प्रदाता को उपलब्ध कराना चाहता है, विज्ञापन एवं सदस्यता राजस्व सहित विशिष्ट विपणन अथवा वितरण अधिकार रखेगा; तथा
- (ग) जहां टेलीविजन चैनल भारत के राज्यक्षेत्र से उद्भूत नहीं होता है, वहां मूल देश की लागू विधि का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

स्पष्टीकरण : उपनियम (3) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकरण की मांग करने के समय व्यापार चिह्न निर्बाध होना चाहिए, अर्थात् व्यापार चिह्न प्राधिकरण के समक्ष उस पर कोई आपत्ति, विरोध अथवा अस्वीकृति नहीं होनी चाहिए।

6. टेलीविजन चैनल वितरण सेवाएं

(1) टेलीविजन चैनल वितरण सेवा में डायरेक्ट-टू-होम सेवा, जैसा की उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट है, तथा हेड-एंड-इन-द-स्काई सेवा, जैसा की उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट है, सम्मिलित हैं।

(2) डायरेक्ट-टू-होम सेवा से अभिप्राय है—

(क) टेलीविजन चैनलों का पुनर्प्रसारण; अथवा

(ख) प्लेटफॉर्म सेवाओं का प्रसारण,

जो सैटेलाइट ट्रांसमिशन मीडियम का उपयोग करते हुए सीधे उपयोगकर्ताओं को प्रदान किया जाए तथा जो किसी अन्य प्राधिकृत इकाई के प्रसारण नेटवर्क अथवा किसी केबल टेलीविजन नेटवर्क से होकर न गुजरता हो।

(3) हेड-एंड-इन-द-स्काई सेवा से अभिप्राय है—

(क) सैटेलाइट ट्रांसमिशन मीडियम का उपयोग करते हुए टेलीविजन चैनलों के पुनर्प्रसारण अथवा प्लेटफॉर्म सेवाओं के प्रसारण को केबल ऑपरेटरों तक उपलब्ध कराना, ताकि वे आगे उपयोगकर्ताओं तक पुनर्प्रसारण कर सकें; अथवा

(ख) एक या अधिक मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों को निष्क्रिय अवसंरचना सुविधा का प्रावधान।

(4) टेलीविजन चैनल वितरण सेवा हेतु प्राधिकरण प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक एक कंपनी होगा और उसे—

- (क) लागू विधि के अधीन विदेशी निवेश संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा;
- (ख) आवेदन किए जाने वाले वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता को पूरा करना होगा; तथा
- (ग) यथाप्रयोज्य उपनियम (5), (6), (7), (8), (9) और (10) तथा सुरक्षा संबंधी शर्तों से संबंधित नियम 19 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(5) डायरेक्ट-टू-होम सेवाओं के मामले में, किसी टेलीविजन चैनल की प्राधिकृत इकाई, स्वयं अथवा किसी मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर के साथ मिलकर, डायरेक्ट-टू-होम सेवा की प्राधिकृत इकाई में बीस प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयरधारिता धारण नहीं करेगी।

(6) डायरेक्ट-टू-होम सेवाओं के मामले में, आवेदक स्वयं अथवा संयुक्त रूप से किसी टेलीविजन चैनल के लिए किसी प्राधिकृत इकाई या किसी मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर में बीस प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयरधारिता नहीं रखेगा।

(7) हेड-एंड-इन-द-स्काई सेवाओं के मामले में, किसी टेलीविजन चैनल के लिए प्राधिकृत इकाई, स्वयं अथवा किसी डायरेक्ट-टू-होम सेवा के लिए प्राधिकृत इकाई के साथ मिलकर, हेड-एंड-इन-द-स्काई सेवा की प्राधिकृत इकाई में बीस प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयरधारिता नहीं रखेगी।

(8) हेड-एंड-इन-द-स्काई सेवाओं के मामले में, आवेदक स्वयं अथवा संयुक्त रूप से किसी टेलीविजन चैनल की प्राधिकृत इकाई या किसी डायरेक्ट-टू-होम सेवा में बीस प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयरधारिता नहीं रखेगा।

(9) हेड-एंड-इन-द-स्काई सेवा की किसी प्राधिकृत इकाई में बीस प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयरधारिता रखने वाला कोई भी व्यक्ति, स्वयं अथवा संयुक्त रूप से, किसी अन्य टेलीविजन चैनल अथवा डायरेक्ट-टू-होम सेवा की प्राधिकृत इकाई में बीस प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयरधारिता नहीं रखेगा।

(10) किसी टेलीविजन चैनल अथवा डायरेक्ट-टू-होम सेवा के लिए प्राधिकृत इकाई में स्वयं अथवा संयुक्त रूप से बीस प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयरधारिता रखने वाला कोई भी व्यक्ति, हेड-एंड-इन-द-स्काई सेवा हेतु प्राधिकरण प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक में बीस प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयरधारिता नहीं रखेगा।

स्पष्टीकरण: (1) नियम 6 के उपनियम (7) और (8) के प्रयोजनों के लिए, किसी कंपनी की इक्विटी शेयरधारिता का निर्धारण करते समय उसकी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की शेयरधारिता को ध्यान में रखा जाएगा।

(2) नियम 6 के उपनियम (9) और (10) के उपबंध वित्तीय संस्थागत निवेशकों पर लागू नहीं होंगे।

7. टेलीपोर्ट

(1) टेलीपोर्ट हेतु प्राधिकरण प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक एक कंपनी अथवा सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) होगा तथा उसे—

- (क) लागू विधि के अधीन विदेशी निवेश संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा;
- (ख) आवेदन किए जाने वाले वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता को पूरा करना होगा; तथा
- (ग) सुरक्षा संबंधी शर्तों से संबंधित नियम 19 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

8. टेलीविजन हेतु समाचार एजेंसी

(1) टेलीविजन हेतु समाचार एजेंसी के लिए प्राधिकरण प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक ऐसी कंपनी अथवा एलएलपी होगा, जिसके पास पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जारी मान्यता हो, तथा उसे—

(क) लागू विधि के अधीन विदेशी निवेश संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा; तथा

(ख) सुरक्षा संबंधी शर्तों से संबंधित नियम 19 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

9. प्राइवेट रेडियो सेवा

(1) प्राइवेट रेडियो सेवा हेतु प्राधिकरण प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक एक कंपनी होगा तथा उसे—

(क) लागू विधि के अधीन विदेशी निवेश संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा;

(ख) आवेदन किए जाने वाले वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता को पूरा करना होगा;

(ग) उपनियम (3) तथा सुरक्षा संबंधी शर्तों से संबंधित नियम 19 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(2) प्राइवेट रेडियो सेवा हेतु प्राधिकरण प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक—

(क) ऐसी इकाई होगा जिसमें सबसे बड़े भारतीय अंशधारक द्वारा धारित इक्विटी, कंपनी अधिनियम की धारा 2(72) में परिभाषित अनुसूचित बैंक तथा लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित इक्विटी को छोड़कर, कुल इक्विटी का कम-से-कम इक्यावन प्रतिशत हो;

(ख) किसी न्यास, समिति, गैर-लाभकारी संगठन, धार्मिक संस्था अथवा राजनीतिक संगठन द्वारा नियंत्रित नहीं होगा अथवा किसी भी प्रकार से उनसे संबद्ध नहीं होगा;

(ग) विज्ञापन एजेंसी के रूप में कार्यरत इकाई नहीं होगा तथा न ही किसी विज्ञापन एजेंसी का सहयोगी अथवा विज्ञापन एजेंसी या उससे संबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होगा;

(घ) उसी सेवा क्षेत्र में प्राइवेट रेडियो सेवा हेतु प्राधिकरण रखने वाली किसी प्राधिकृत इकाई की सहायक कंपनी, धारक कंपनी अथवा संबद्ध इकाई नहीं होगा; तथा

(ङ) उसी सेवा क्षेत्र में प्राइवेट रेडियो सेवा हेतु किसी अन्य प्राधिकृत इकाई में लाभकारी हित रखने वाले व्यक्तियों के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: नियम 9 के उपनियम (2) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, “सबसे बड़ा भारतीय शेयरधारक” में निम्नलिखित में से कोई एक अथवा इनका संयोजन सम्मिलित होगा—

(1) व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में—

(क) वह व्यक्तिगत शेयरधारक;

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) के अर्थ में उसका संबंधी; अथवा

(ग) ऐसी कंपनी अथवा कंपनियों का समूह जिसमें वह व्यक्तिगत शेयरधारक अथवा उसका हिंदू अविभाजित परिवार प्रबंधन एवं नियंत्रणकारी हित रखता हो।

(2) भारतीय कंपनी के मामले में—

(क) भारतीय कंपनी; अथवा

(ख) समान प्रबंधन एवं स्वामित्व नियंत्रण के अधीन भारतीय कंपनियों का समूह।

टिप्पणी: इस स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए “भारतीय कंपनी” से अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जिसमें निवासी भारतीय अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में परिभाषित संबंधी अथवा हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तिगत रूप से अथवा संयुक्त रूप से, कम-से-कम इक्यावन प्रतिशत शेयर धारक हो। यदि उपर्युक्त इकाइयों का संयोजन हो, तो प्रत्येक पक्षकार ने आवेदक कंपनी के मामलों के प्रबंधन हेतु एक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी करार किया हो।

(3) किसी प्राधिकृत इकाई को किसी नगर में कुल चैनलों की संख्या के चालीस प्रतिशत से अधिक चैनल संचालित करने की अनुमति नहीं होगी, बशर्ते कि उस नगर में कम-से-कम तीन भिन्न प्राधिकृत इकाइयां विद्यमान हों।

स्पष्टीकरण: नियम 9 के उपनियम (3) के प्रयोजनों के लिए—

(1) यदि चालीस प्रतिशत की गणना से प्राप्त संख्या दशमलव में आती है, तो उसे निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित किया जाएगा;

(2) प्राधिकृत चैनलों की कुल संख्या की गणना के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित श्रेणियों की कंपनियों को संयुक्त रूप से गिना जाएगा—

(क) किसी आवेदक अथवा प्राधिकृत इकाई की सहायक कंपनी;

(ख) किसी आवेदक अथवा प्राधिकृत इकाई की धारक कंपनी;

(ग) ऐसी कंपनियां जिनका प्रबंधन आवेदक अथवा प्राधिकृत इकाई के समान हो; अथवा

(घ) आवेदक अथवा प्राधिकृत इकाई से संबंधित एक से अधिक परस्पर संबद्ध उपक्रम।

(4) केंद्रीय सरकार, अप्रतिदेय एकबारगी प्रवेश शुल्क निर्धारित करने के उद्देश्य से प्राइवेट रेडियो सेवा के लिए नीलामी हेतु आवेदन आमंत्रित करते हुए एक सूचना प्रकाशित करेगी तथा ऐसी सूचना प्रकाशित करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, आवृत्ति स्लॉट, आरक्षित मूल्य तथा बयाना राशि सहित नीलामी के निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट करेगी।

10. सामुदायिक रेडियो सेवा

(1) सामुदायिक रेडियो सेवा हेतु प्राधिकरण “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

(2) सामुदायिक रेडियो सेवा हेतु प्राधिकरण प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक निम्नलिखित में से कोई हो सकता है—

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनी;

(ख) परोपकारी उद्देश्यों के लिए गठित तथा समितियों से संबंधित लागू विधि अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत समिति;

(ग) न्यासों से संबंधित लागू विधि के अधीन पंजीकृत लोक धर्मार्थ न्यास;

(घ) लागू विधि के अधीन पंजीकृत कृषि विज्ञान केंद्र या स्वयं सहायता समूह अथवा कृषक उत्पादक संगठन;

(ङ) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त संस्था अथवा संसद या किसी राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन स्थापित संस्था।

स्पष्टीकरण: उपनियम (2) के अधीन आवेदक—

(1) लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित इकाई नहीं होगा, न ही मुख्यतः धार्मिक अथवा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए स्थापित एवं संचालित कोई इकाई होगा और न ही ऐसी किसी इकाई से संबद्ध होगा; तथा

(2) यदि वह उपनियम (2) के खंड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट इकाई है, तो उसके पास भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जारी विशिष्ट पहचान संख्या होगी।

(3) सामुदायिक रेडियो सेवा हेतु आवेदक को अतिरिक्त रूप से—

(क) लागू विधि के अधीन विदेशी निवेश संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा;

(ख) बहुपक्षीय सहायता एजेंसियों से प्राप्त विदेशी अंशदानों के संबंध में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा;

(ग) सुरक्षा संबंधी शर्तों से संबंधित नियम 19 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा; तथा

(घ) नियम 11 के अधीन आवेदन करने की तिथि से पूर्व कम-से-कम तीन वर्षों की अवधि तक उस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में सामुदायिक विकास संबंधी सेवाओं में संलग्न रहा होगा जिसके लिए प्राधिकरण का अनुरोध किया गया है।

(4) यदि कोई आवेदक एकाधिक सेवा क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो सेवा हेतु प्राधिकरण प्राप्त करना चाहता है, तो निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें लागू होंगी—

(क) प्रत्येक सेवा क्षेत्र के संबंध में केवल एक आवेदन किया जा सकेगा;

(ख) दूसरे अथवा उससे अधिक सेवा क्षेत्रों के संबंध में आवेदन तभी किया जा सकेगा जब कोई विद्यमान प्राधिकरण ऐसे आवेदन से पूर्व लगातार एक वर्ष की निरंतर अवधि तक परिचालन में रहा हो; तथा

(ग) कोई भी आवेदक सामुदायिक रेडियो सेवा प्रदान करने हेतु छह से अधिक प्राधिकरण धारण नहीं करेगा।

(5) सामुदायिक रेडियो सेवा के लिए अधिकतम एक सौ वाट प्रभावी विकिरित शक्ति वाला ट्रांसमीटर पर्याप्त होगा:

परंतु यह कि, जिन मामलों में स्थलाकृति संबंधी परिस्थितियों के कारण दस किलोमीटर की ट्रांसमिशन सीमा तक कवरेज प्रदान करने हेतु उक्त ट्रांसमिशन की शक्ति अपर्याप्त हो, वहां अधिकतम दो सौ पचास वाट प्रभावी विकिरित शक्ति वाले ट्रांसमीटर पर मामले-दर-मामला आधार पर विचार किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण: “प्रभावी विकिरित शक्ति” से अभिप्राय उस कुल रेडियो आवृत्ति शक्ति से है जो किसी एंटीना प्रणाली द्वारा उसकी अधिकतम दिशा में, एक थियोटेटिकल हाफ वेव डाइपोल एंटीना की तुलना में विकिरित की जाती है।

अध्याय-3: आवेदन तथा प्राधिकरण प्रदान करना।**11. प्राधिकरण प्राप्त करने हेतु आवेदन**

(1) आवेदक, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप एवं रीति में तथा दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ निम्नलिखित भी संलग्न होंगे—

(क) अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट आवेदन प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान;

(ख) आवेदक का विवरण, जिसमें उसका पंजीकृत पता तथा, उसकी शेयरधारिता संरचना यदि कोई हो, का विवरण; तथा

(ग) सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के प्रयोजन से उसके प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों अथवा शासी निकाय के सदस्यों, जैसी भी स्थिति हो, का विवरण।

(2) इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा प्रदान करने की इच्छुक कोई इकाई, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे प्ररूप एवं रीति में यह घोषणा प्रस्तुत करके ऐसी सेवा प्रदान कर सकती कि उसके पास निम्नलिखित में से कोई एक है—

(क) दूरसंचार (प्रमुख दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने हेतु प्राधिकरण) नियम, 2026 के अधीन इंटरनेट सेवा प्राधिकरण; अथवा

(ख) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अधीन मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर के रूप में पंजीकरण।

12. प्राधिकरण प्रदान किया जाना

(1) नियम 11 के उप नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन की जांच करने पर केंद्रीय सरकार आवेदक से ऐसी अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है, जिसकी वह मांग करे।

(2) यदि आवेदक उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित सूचना नब्बे दिनों की अवधि के भीतर उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो केंद्रीय सरकार, आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसे आवेदन को लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों सहित अस्वीकार कर सकती है।

(3) यदि आवेदन पूर्ण पाया जाता है, तो केंद्रीय सरकार—

(क) सुरक्षा तथा स्थल-संबंधी स्वीकृतियों के लिए ऐसे आवेदन को केंद्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों को अग्रेषित करेगी; तथा

(ख) यदि आवश्यक समझा जाए, तो लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर आवेदन में किए गए दावों की सत्यता का परीक्षण करने हेतु संबंधित परिसर अथवा स्थान का निरीक्षण करवा सकेगी।

(4) यदि आवेदन के मूल्यांकन तथा उपनियम (3) के अधीन प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर आवेदक प्राधिकरण प्रदान किए जाने हेतु पात्र पाया जाता है, तो केंद्रीय सरकार पोर्टल के माध्यम से ऐसे आवेदक को आशय-पत्र जारी करेगी, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख होगा—

(क) अनुसूची-3 के अनुसार देय प्रवेश शुल्क, प्राधिकरण शुल्क, कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी, प्रतिभूति निक्षेप तथा पंजीकरण शुल्क की राशि, जिसका भुगतान केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा; तथा

(ख) आशय-पत्र की वैधता अवधि, जो उसके जारी होने की तिथि से साठ दिनों से अधिक नहीं होगी, जिसके भीतर खंड (क) में उल्लिखित भुगतान किए जाएंगे।

(5) यदि आशय-पत्र में विनिर्दिष्ट भुगतान उसमें निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो आशय-पत्र स्वतः निरस्त हो जाएगा तथा प्राधिकरण हेतु आवेदन अस्वीकृत माना जाएगा।

(6) उपनियम (5) के अधीन प्रदान किए गए आशय-पत्र की आवश्यकताओं का अनुपालन किए जाने तथा उपनियम (3) के अधीन प्राप्त प्रासंगिक स्वीकृतियों के अधीन रहते हुए, नामोदीष्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदक को प्राधिकरण प्रदान किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे—

(क) विशिष्ट प्राधिकरण संख्या;

(ख) प्राधिकरण की प्रभावी तिथि;

- (ग) प्राधिकरण की वैधता अवधि;
- (घ) प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र; तथा
- (ङ) प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र।

(7) उपनियम (6) के अधीन प्रदान किए गए प्रत्येक प्राधिकरण के लिए सेवा क्षेत्र निम्नानुसार होगा—

- (क) टेलीविजन चैनल, टेलीविजन चैनल वितरण सेवा, टेलीपोर्ट तथा टेलीविजन हेतु समाचार एजेंसी के संबंध में सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र होगा; तथा
- (ख) प्राइवेट रेडियो सेवा तथा सामुदायिक रेडियो सेवा के संबंध में सेवा क्षेत्र, प्राधिकरण में यथा विनिर्दिष्टनुसार, राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए “राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र” से अभिप्राय अधिनियम की धारा 55 के अनुसार भारत का राज्यक्षेत्र, भारत की प्रादेशिक जलसीमा, महाद्वीपीय शेल्फ तथा भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है।

13. प्राधिकरण की वैधता अवधि

नियम 12 के उपनियम (6) के अधीन प्रदान किए गए प्राधिकरण की वैधता अवधि निम्नानुसार होगी—

- (क) टेलीविजन चैनल, टेलीपोर्ट तथा सामुदायिक रेडियो सेवा के लिए उनका परिचालन प्रारंभ होने की तिथि से दस वर्ष;
- (ख) टेलीविजन हेतु समाचार एजेंसी के लिए प्राधिकरण की तिथि से दस वर्ष;
- (ग) टेलीविजन चैनल वितरण सेवा के लिए उसके परिचालन प्रारंभ होने की तिथि से बीस वर्ष; तथा
- (घ) प्राइवेट रेडियो सेवा के लिए उसके परिचालन प्रारंभ होने की तिथि से पंद्रह वर्ष।

14. प्राधिकरण का नवीकरण

(1) कोई प्राधिकृत इकाई, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप एवं रीति में तथा अन्य अपेक्षित सूचना सहित, प्राधिकरण की समाप्ति से कम-से-कम एक सौ बीस दिन पूर्व नवीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। ऐसे आवेदन के साथ अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट आवेदन प्रसंस्करण शुल्क भी देय होगा।

(2) केंद्रीय सरकार उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर निम्नलिखित के अधीन रहते हुए नवीकरण पर विचार करेगी—

- (क) नवीकरण के समय लागू विधि एवं नीति का अनुपालन;
- (ख) केंद्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों से आवश्यक सुरक्षा मंजूरीयों की प्राप्ति;
- (ग) प्राधिकरण के निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन; तथा
- (घ) यह शर्त कि प्राधिकृत इकाई ने प्राधिकरण के निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन नहीं किया हो, जिसमें नियम 16 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट कार्यक्रम संहिता अथवा विज्ञापन संहिता का गैर-अनुपालन, जहाँ लागू हो, ऐसे पाँच से अधिक मामलों में सम्मिलित हो, जिनमें इकाई को ऐसे उल्लंघन के लिए न्यायनिर्णित किया गया हो।

(3) उपनियम (2) के अधीन आवेदन अस्वीकार किए जाने का प्रत्येक निर्णय लिखित रूप में विनिर्दिष्ट किए जाने के कारणों सहित होगा।

(4) उपनियम (2) के अधीन नवीकरण किए जाने पर प्राधिकरण की वैधता अवधि दस वर्ष होगी, परंतु प्राइवेट रेडियो सेवा नवीकरण हेतु पात्र नहीं होगी।

(5) यदि उपनियम (2) के अनुसार आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है अथवा उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्राधिकरण के विस्तार हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो प्राधिकरण अपनी वैधता अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में प्राधिकृत इकाई अपने सभी उपयोगकर्ताओं तथा उन अन्य प्राधिकृत इकाइयों को, जिन्हें वह प्रसारण सेवा, प्रसारण नेटवर्क अथवा प्रसारण उपकरण उपलब्ध करा रही है, कम-से-कम तीस दिन पूर्व सूचना जारी कर अपने प्राधिकरण की समाप्ति की प्रभावी तिथि से अवगत कराएगी।

15. माइग्रेशन

(1) कोई भी इकाई, जो इन नियमों के अधिसूचित होने की तिथि से पूर्व भारतीय तार अधिनियम, 1885 अथवा भारतीय वायरलेस तार अधिनियम, 1933 के अधीन निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदत्त किसी लाइसेंस, पंजीकरण अथवा अनुमति (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए) की धारक है—

- (क) भारत में उपग्रह टेलीविजन चैनलों के अपलिकिंग एवं डाउनलिकिंग संबंधी नीति दिशानिर्देश, दिनांक 9 नवम्बर 2022;
- (ख) भारत में डायरेक्ट-टू-होम प्रसारण सेवा प्रदान करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने संबंधी दिशानिर्देश, दिनांक 15 मार्च 2001, यथासंशोधित;
- (ग) भारत में हेड-एंड-इन-द-स्काई प्रसारण सेवा प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश, दिनांक 26 नवम्बर 2009; अथवा
- (घ) भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने संबंधी संशोधित नीति दिशानिर्देश, दिनांक 13 फरवरी 2024,

के अनुसार, ऐसे लाइसेंस, पंजीकरण अथवा अनुमति की वैधता अवधि के दौरान किसी भी समय यथास्थिति, अध्याय-2 के अंतर्गत समतुल्य प्राधिकरण में माइग्रेशन हेतु नियम 11 के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेगी।

(2) यदि नियम 11 के अनुसार माइग्रेशन हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसा लाइसेंस, पंजीकरण अथवा अनुमति पूर्ववत् उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर वैध बनी रहेगी जिन पर उसे प्रदान किया गया था, परंतु उसका नवीकरण नहीं किया जाएगा।

(3) माइग्रेशन की इच्छुक इकाई, उपनियम (1) के अधीन आवेदन करने से पूर्व, संबंधित लाइसेंस, अनुमति अथवा पंजीकरण के संबंध में सभी बकाया देय राशियों, यदि कोई हो, उप-नियम (1) के तहत निर्दिष्ट, तथा उस पर देय ब्याज का भुगतान करेगी तथा आवेदन के साथ ऐसे भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करेगी।

(4) इन नियमों के अधीन माइग्रेशन किए जाने पर संबंधित इकाई द्वारा धारित लाइसेंस, अनुमति अथवा पंजीकरण समाप्त माना जाएगा तथा नियम 12 के अधीन नया प्राधिकरण प्रदान किया जाएगा।

(5) उपनियम (1) के अधीन माइग्रेशन हेतु कोई आवेदन प्रसंस्करण शुल्क देय नहीं होगा।

(6) इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से पूर्व, भारतीय तार अधिनियम, 1885 अथवा भारतीय वायरलेस तार अधिनियम, 1933 के अधीन, उपनियम (1) के खंड (क) से (घ) में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान किए गए किसी लाइसेंस, पंजीकरण अथवा अनुमति चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, धारक इकाई के दायित्व, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, इन नियमों के अधीन प्राधिकृत इकाई पर और इसके विपरीत भी लागू होंगे।

(7) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से पूर्व अनुमति प्राप्त एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं पर इस नियम के उपबंध लागू नहीं होंगे तथा ऐसी अनुमतियाँ उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर वैध बनी रहेंगी जिन पर उन्हें मूलतः प्रदान किया गया था।

अध्याय-4 : सामान्य निबंधन एवं शर्तें

16. प्राधिकृत इकाइयों के सामान्य दायित्व

(1) प्रत्येक प्राधिकृत इकाई अध्याय-2 में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा नियम 12 के उपनियम (3) के अधीन प्राप्त मंजूरीयों की वैधता को प्राधिकरण की संपूर्ण वैधता अवधि के दौरान बनाए रखेगी।

(2) प्रत्येक प्राधिकृत निकाय यह सुनिश्चित करेगा:

(क) कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का अनुपालन; और

(ख) केंद्र सरकार द्वारा, इन नियमों के प्रयोजनार्थ, समय-समय पर जारी ऐसे निर्देशों या दिशा-निर्देशों का अनुपालन।

स्पष्टीकरण: “कार्यक्रम संहिता” और “विज्ञापन संहिता” अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नलिखित होगा:

(क) टेलीविजन चैनलों और टेलीविजन चैनल वितरण सेवाओं के संबंध में, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अधीन बनाए गए नियमों में संदर्भित “कार्यक्रम संहिता” और “विज्ञापन संहिता”; और

(ख) प्राइवेट रेडियो सेवा और सामुदायिक रेडियो सेवा के संबंध में, आकाशवाणी द्वारा अनुसरित ऐसी संहिता, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया हो, या ऐसी कोई अन्य संहिता जिसे केंद्र सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट कर सकती है।

(3) कोई भी प्राधिकृत संस्था अपने प्राधिकृति को उप-किराए पर नहीं देगी या उप-पट्टे पर नहीं देगी अथवा उसे समनुदेशित नहीं करेगी।

17. प्रसारण नेटवर्क का उपयोग

कोई प्राधिकृत संस्था:

(क) अपने स्वयं के प्रसारण नेटवर्क का उपयोग कर सकती है; या

(ख) ऐसी अन्य प्राधिकृत संस्था के प्रसारण नेटवर्क को साझा करने के लिए किसी अन्य प्राधिकृत संस्था के साथ पारस्परिक करार कर सकती है।

(ग) किसी भी इकाई से दीर्घकालिक आधार पर प्रसारण उपकरण किराये पर लेना या पट्टे पर लेना, बशर्ते कि इससे इन नियमों के अधीन प्राधिकृत इकाई के दायित्व प्रभावित न हों।

स्पष्टीकरण: संदेहों के निराकरण के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि खंड (ख) के अधीन पारस्परिक करार करने वाली प्रत्येक प्राधिकृत संस्था अपने संबंधित प्राधिकृति के नियमों और शर्तों के अनुपालन के लिए संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से जिम्मेदार बनी रहेगी।

18. स्पेक्ट्रम का समनुदेशन और उपयोग

(1) इन नियमों के अधीन प्राधिकृति प्रदान किया जाना स्पेक्ट्रम के समनुदेशन और उपयोग का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

(2) स्पेक्ट्रम का उपयोग करने की इच्छुक प्राधिकृत संस्था, जब तक कि अधिनियम के अधीन समनुदेशन की अपेक्षा से छूट प्राप्त न हो, इन नियमों के अधीन प्राधिकृति प्रदान किए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्पेक्ट्रम के समनुदेशन के लिए आवेदन करेगी।

19. सुरक्षा संबंधी शर्तें

(1) प्राधिकृत संस्था, उसके प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और शासी निकाय के सदस्य को प्राधिकृति की वैधता अवधि के दौरान सुरक्षा मंजूरी प्राप्त रहेगी।

(2) प्रत्येक प्राधिकृत संस्था, किसी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति से पूर्व, सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के लिए, ऐसे प्ररूप और रीति में, जैसा कि केंद्र सरकार विनिर्दिष्ट करे, नामित पोर्टल पर विवरण प्रस्तुत करेगी।

(3) निम्नलिखित सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकृति रखने वाली प्राधिकृत संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशकों, भागीदारों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से बहुमत भारत में निवास करने वाला व्यक्ति हों:—

(क) समाचार चैनल;

(ख) टेलीविजन के लिए समाचार एजेंसी;

(ग) टेलीविजन चैनल वितरण सेवा; और

(घ) प्राइवेट रेडियो सेवा।

(4) प्रसारण नेटवर्क की स्थापना, रखरखाव या संचालन के लिए प्राधिकृत संस्था द्वारा नियुक्ति, संविदा, परामर्श या किसी अन्य व्यवस्था के माध्यम से तैनात किए जाने वाले सभी विदेशी कार्मिकों के लिए उनकी तैनाती से पूर्व केंद्र सरकार से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) प्राधिकृत संस्था, यथास्थिति, कंपनी या एलएलपी में सलाहकार के रूप में या किसी अन्य पदनाम के तहत, एक वर्ष में साठ दिनों से अधिक के लिए अथवा नियमित कर्मचारी के रूप में नियोजित या संलग्न किए जाने वाले किसी विदेशी या अनिवासी भारतीय का नाम, पता और विवरण प्रकट करेगी।

स्पष्टीकरण: इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, “प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक” पद का:—

(क) किसी कंपनी के संबंध में, वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) में इसे दिया गया है;

(ख) किसी भागीदारी के संबंध में, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन “भागीदार” और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन “भागीदार” या “नामित भागीदार” से अभिप्रेत होगा;

20. प्राधिकृति शुल्क का निर्धारण और भुगतान

(1) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकृति शुल्क का भुगतान प्राधिकृत संस्था द्वारा अध्याय 5 में विनिर्दिष्ट रीति और लागू समय-सीमा के भीतर किया जाएगा।

(2) यदि अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकृति शुल्क की गणना समायोजित सकल राजस्व के आधार पर की जाती है, तो केंद्र सरकार ऐसी प्रक्रिया के अनुसार ऐसे शुल्क का निर्धारण कर सकती है, जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “निर्धारण” पद में पुनर्निर्धारण और पुनर्गणना भी शामिल होगी।

(3) यदि प्राधिकृत संस्था अध्याय 2 के अधीन एक से अधिक प्रकार की प्राधिकृति रखती है या विभिन्न सेवा क्षेत्र में एक ही प्रकार की प्राधिकृति रखती है, तो वह प्रत्येक ऐसी प्राधिकृति के लिए पृथक वित्तीय लेखे रखेगी और प्राधिकृति शुल्क की गणना का पृथक विवरण प्रस्तुत करेगी।

(4) केंद्र सरकार को यह अधिकार होगा कि वह प्राधिकृत संस्था द्वारा प्रस्तुत सकल राजस्व के विवरण सही हैं, इसका सत्यापन करने के लिए अपने विवेकानुसार किसी प्राधिकृत संस्था के लेखों का भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या किसी अन्य पेशेवर लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षण करा सके।

(5) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए:

(क) किसी प्राधिकृत संस्था का “समायोजित सकल राजस्व” ऐसा समायोजित सकल राजस्व होगा, जिसकी गणना सकल राजस्व से वस्तु और सेवा कर को घटाकर की जाएगी, जैसा कि ऐसी प्राधिकृत संस्था के लेखापरीक्षित खातों में सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित किया गया है;

(ख) किसी प्राधिकृत संस्था के “सकल राजस्व” से अभिप्रेत है प्राधिकृत संस्था की सामान्य गतिविधियों के दौरान उत्पन्न नकद, प्राप्य या अन्य प्रतिफल का सकल अंतर्वाह, जिसमें प्रसारण सेवाओं के प्रावधान से, उद्यम के संसाधनों के अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग से किराया, ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी और कमीशन प्राप्त होना, वस्तु-विनिमय विज्ञापन करारों से प्राप्तियां शामिल हैं;

(ग) सकल राजस्व की गणना, करें या एजेंसी कमीशन की कटौती किए बिना, विज्ञापनदाताओं को दी गई छूट के बाद बिलिंग दरों के आधार पर की जाएगी; और

(घ) किसी प्राधिकृत संस्था द्वारा ऐसी अन्य संस्थाओं से, जो ऐसी प्राधिकृत संस्था के स्वामित्व या नियंत्रण में हैं, वस्तुओं और सेवाओं का प्रदान या प्राप्त किया जाना, ऐसी प्राधिकृत संस्था के मामले में, सकल राजस्व की गणना सामान्य वाणिज्यिक दरों पर ऐसे सभी लेन-देन को ध्यान में रखते हुए की जाएगी और ऐसी प्राधिकृत संस्था के लाभ और हानि खातों में शामिल किया जाएगा।

(6) सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित सकल राजस्व और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित सकल राजस्व के बीच किसी अंतर की स्थिति में, सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक के विचार प्रभावी होंगे, बशर्ते कि प्राधिकृत संस्था को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया हो, और ऐसे लेखापरीक्षण का खर्च प्राधिकृत संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

21. निगरानी और निरीक्षण

(1) प्रत्येक प्राधिकृत संस्था कार्यक्रमों, जिसमें विज्ञापन भी शामिल हैं, की रिकॉर्डिंग उनके प्रसारण की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के लिए सुरक्षित रखेगी और जब ऐसा निर्देश दिया जाए, तो ऐसी रिकॉर्डिंग केंद्र सरकार या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नामित किसी एजेंसी को प्रस्तुत करेगी।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित किसी कार्यक्रम के संबंध में किसी शिकायत, विवाद, जांच या न्यायिक कार्यवाही की स्थिति में, प्राधिकृत संस्था कार्यवाही के अंतिम निष्कर्ष तक उसकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखेगी और जब ऐसा निर्देश दिया जाए, तो ऐसी रिकॉर्डिंग केंद्र सरकार या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नामित किसी एजेंसी को प्रस्तुत करेगी।

(3) केंद्र सरकार, इन नियमों के अनुपालन के निरीक्षण और निगरानी के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकृत संस्था को नोटिस जारी करने के पश्चात, उस परिसर का निरीक्षण कर सकती है या निरीक्षण करा सकती है, जहां से कोई प्राधिकृत संस्था अपने प्राधिकृति का संचालन करती है, तथा ऐसे या किसी अन्य परिसर में प्रसारण उपकरण, रिकॉर्डिंग और प्रसारण नेटवर्क का निरीक्षण कर सकती है या करा सकती है।

(4) केंद्र सरकार, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उप-नियम (3) के अधीन बिना नोटिस दिए निगरानी और निरीक्षण कर सकती है, जब वह यह निर्धारित करती है कि नोटिस जारी करने से ऐसे निरीक्षण का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

(5) प्रत्येक प्राधिकृत संस्था इस नियम के अधीन निगरानी और निरीक्षण को सुगम बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पहुंच, सुविधाएं और सहायता उपलब्ध कराएगी।

22. रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं

(1) प्रत्येक प्राधिकृत संस्था, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे सहायक दस्तावेजों के साथ, जैसा कि केंद्र सरकार विनिर्दिष्ट करे,—

- (क) अपनी शेयरधारिता, भागीदारी या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में किसी परिवर्तन की सूचना ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर देगी;
- (ख) उस नाम में किसी परिवर्तन की सूचना, जिसके तहत, यथास्थिति, उसका पंजीकरण या निगमन किया गया है, ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर देगी; और
- (ग) अपने विवरण में किसी परिवर्तन, जिसमें स्वामित्व, नियंत्रण, पता और संपर्क विवरण या ऐसे किसी अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल हैं, की सूचना ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिनों के भीतर देगी;
- (घ) इन नियमों के अनुपालन से संबंधित ऐसी जानकारी, जिसमें दस्तावेज, रिपोर्ट, लेखे, अनुमान और विवरणियां शामिल हैं, ऐसी समयावधियों पर प्रस्तुत करेगी, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) किसी प्राधिकृत संस्था के स्वामित्व में कोई ऐसा परिवर्तन, जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण में परिवर्तन या प्राधिकृत संस्था के प्रबंधन में पूर्ण परिवर्तन होता है, केवल केंद्र सरकार की पूर्व लिखित अनुमति से ही किया जाएगा, जो ऐसी रीति में प्राप्त की जाएगी, जैसा कि केंद्र सरकार विनिर्दिष्ट करे।

23. सैटेलाइट प्रसारण माध्यम का उपयोग

(1) सैटेलाइट का उपयोग करने की इच्छुक प्राधिकृत संस्था या तो सैटेलाइट की स्वामी होगी, या ऐसी संस्था के साथ करार करेगी जिसके पास भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग या इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किसी अन्य नामित एजेंसी द्वारा प्राधिकृत संबंधित सैटेलाइट क्षमता हो।

(2) सैटेलाइट का उपयोग करने वाली प्राधिकृत संस्था सैटेलाइट के उपयोग से संबंधित जानकारी और उसमें बाद में होने वाले किसी परिवर्तन की सूचना ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर केंद्र सरकार को देगी।

24. डीएसएनजी के उपयोग के लिए शर्तें

(1) निम्नलिखित में से किसी प्राधिकृति को धारण करने वाली प्राधिकृत संस्था, उप-नियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए डीएसएनजी खरीद सकती है, बशर्ते कि केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों से आवश्यकतानुसार ऐसी मंजूरियां प्राप्त की गई हों, जो केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में प्राप्त की जाएंगी:

- (क) समाचार चैनल;
- (ख) टेलीपोर्ट; और
- (ग) टेलीविजन के लिए समाचार एजेंसी।

(2) प्राधिकृत संस्था, डीएसएनजी की खरीद के लिए, अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगी।

(3) कोई प्राधिकृत संस्था, सिवाय ऐसी इकाई के जो टेलीविजन चैनल वितरण सेवा या प्राइवेट रेडियो सेवा सामुदायिक रेडियो सेवा के लिए प्राधिकृति धारण करती है, उप-नियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किसी अन्य प्राधिकृत संस्था से पट्टे या किराए पर डीएसएनजी प्राप्त कर सकती है, जो केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों से ऐसी मंजूरियों के अधीन होगा, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए।

(4) डीएसएनजी का उपयोग केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, अर्थात्:—

- (क) समाचार चैनल के प्रावधान के संबंध में, लाइव समाचार कवरेज, फुटेज संग्रहण और प्वाइंट-टू-प्वाइंट प्रसारण के लिए;
- (ख) गैर-समाचार चैनल के प्रावधान के संबंध में, कार्यक्रमों की लाइव अपलिकिंग के लिए;
- (ग) टेलीविजन के लिए समाचार एजेंसी के प्रावधान के संबंध में, समाचार या फुटेज के संग्रहण या प्रसारण के लिए; और
- (घ) किसी विदेशी चैनल या संस्था के संबंध में, भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर प्रसारण के लिए अभिप्रेत कार्यक्रमों की लाइव कवरेज के प्रयोजन के लिए।

स्पष्टीकरण: डीएसएनजी का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट किसी सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में नहीं किया जाएगा।

(5) डीएसएनजी का उपयोग करने वाली प्राधिकृत संस्था—

- (क) डीएसएनजी द्वारा कवर किए गए और अपलिक किए गए तथा सैटेलाइट अर्थ स्टेशन पर डाउनलिक किए गए स्थानों और कार्यक्रमों का दैनिक रिकॉर्ड नब्बे दिनों की अवधि के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में सुरक्षित रखेगी, जैसा कि केंद्र सरकार विनिर्दिष्ट करे, और जब ऐसा निर्देश दिया जाए, तो उसे केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगी;
- (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रसारण केवल एक बंद समूह के भीतर ही प्राप्त किया जा सके, सिग्नलों को एन्क्रिप्टेड रूप में अपलिक करेगी;
- (ग) प्रसारण के लिए केवल सैटेलाइट प्रसारण माध्यम के उपयोग के माध्यम से अपलिक करेगी; और
- (घ) सिग्नलों को केवल किसी प्राधिकृत संस्था या लाइसेंसधारी के टेलीपोर्ट पर ही डाउनलिक करेगी।

(6) उप-नियम (3) के अधीन पट्टे या किराए पर डीएसएनजी प्रदान करने वाली प्राधिकृत संस्था पोर्टल पर निम्नलिखित को ऐसी रीति में पंजीकृत करेगी, जैसा कि केंद्र सरकार विनिर्दिष्ट करे:

- (क) यदि डीएसएनजी को पट्टे या किराए पर लेने वाली प्राधिकृत संस्था गैर-समाचार चैनल प्रदान करने की प्राधिकृति धारण करती है, तो डीएसएनजी का उपयोग करके किसी लाइव कार्यक्रम या आयोजन की अपलिकिंग को ऐसे लाइव कार्यक्रम या आयोजन के प्रारंभ होने से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व पंजीकृत करेगी; और
- (ख) यदि किसी विदेशी चैनल या संस्था को भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर प्रसारण के लिए अभिप्रेत डीएसएनजी का उपयोग करके किसी लाइव आयोजन की अपलिकिंग की अनुमति दी जाती है, तो ऐसी सेवा प्रदान करने वाली प्राधिकृत संस्था द्वारा ऐसे उपयोग से पूर्व पंजीकृत करेगी।

(7) उप-नियम (6) के अधीन किसी भी पंजीकरण के साथ अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट शुल्क और निम्नलिखित संलग्न होंगे, अर्थात्:—

- (क) कार्यक्रम या आयोजन का नाम, उसकी तारीख, समय और स्थल;
- (ख) कार्यक्रम या आयोजन को अपलिक करने के लिए टेलीपोर्ट ऑपरेटर की सहमति;
- (ग) कार्यक्रम या आयोजन का प्रसारण करने वाली संबंधित प्राधिकृत संस्था की प्राधिकृति; और
- (घ) ऐसी जानकारी और दस्तावेज, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए।

(8) प्राधिकृत संस्था उप-नियम (7) के अधीन प्रदान की गई जानकारी में किसी संशोधन को ऐसे प्ररूप और रीति में प्रस्तुत करेगी, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए—

(क) कार्यक्रम या आयोजन से कम से कम सात दिन पूर्व; या

(ख) कार्यक्रम या आयोजन से कम से कम दो दिन पूर्व, उप-नियम (7) के अधीन भुगतान किए गए प्रारंभिक शुल्क के पचास प्रतिशत के अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के अधीन, जब तक कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी जो संयुक्त सचिव से नीचे के पद का न हो तथा जो इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत है, अन्यथा छूट न दें।

(9) प्राधिकृत संस्था स्पेक्ट्रम के समनुदेशन की तारीख से छह महीने के भीतर डीएसएनजी का संचालन प्रारंभ करेगी, ऐसा न करने पर, केंद्र सरकार अपने अधिकारों या किसी अन्य प्रावधान, जिसमें अध्याय 7 के अधीन अधिनिर्णयन और अपील से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी प्राधिकृत संस्था द्वारा प्रस्तुत कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी को भुना सकती है, उस पर दावा कर सकती है या उसे विनियोजित कर सकती है।

25. अप्रत्याशित घटना

(1) यदि किसी प्राधिकृत संस्था द्वारा किसी प्राधिकृति के अधीन किसी दायित्व का अनुपालन, पूर्णतः या आंशिक रूप से, किसी अप्रत्याशित घटना के कारण बाधित या विलंबित होता है, और ऐसी संस्था ने उप-नियम (2) के अधीन अपने दायित्वों का पालन किया है, तो ऐसी घटना की अवधि के लिए ऐसा अनुपालन या अनुपालन में विलंब, प्राधिकृति के नियमों और शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

(2) प्राधिकृत संस्था, केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे प्ररूप और रीति में, अप्रत्याशित घटना के घटित होने की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर ऐसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने की सूचना केंद्र सरकार को देगी।

(3) इन नियमों के अधीन किसी प्राधिकृति का संचालन ऐसी अप्रत्याशित घटना के समाप्त होने या अस्तित्व में न रहने के पश्चात यथासंभव शीघ्र पुनः आरंभ किया जाएगा, और इस संबंध में केंद्र सरकार का यह निर्णय कि ऐसी प्रसारण सेवा को इस प्रकार पुनः आरंभ किया जा सकता है या नहीं तथा वह किस समय-सीमा के भीतर पुनः आरंभ की जा सकती है, अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(4) किसी भी अप्रत्याशित घटना का परिणाम प्राधिकृति की वैधता अवधि के विस्तार के रूप में नहीं होगा।

(5) उप-नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार, मामले-दर-मामले आधार पर, अप्रत्याशित घटना की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यदि ऐसा भुगतान अप्रत्याशित घटना की अवधि के दौरान देय था, तो प्राधिकृति शुल्क के भुगतान के दायित्व को ऐसी घटना के दिनों की संख्या से अनधिक अवधि के लिए स्थगित करने की अनुमति दे सकती है।

(6) इस नियम के अधीन कोई भी प्राधिकृत संस्था अप्रत्याशित घटना के लिए किसी प्रतिकर का दावा करने या अप्रत्याशित घटना के कारण केंद्र सरकार के दायित्वों के निष्पादन में गैर-निष्पादन या विलंबित निष्पादन के लिए केंद्र सरकार के विरुद्ध किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने की हकदार नहीं होगी।

(7) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “अप्रत्याशित घटना” पद का अर्थ निम्नलिखित घटनाओं तक होगा और इन्हीं तक सीमित होगी: (क) युद्ध या शत्रुता; (ख) बड़े दंगे या नागरिक अशांति; (ग) भूकंप, बाढ़, आंधी, बिजली गिरना या अन्य प्राकृतिक आपदाएं; या (घ) कोई अन्य घटना जिसे केंद्र सरकार अप्रत्याशित घटना के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

अध्याय 5: सेवा-विशिष्ट निबंधन और शर्तें

भाग क: टेलीविजन चैनल

26. संचालन और रोल आउट

(1) प्रत्येक प्राधिकृत संस्था—

- (क) स्पेक्ट्रम के समनुदेशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपना संचालन आरंभ करेगी और ऐसे आरंभ की सूचना, ऐसे प्ररूप और रीति में, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे आरंभ के पंद्रह दिनों के भीतर केंद्र सरकार को देगी;
- (ख) टेलीविजन चैनल के सिग्नल केवल ऐसी प्राधिकृत संस्था को उपलब्ध कराएगी जो टेलीविजन चैनल वितरण सेवा के लिए प्राधिकृति रखती हो, या मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर या इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा प्रदाता को उपलब्ध कराएगी;
- (ग) खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझाकरण) अधिनियम, 2007 तथा उसके अधीन जारी सभी लागू नियमों, निर्देशों, दिशानिर्देशों और अधिसूचनाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी; और
- (घ) केवल ऐसे टेलीविजन चैनल का नाम और लोगो प्रदर्शित करेगी जैसा कि प्राधिकृति में विनिर्दिष्ट है।

(2) टेलीविजन चैनल अपने प्राधिकृति की वैधता की पूरी अवधि के दौरान लगातार कार्यरत रहेगा।

(3) यदि कोई टेलीविजन चैनल लगातार साठ दिनों से अधिक की अवधि तक कार्यरत नहीं रहता है, तो प्राधिकृत व्यक्ति केंद्र सरकार को इसकी सूचना देगा और उसके कारण बताएगा।

(4) ऐसा टेलीविजन चैनल जो लगातार नब्बे दिनों से अधिक की अवधि तक कार्यरत नहीं रहता है, इन नियमों के अधीन इस संबंध में जारी किए गए किसी आदेश या निर्देश, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, के कारण को छोड़कर, उसके संबंध में प्रदान किया गया प्राधिकार वापस लिया गया समझा जाएगा:

परंतु यह कि प्राधिकृत संस्था को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(5) सैटेलाइट संचार माध्यम का उपयोग करने वाला टेलीविजन चैनल, यदि टेलीविजन चैनलों के सिग्नल C बैंड के अलावा किसी अन्य बैंड में प्रसारित किए जाते हैं, तो उन सिग्नलों को एन्क्रिप्ट करेगा।

(6) प्रत्येक प्राधिकृत संस्था अपने टेलीविजन चैनल पर प्रत्येक दिन 06:00 बजे भारतीय मानक समय और 23:00 बजे भारतीय मानक समय के बीच न्यूनतम तीस मिनट की अवधि के लिए राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के विषयों पर केंद्रित कार्यक्रम प्रसारित करेगी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, अर्थात्:—

- (क) शिक्षा और साक्षरता का प्रसार;
- (ख) कृषि और ग्रामीण विकास;
- (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण;
- (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी;
- (ङ) महिलाओं का कल्याण;
- (च) समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण;
- (छ) पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण;

(ज) पशु कल्याण; और

(झ) राष्ट्रीय एकीकरण।

(7) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट टेलीविजन चैनलों को उप-नियम (6) के अधीन दायित्व से छूट दे सकती है।

(8) जहां कोई टेलीविजन चैनल भारत से अपलिंक किया जाना है, लेकिन विशेष रूप से भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर दर्शकों के लिए है, वहां प्राधिकृत संस्था केंद्र सरकार के ऐसे मंत्रालयों से आवश्यक मंजूरीयां प्राप्त करने के पश्चात, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसा अपलिंकिंग करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अपलिंक किए गए संदेश में भारत की संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रतिकूल कोई बात न हो।

(9) उप-नियम (8) में संदर्भित प्राधिकृत संस्था उस गंतव्य देश में लागू कानून का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, जिसके लिए संदेश का उप-नियम (8) के अधीन निर्माण और अपलिंक किया गया है।

(10) प्रत्येक प्राधिकृत संस्था केंद्र सरकार तथा लागू कानून और नीति के अधीन पंजीकृत टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों को, यदि कोई हो, लैंडिंग पेज पर अपने टेलीविजन चैनलों की उपलब्धता प्रस्तुत करेगी।

स्पष्टीकरण: उप-नियम (10) के प्रयोजनों के लिए, “लैंडिंग पेज” पद से ग्राहक परिसर उपकरण को चालू करने पर टेलीविजन चैनल के डिफॉल्ट प्रदर्शन से अभिप्रेत है, जिसमें टेलीविजन चैनलों के नेविगेशन या स्विचिंग के दौरान का प्रदर्शन भी शामिल है, जहां ऐसा डिफॉल्ट प्रदर्शन किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता चयन के बिना सक्रिय होता है।

(11) उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन दायित्वों के अनुपालन न किए जाने की स्थिति में, केंद्र सरकार अपने अधिकारों या किसी अन्य उपचार, जिसमें अधिनिर्णयन और अपील से संबंधित अध्याय 7 के अधीन उपचार भी शामिल हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकृत संस्था द्वारा प्रस्तुत कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी को भुना सकती है या विनियोजित कर सकती है।

(12) प्राधिकृत संस्था समय-समय पर यथा संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 17, 18, 19, 20 और 21 का, अनुपालन करेगी।

27. टेलीविजन चैनल की श्रेणी और प्रसारण माध्यम में परिवर्तन

(1) अपनी टेलीविजन चैनल की श्रेणी या प्रसारण माध्यम में निम्नलिखित रूप से परिवर्तन करने की इच्छुक प्राधिकृत संस्था:

(क) समाचार चैनल से गैर-समाचार चैनल या इसके विपरीत;

(ख) सैटेलाइट प्रसारण माध्यम से स्थलीय प्रसारण माध्यम या इसके विपरीत; अथवा

(ग) टेलीविजन चैनल की अपलिंकिंग के लिए टेलीपोर्ट में परिवर्तन, के लिए केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे प्ररूप और रीति में, अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगी।

(2) प्राधिकृत संस्था, उप-नियम (1) के अधीन आवेदन करते समय, सेवा की उस श्रेणी या प्रसारण के माध्यम के संबंध में, जिसमें परिवर्तन किया जाना है, अध्याय 2 के अधीन विनिर्दिष्ट पात्रता शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी और ऐसे अनुपालन का प्रमाण प्रस्तुत करेगी।

(3) केंद्र सरकार उप-नियम (1) के अधीन किए गए आवेदन पर तीस दिनों की अवधि के भीतर कार्रवाई करने का प्रयास करेगी, जो निम्नलिखित के अध्यक्षीन होगा:

(क) प्राधिकृत संस्था द्वारा प्राधिकृति के निबंधन और शर्तों, जिसमें पात्रता शर्तें भी शामिल हैं, का अनुपालन; और

(ख) केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों से आवश्यक मंजूरी, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया गया है।

28. टेलीविजन चैनल के नाम और लोगो में परिवर्तन

(1) अपने कार्यरत टेलीविजन चैनल के नाम, लोगो या दोनों में परिवर्तन करने की इच्छुक प्राधिकृत संस्था:

- (क) नाम और लोगो में परिवर्तन के संबंध में, (i) ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 के अधीन पंजीकृत ट्रेडमार्क रखेगी या (ii) पंजीकृत ट्रेडमार्क स्वामी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र या, अपंजीकृत ट्रेडमार्क के मामले में, ऐसे व्यक्ति से, जो कम से कम एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए किसी भी वर्ग में संबंधित ट्रेडमार्क का उपयोग कर रहा है, अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगी; और
- (ख) ऐसे प्ररूप और रीति में आवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसमें विनिर्दिष्ट ऐसी जानकारी और दस्तावेज संलग्न होंगे, जिसमें खंड (क) के अनुपालन का प्रमाण भी शामिल है, और साथ में अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट शुल्क भी होगा।

(2) केंद्र सरकार, उप-नियम (1) के अधीन किए गए आवेदन की तारीख से अधिमानतः तीस दिनों के भीतर, ऐसे आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

(3) इस नियम के अधीन किसी आवेदन को अस्वीकार किए जाने की स्थिति में अस्वीकृति के कारणों को अभिलिखित किया जाएगा।

(4) प्राधिकृति की वैधता अवधि के दौरान, नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन, या उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन, अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लिए जाने की स्थिति में, प्राधिकृत संस्था इस नियम के अनुसार लोगो में परिवर्तन के लिए तत्काल आवेदन प्रस्तुत करेगी और उक्त वापसी केवल केंद्र सरकार द्वारा लोगो या ट्रेडमार्क में परिवर्तन को अनुमोदित किए जाने के पश्चात प्रभावी होगी।

स्पष्टीकरण: नियम 28 के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि:

(क) यदि प्राधिकार प्रदान किए जाने के पश्चात ट्रेडमार्क प्राधिकरण द्वारा ट्रेडमार्क को अस्वीकार कर दिया जाता है और प्राधिकृत संस्था ने ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध अपील दायर की है, तो ऐसी प्राधिकृति तब तक वैध बनी रहेगी जब तक ऐसा विवाद अंतिम रूप से तय नहीं हो जाता।

(ख) यदि किसी प्राधिकृत लोगो के लिए ट्रेडमार्क आवेदन की स्थिति को प्राधिकार की अवधि के दौरान विरोध या आपत्ति की जाती है, तो इसका उक्त प्राधिकार के नवीकरण, यदि कोई हो, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

29. वित्तीय शर्तें

(1) प्रथम वर्ष के लिए वार्षिक प्राधिकार शुल्क का भुगतान नियम 12 के उप-नियम (4) के अधीन आशय पत्र जारी किए जाने के पश्चात, उसके जारी होने के साठ दिनों के भीतर किया जाएगा।

(2) प्राधिकृत संस्था अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट वार्षिक प्राधिकृति शुल्क का भुगतान, ऐसे भुगतान की देय तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व करेगी।

(3) देय तारीख के पश्चात भुगतान किए गए वार्षिक प्राधिकृति शुल्क पर ऐसे भुगतान न किए जाने के प्रत्येक माह के लिए एक प्रतिशत की साधारण ब्याज दर से विलंब शुल्क लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण: (1) विलंब शुल्क की गणना के प्रयोजन के लिए अपूर्ण महीनों को एक माह माना जाएगा।

(2) इस नियम के प्रयोजन के लिए, आगामी वर्ष के वार्षिक प्राधिकृति शुल्क की देय तारीख टेलीविजन चैनल के कार्यरत होने की तारीख से एक वर्ष होगी और इसी प्रकार आगे भी।

30. टेलीविजन चैनल के संबंध में रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं

प्राधिकृत संस्था, केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे सहायक दस्तावेजों के साथ, निम्नलिखित परिवर्तनों की सूचना, ऐसे परिवर्तन होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर देगी, अर्थात्:—

(क) प्रसारण की भाषा में परिवर्तन; और

(ख) स्टैंडर्ड डेफिनिशन (एसडी) से हाई डेफिनिशन (एचडी), 4के प्रारूपों अथवा ऐसे अन्य प्रारूपों में परिवर्तन।

भाग ख: टेलीविजन चैनल वितरण सेवा

31. प्रचालन और कार्यान्वयन

(1) प्रत्येक प्राधिकृत संस्था—

- (क) स्पेक्ट्रम के समनुदेशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपना संचालन आरंभ करेगी और ऐसे प्ररूप और रीति में, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे आरंभ के पंद्रह दिनों के भीतर ऐसे आरंभ की सूचना, केंद्र सरकार को देगी;
- (ख) यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी टेलीविजन चैनल वितरण सेवा प्राधिकरण की संपूर्ण वैधता अवधि के लिए परिचालित रहे;
- (ग) केवल इन नियमों के अधीन प्राधिकृत टेलीविजन चैनलों का पुनः प्रसारण करेगी; और
- (घ) यह सुनिश्चित करेगी कि उसके द्वारा प्रसारित सभी कार्यक्रम भारत के राज्यक्षेत्र में स्थित किसी सैटेलाइट अर्थ स्टेशन के भीतर स्थित एन्क्रिप्शन और कंडीशनल एक्सेस सिस्टम से होकर गुजरें।

(2) केंद्र सरकार समय-समय पर अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट संस्थाओं द्वारा प्रसारित टेलीविजन चैनलों का विवरण अधिसूचित कर सकती है, जिन्हें प्राधिकृत संस्था द्वारा टेलीविजन चैनल वितरण सेवा प्रदान करने के दौरान अनिवार्य रूप से पुनः प्रसारित किया जाना है, और ऐसी संस्था इस नियम के अधीन जारी अधिसूचनाओं का अनुपालन करेगी।

(3) उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन दायित्वों के अनुपालन न किए जाने की स्थिति में, केंद्र सरकार अपने अधिकारों या किसी अन्य उपचार, जिसमें अधिनिर्णयन और अपील से संबंधित अध्याय 7 के अधीन उपचार भी शामिल हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकृत संस्था द्वारा प्रस्तुत कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी या प्रतिभूति जमा, यथास्थिति, को भुना सकती है या विनियोजित कर सकती है।

(4) उपयोगकर्ता परिसर में प्राधिकृत संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया ग्राहक परिसर उपकरण, भारतीय मानक ब्यूरो या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले मानकों का अनुपालन करेगा।

32. इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा पर लागू विशिष्ट शर्तें

(1) इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा प्रदाता—

- (क) कार्यक्रमों, जिसमें विज्ञापन भी शामिल हैं, की रिकॉर्डिंग उनके प्रसारण की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के लिए सुरक्षित रखेगा और जब ऐसा निर्देश दिया जाए, तो ऐसी रिकॉर्डिंग केंद्र सरकार या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नामित किसी एजेंसी को प्रस्तुत करेगा;

- (ख) संबंधित इंटरनेट सेवा प्राधिकृति किसी निलंबन, प्रतिसंहरण, कटौती या अभ्यर्पण की, यथास्थिति, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के रूप में पंजीकरण के बारे में केंद्र सरकार को ऐसे प्ररूप या रीति में जो विनिर्दिष्ट की जाए सूचित करेगा।
- (ग) केवल इन नियमों के अधीन प्राधिकृत टेलीविजन चैनलों का पुनः प्रसारण करेगा;
- (घ) केंद्र सरकार द्वारा जारी ऐसे निर्देशों या दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा, जिसमें नियम 16 के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता भी शामिल हैं; और
- (ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सेवा में टेलीविजन चैनलों की पायरेसी को रोकने के लिए कंडीशनल एक्सेस सिस्टम की कार्यक्षमता प्रदान करने वाली अधिकार प्रबंधन प्रणाली शामिल हो।

(2) केंद्र सरकार समय-समय पर अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट संस्थाओं द्वारा प्रसारित टेलीविजन चैनलों का विवरण अधिसूचित कर सकती है, जिन्हें इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा के प्रावधान के दौरान इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा पर अनिवार्य रूप से पुनः प्रसारित किया जाना है।

33. प्लेटफॉर्म सेवा का प्रावधान

- (1) अपनी प्रसारण नेटवर्क पर प्लेटफॉर्म सेवाएं प्रदान करने की इच्छुक प्राधिकृत संस्था, उप-नियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन, ऐसी प्रत्येक सेवा को विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्ररूप और रीति में, अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट एकमुश्त अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क के भुगतान के साथ पंजीकृत करेगी।
- (2) उप-नियम (1) के अधीन पंजीकृत प्लेटफॉर्म सेवाओं की कुल संख्या, टेलीविजन चैनल वितरण सेवा के लिए प्राधिकृति रखने वाली प्राधिकृत संस्था की प्रसारण नेटवर्क की कुल चैनल वहन क्षमता के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

34. कुछ गतिविधियों का निषेध

प्राधिकृत संस्था—

- (क) ऐसे किसी टेलीविजन चैनल का सिग्नल प्रसारित नहीं करेगी जो इन नियमों के अधीन प्राधिकृत नहीं है;
- (ख) प्राधिकृत टेलीविजन चैनलों के अनन्य वितरण के लिए कोई करार नहीं करेगी; और
- (ग) हेड-एंड इन द स्काई सेवा के संबंध में, सैटेलाइट पारेषण माध्यम से सीधे उपयोगकर्ता को टेलीविजन चैनलों के सिग्नल उपलब्ध नहीं कराएगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सैटेलाइट पारेषण माध्यम से टेलीविजन चैनल के सिग्नल उपयोगकर्ता को केवल केबल नेटवर्क के उपयोग के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे।

35. डायरेक्ट-टू-होम सेवा पर लागू वित्तीय शर्तें

- (1) प्राधिकृत संस्था प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, जो पहली अप्रैल से आरंभ होता है, अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट समायोजित सकल राजस्व-आधारित वार्षिक प्राधिकृति शुल्क का भुगतान चार त्रैमासिक किस्तों में निम्नलिखित रीति से करेगी:
 - (क) वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में से प्रत्येक के संबंध में त्रैमासिक किस्त का भुगतान संबंधित तिमाही के पूरा होने के तीस दिनों के भीतर किया जाएगा; और
 - (ख) अंतिम तिमाही के लिए त्रैमासिक किस्त का भुगतान पूरे वित्तीय वर्ष के लिए लेखों के समायोजन और निपटान के पश्चात तथा प्राधिकृत संस्था के अंतिम रूप से लेखापरीक्षित विवरणों के आधार पर किया जाएगा, और ऐसी राशि अगले वित्तीय वर्ष की तीस सितंबर तक उस तिमाही के लिए विधिवत देय होगी।

- (2) उप-नियम (1) के अनुसरण में किए गए भुगतानों के साथ स्व-प्रमाण-पत्र और राजस्व का विवरण, ऐसे प्ररूप और रीति में, जैसा कि केंद्र सरकार विनिर्दिष्ट करे, संलग्न किया जाएगा।
- (3) प्राधिकृत संस्था उप-नियम (2) के अधीन प्रस्तुत त्रैमासिक राजस्व विवरण में दर्शाए गए आंकड़ों और उप-नियम (1) के खंड (ख) के अधीन वार्षिक लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों के बीच मिलान विवरण, लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगी।
- (4) उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर वार्षिक प्राधिकृति शुल्क का भुगतान न किए जाने पर, ऐसे भुगतान न किए जाने के प्रत्येक माह के लिए एक प्रतिशत की साधारण ब्याज दर से विलंब शुल्क लगाया जाएगा।
- (5) यदि उप-नियम (3) के अधीन इस प्रकार निर्धारित राशि पहले से जमा की गई राशि से कम पाई जाती है, तो अंतर की राशि, प्राधिकृत संस्था के अनुरोध पर, आगामी वित्तीय वर्ष के वार्षिक प्राधिकृति शुल्क के विरुद्ध समायोजित की जा सकती है।

36. टेलीविजन चैनल वितरण सेवा के संबंध में रिपोर्टिंग की अपेक्षा।

प्राधिकृत संस्था, केंद्र सरकार द्वारा यथापेक्षित आवधिक अंतरालों पर, ऐसे दस्तावेज, रिपोर्ट, अनुमान, विवरणियां, जिसमें वार्षिक लेख, कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न का विवरण, टेलीविजन चैनलों का विवरण या टेलीविजन चैनल वितरण सेवा पर संचालित की जा रही प्लेटफॉर्म सेवाओं का विवरण शामिल है, प्रस्तुत करेगी।

37. प्रचालन और कार्यान्वयन

(1) प्रत्येक प्राधिकृत निकाय—

(क) स्पेक्ट्रम के समनुदेशन(आबंटन) की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपना प्रचालन प्रारंभ करेगा और ऐसे प्रारंभ किए जाने की सूचना केंद्रीय सरकार को, विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्ररूप और रीति में, ऐसे प्रचालन प्रारंभ किए जाने के पंद्रह दिनों के भीतर देगा; और

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि उसका टेलीपोर्ट प्राधिकरण की संपूर्ण वैधता अवधि के लिए प्रचालनरत रहे।

(2) प्राधिकृत निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि उसका टेलीपोर्ट—

(क) केवल इन नियमों के अधीन प्राधिकृत टेलीविजन चैनल के सिग्नलों को अपलिंक करे, और ऐसे अपलिंकिंग की अवधि संबंधित टेलीविजन चैनल के संबंध में प्राधिकरण के साथ समान अवधि वाली हो; और

(ख) संबंधित प्राधिकरण को वापस लेने, निलंबित करने, प्रतिसंहरण या रद्द करने के संबंध में केंद्रीय सरकार के आदेश के अनुसरण में टेलीविजन चैनल के सिग्नल को अपलिंक करना बंद कर दे।

(3) प्राधिकृत निकाय, पोर्टल पर पंजीकरण प्राप्त करने और अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट शुल्क जमा करने के पश्चात्, विदेशी टेलीविजन चैनलों या निकाय को, उनके टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों को डाउनलिंक करने और तत्पश्चात् अन्य सैटेलाइट पर अपलिंक करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय टर्न-अराउंड सैटेलाइट सेवाएं प्रदान कर सकता है:

परंतु यह कि प्राधिकृत निकाय ऐसे सिग्नलों को भारत में वितरित नहीं करेगा, जब तक कि टेलीविजन चैनल को भारत में वितरण के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया हो।

(4) इस नियम के अधीन दायित्वों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में, केंद्रीय सरकार, अपने अधिकारों या किसी अन्य उपचार पर, जिसमें अध्याय 7 के अधीन न्यायनिर्णयन और अपील संबंधी उपचार भी शामिल हैं, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकृत निकाय द्वारा प्रस्तुत कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी को भुना सकती है या उसका विनियोजन कर सकती है।

38. वित्तीय शर्तें

(1) प्रथम वर्ष के लिए वार्षिक प्राधिकरण शुल्क का भुगतान, नियम 12 के उप-नियम (4) के अधीन आशय पत्र जारी किए जाने के पश्चात्, उसके जारी किए जाने के साठ दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा।

(2) प्राधिकृत निकाय, अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट वार्षिक प्राधिकरण शुल्क का भुगतान, ऐसे भुगतान की नियत तारीख से कम-से-कम तीस दिन पूर्व करेगा।

(3) नियत तारीख के पश्चात् भुगतान किए गए वार्षिक प्राधिकरण शुल्क पर, ऐसे भुगतान न किए जाने के प्रत्येक माह के लिए एक प्रतिशत की साधारण व्याज दर पर विलंब शुल्क अधिरोपित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: (1) विलंब शुल्क की गणना के प्रयोजन के लिए अपूर्ण महीनों को एक माह माना जाएगा।

(2) इस नियम के प्रयोजन के लिए, आगामी वर्ष के वार्षिक प्राधिकरण शुल्क की नियत तारीख टेलीपोर्ट के प्रचालन प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष होगी और इसी प्रकार आगे होगी।

भाग घ: प्राईवेट रेडियो सेवा

39. प्रचालन और कार्यान्वयन

(1) प्रत्येक प्राधिकृत निकाय—

- (क) स्पेक्ट्रम के समनुदेशन की तारीख से चौबीस महीनों की अवधि के भीतर अपना प्रचालन प्रारंभ करेगा और ऐसे प्रारंभ किए जाने की सूचना केंद्रीय सरकार को, विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्ररूप और रीति में, ऐसा प्रचालन प्रारंभ किए जाने के पंद्रह दिनों के भीतर देगा; और
- (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी सेवा प्राधिकरण की संपूर्ण वैधता अवधि के लिए प्रचालनरत रहे।
- (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी सेवा किसी भी कारण से, 365 दिनों की किसी निरंतर अवधि में, लगातार या रुक-रुक कर 180 दिनों से अधिक के लिए बंद न रहे।
- (घ) प्राईवेट रेडियो सेवा को फ्री-टू-एयर सेवा के रूप में प्रदान करेगा और ऐसे प्रसारण तक पहुंच के लिए कोई शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा;
- (ङ) केंद्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित लोक हित घोषणाओं वाले कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा, जो दिन के दौरान अंतरालों में अधिकतम एक घंटे प्रतिदिन के लिए होगा;
- (च) प्राधिकरण की संपूर्ण वैधता अवधि के दौरान हर समय अपनी प्राईवेट रेडियो सेवा पर पूर्ण संपादकीय और प्रचालनात्मक नियंत्रण बनाए रखेगा;
- (छ) खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझाकरण) अधिनियम, 2007 (2007 का 11) और उसके अधीन जारी सभी लागू दिशानिर्देशों और अधिसूचनाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा; और

- (ज) ऐसी सामग्री के पर्याप्त प्रचार के लिए, यह सुनिश्चित करेगा कि एक दिन में कुल प्रसारण का कम-से-कम बीस प्रतिशत स्थानीय सामग्री से युक्त हो।
- (2) प्राधिकृत निकाय, 'चैनल पहचान'(आईडेंटिटी), जो प्राइवेट रेडियो सेवा का ब्रांड नाम है, को केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही निर्धारित या संशोधित करेगा।
- (3) प्राधिकृत निकाय किसी अन्य प्राधिकृत निकाय के रेडियो चैनल के सिग्नलों का पुनः प्रसारण नहीं करेगा।
- (4) उप-नियम (3) के अधीन प्रतिबंध किसी अन्य प्राधिकृत निकाय के रेडियो चैनल के सिग्नलों के पुनः प्रसारण पर लागू नहीं होगा, जो एक सहायक कंपनी, होल्लिंग कंपनी, समान प्रबंधन वाली कंपनियों, या एक से अधिक अंतर-संबद्ध उपक्रम वाली कंपनियां हैं।
- (5) प्राधिकृत निकाय निम्नलिखित सेवाएं प्रदान नहीं करेगा:
- (क) समाचार से संबंधित संदेशों का प्रसारण, सिवाय नियम 41 के अधीन आकाशवाणी के अपरिवर्तित समाचार के; और
- (ख) व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए अभिप्रेत सेवाएं, जिसमें रेडियो पेजिंग भी शामिल है।
- (6) उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन दायित्वों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में, केंद्रीय सरकार, अपने अधिकारों या किसी अन्य उपचार पर, जिसमें अध्याय 7 के अधीन न्यायनिर्णयन और अपील संबंधी उपचार भी शामिल हैं, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकृत निकाय द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति निक्षेप को भुना सकती है या उसका विनियोजन कर सकती है।
- (7) प्राधिकृत निकाय उन भौगोलिक क्षेत्रों में, जहां प्रसार भारती की प्रसारण अवसंरचना उपलब्ध है, अपनी प्रसारण सुविधा का सह-स्थानीकरण करेगा।

40. वित्तीय शर्तें

प्राधिकृत निकाय, अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट वार्षिक प्राधिकरण शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान, जो पहली अप्रैल से प्रारंभ होता है, चार समान किस्तों में त्रैमासिक आधार पर अग्रिम रूप से, निम्नलिखित रीति से करेगा:

- (क) वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के संबंध में त्रैमासिक किस्त का भुगतान उस तिमाही के प्रारंभ होने के पंद्रह दिनों के भीतर, उस अंतिम वित्तीय वर्ष के समायोजित सकल राजस्व के आधार पर गणना करके किया जाएगा, जिसके लिए राजस्व निर्धारित किया गया है।
- (ख) प्रथम वर्ष का शुल्क, सेवा के प्रचालन प्रारंभ होने की तारीख या नियम 39 के उप-नियम (1) के खंड (क) में निर्धारित अवधि की समाप्ति, जो भी पहले हो, से देय हो जाएगा;
- (ग) प्राधिकृत निकाय को प्रारंभ में, वित्तीय वर्ष के अंत तक और उसके पश्चात् भी, प्रथम वर्ष के लिए समायोजित सकल राजस्व के निर्धारण तक, नीलामी में यथाप्रयोज्य और निर्धारित किए गए अप्रतिदेय एकबारगी प्रवेश शुल्क के 2.5 प्रतिशत या अप्रतिदेय एकबारगी प्रवेश शुल्क के 1.25 प्रतिशत के आधार पर गणना की गई अग्रिम त्रैमासिक किस्तों का भुगतान करना अपेक्षित होगा;
- (घ) प्रथम वर्ष के लिए समायोजित सकल राजस्व के निर्धारण के पश्चात्, त्रैमासिक किस्तें उस पिछले वर्ष के समायोजित सकल राजस्व के आधार पर निर्धारित की जाएंगी, जिसके लिए समायोजित सकल राजस्व निर्धारित किया गया है;
- (ङ) जब वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक प्राधिकरण शुल्क वास्तविक समायोजित सकल राजस्व के आधार पर निर्धारित किया जाता है और अप्रतिदेय एकबारगी प्रवेश शुल्क के विनिर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक पाया जाता है,

- तो प्राधिकृत निकाय ऐसे निर्धारण की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, और किसी भी स्थिति में आगामी वित्तीय वर्ष की तीस सितंबर से बाद नहीं, शेष राशि का एकमुश्त भुगतान करेगा;
- (च) दूसरे वर्ष से आगे, प्राधिकृत निकाय प्रत्येक तिमाही के पंद्रह दिनों के भीतर, उस पिछले वर्ष के आधार पर अग्रिम प्राधिकरण शुल्क का भुगतान करेगा, जिसके लिए समायोजित सकल राजस्व निर्धारित किया गया है, और अंतिम वार्षिक प्राधिकरण शुल्क यदि कोई हो, की देय शेष राशि का भुगतान आगामी वित्तीय वर्ष की तीस सितंबर तक करेगा;
- (छ) प्रथम वर्ष से, त्रैमासिक शुल्क का भुगतान करने में प्राधिकृत निकाय की ओर से किसी विलंब, या समायोजित सकल राजस्व के आंकड़े के आधार पर निर्धारित अंतिम प्राधिकरण शुल्क की देय शेष राशि के भुगतान में विलंब पर, ऐसे विलंब की अवधि के लिए एक प्रतिशत प्रति माह का साधारण व्याज अधिरोपित होगी;
- (ज) यदि त्रैमासिक शुल्क का भुगतान पहले पंद्रह दिनों के भीतर नहीं किया जाता है; त्रैमासिक शुल्क के लिए विलंब की गणना प्रत्येक तिमाही की पहली तारीख से की जाएगी।
- (झ) प्रथम प्राधिकरण शुल्क की देय शेष राशि के लिए विलंब की गणना आगामी वर्ष की पहली अक्तूबर से की जाएगी; और
- (ञ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, प्राधिकृत निकाय अपने अंतिम लेखों के भाग के रूप में समायोजित सकल राजस्व का एक विवरण, ऐसे प्ररूप और रीति में प्रस्तुत करेगा, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

41. समाचार और समसामयिक विषयक कार्यक्रम।

- (1) प्राधिकृत निकाय, प्रसार भारती के साथ पारस्परिक रूप से सहमत ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, आकाशवाणी के अपरिवर्तित समाचार बुलेटिनों का प्रसारण कर सकता है।
- (2) प्रसारण की निम्नलिखित श्रेणियों को गैर-समाचार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और प्राधिकृत निकायों द्वारा किया जा सकता है:
- (क) स्थानीय प्रकृति के खेल आयोजनों से संबंधित सूचना, जिसमें उनका सीधा प्रसारण भी शामिल है;
- (ख) यातायात और मौसम से संबंधित सूचना;
- (ग) सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों से संबंधित सूचना;
- (घ) परीक्षाओं, परिणामों, प्रवेश और कैरियर परामर्श से संबंधित सूचना;
- (ङ) रोजगार के अवसरों से संबंधित सूचना;
- (च) नागरिक सुविधाओं से संबंधित सूचना, जिसमें बिजली और पानी की आपूर्ति, प्राकृतिक आपदाओं और स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों के बारे में घोषणाएं शामिल हैं, जैसा कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है; और
- (छ) ऐसी अन्य श्रेणियों से संबंधित सूचना, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

42. प्राईवेट रेडियो सेवा के संबंध में रिपोर्टिंग अपेक्षा

प्राधिकृत निकाय, समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित, ऐसे दस्तावेज, रिपोर्ट, अनुमान, विवरणियां, जिसमें वार्षिक लेख भी शामिल हैं, कंपनी के शेयरधारण पैटर्न का विवरण या उसके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण प्रस्तुत करेगा।

भाग ड.: सामुदायिक रेडियो सेवा

43. प्रचालन और कार्यान्वयन

(1) प्रत्येक प्राधिकृत निकाय—

- (क) स्पेक्ट्रम के समनुदेशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपना प्रचालन प्रारंभ करेगा और ऐसे प्रारंभ किए जाने की सूचना केंद्रीय सरकार को, विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्ररूप और रीति में, ऐसा प्रचालन प्रारंभ किए जाने के पंद्रह दिनों के भीतर देगा;
- (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी सामुदायिक रेडियो सेवा प्राधिकरण की संपूर्ण वैधता अवधि के लिए प्रति दिन न्यूनतम दो घंटे की अवधि के लिए प्रचालनरत रहे;
- (ग) सामुदायिक रेडियो सेवा को फ्री-टू-एयर सेवा के रूप में प्रदान करेगा और ऐसे प्रसारण तक पहुंच के लिए कोई शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा;
- (घ) ट्रांसमीटर शक्ति के संबंध में विनिर्देशों का अनुपालन करेगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है;
- (ङ) प्रायोजित कार्यक्रमों का प्रसारण नहीं करेगा, सिवाय ऐसे कार्यक्रमों के जो लोक हित में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या अन्य संगठनों द्वारा प्रायोजित हों; और
- (च) अपनी चैनल पहचान(आईडेंटिटी) में “सामुदायिक रेडियो” शब्द का प्रमुखता से उल्लेख करेगा।

(2) प्रत्येक प्राधिकृत निकाय, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे सहायक दस्तावेजों के साथ, यथास्थिति, शासी निकाय के सदस्यों या न्यासी में परिवर्तन की सूचना, सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के लिए, देगा।

(3) यदि, शासी निकाय के किसी सदस्य या न्यासी के संबंध में, यथास्थिति सुरक्षा मंजूरी से इनकार किया जाता है, तो प्राधिकृत निकाय ऐसे व्यक्ति को शासी निकाय से तत्काल हटा देगा।

(4) प्राधिकृत निकाय, स्थानीय कार्यक्रमों, व्यवसायों, सेवाओं और रोजगार के अवसरों से संबंधित विज्ञापन और घोषणाओं का प्रसारण, प्रसारण के प्रति घंटे अधिकतम बारह मिनट की अवधि के लिए कर सकता है।

(5) उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन दायित्वों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में, केंद्रीय सरकार, अपने अधिकारों या किसी अन्य उपचार पर, जिसमें अध्याय 7 के अधीन न्यायनिर्णयन और अपील संबंधी उपचार भी शामिल हैं, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकृत निकाय द्वारा प्रस्तुत कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी को भुना सकती है या उसका विनियोजन कर सकती है।

44. सामुदायिक रेडियो सेवा के संबंध में संदेश**(1) प्रत्येक प्राधिकृत निकाय—**

- (क) अपने सामुदायिक रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले संदेशों की प्रकृति के संबंध में सलाह के लिए, स्थानीय समुदाय के सदस्यों से मिलकर एक सलाहकार और सामग्री समिति गठित करेगा, जिसमें पचास प्रतिशत महिलाएं होंगी;
- (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सामुदायिक रेडियो पर प्रसारित संदेश स्थानीय समुदाय के लिए तत्काल प्रासंगिक हों, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, सामाजिक कल्याण, संस्कृति और विकास से संबंधित विषय शामिल हों;
- (ग) समाचार से संबंधित किसी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं करेगा, सिवाय आकाशवाणी के अपरिवर्तित समाचार बुलेटिनों के, जिनका, यथा आवश्यकतानुसार हो, स्थानीय भाषा या बोली में अनुवाद किया जा सकता है; और
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि खंड (ग) के अधीन निर्दिष्ट आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन ऐसे अनुवाद के दौरान विकृत या संपादित न किए जाएं।

(2) प्रसारण की निम्नलिखित श्रेणियों को गैर-समाचार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और प्राधिकृत निकायों द्वारा प्रसारित जा सकता है:

- (क) स्थानीय प्रकृति के खेल आयोजनों से संबंधित सूचना, जिसमें उनका सीधा प्रसारण भी शामिल है;
- (ख) यातायात और मौसम से संबंधित सूचना;
- (ग) स्थानीय प्रकृति के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों से संबंधित सूचना;
- (घ) परीक्षाओं, परिणामों, प्रवेश और कैरियर परामर्श से संबंधित सूचना;
- (ङ) रोजगार के अवसरों से संबंधित सूचना;
- (च) नागरिक सुविधाओं से संबंधित सूचना, जिसमें बिजली और पानी की आपूर्ति, प्राकृतिक आपदाओं और स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों के बारे में घोषणाएं शामिल हैं, जैसा कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है; और
- (छ) ऐसी अन्य श्रेणियों से संबंधित सूचना, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

45. सामुदायिक रेडियो सेवा के संबंध में रिपोर्टिंग अपेक्षा

प्राधिकृत निकाय, समय-समय पर, केंद्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित ऐसे दस्तावेज, रिपोर्ट, अनुमान, विवरणियां, जिसमें वार्षिक लेखे भी शामिल हैं, या उसके द्वारा प्रदान की गई सामुदायिक रेडियो सेवा का विवरण भी शामिल है, प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 6: प्राधिकरण का अंतरण

46. इस अध्याय के अधीन परिभाषाएं

इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए:

- (1) किसी कंपनी के संबंध में “समूह कंपनी” से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जो अन्य कंपनी के समान प्रबंधन के अधीन है या जिसके अन्य कंपनी के समान प्रवर्तक हैं या जिस पर वह अन्य कंपनी महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण रखती है और इसमें सहयोगी कंपनी, सहायक कंपनी, होलिंग कंपनी या संयुक्त उद्यम कंपनी भी शामिल होगी।
- (2) “महत्वपूर्ण प्रभाव” से कुल प्रदत्त शेयर पूंजी के कम-से-कम बीस प्रतिशत पर नियंत्रण या करार के माध्यम से या अन्यथा निदेशक मंडल के कम-से-कम एक-तिहाई सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार अभिप्रेत है।
- (3) “लॉक-इन अवधि” से निम्नलिखित के संबंध में अभिप्रेत है:
 - (क) प्राइवेट रेडियो सेवाओं, के संबंध में, प्राधिकरण द्वारा शासित प्रत्येक रेडियो सेवा के प्रचालन प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि; और
 - (ख) टेलीविजन चैनलों और टेलीपोर्टों, के संबंध में, यथास्थिति, टेलीविजन चैनल या टेलीपोर्ट के प्रचालन प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि;
- (4) “अधिकरण” का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(90) में दिया गया है।

47. प्राधिकरण का अंतरण

- (1) किसी टेलीविजन चैनल, टेलीपोर्ट या प्राइवेट रेडियो सेवा का अंतरण, लॉक-इन अवधि के पश्चात्, किसी प्राधिकृत निकाय द्वारा किसी अन्य निकाय को केवल केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जा सकेगा।
- (2) उप-नियम (1) के अधीन कोई अंतरण केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुमत होगा:
 - (क) विलय या विभाजन या समामेलन को कंपनी अधिनियम, 2013 या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार न्यायालय या अधिकरण द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया गया हो, और प्राधिकृत निकाय उक्त योजना को मंजूर करने वाले न्यायालय या अधिकरण के आदेश की एक प्रति दाखिल करता है;
 - (ख) लागू विधि के उपबंधों के अनुसार कारोबार या उपक्रम का अंतरण किया गया हो, और प्राधिकृत निकाय अपने और अंतरिती निकाय के बीच निष्पादित करार या व्यवस्था की एक प्रति दाखिल करता है;
 - (ग) समूह कंपनी के भीतर अंतरण किया गया हो, और कंपनी यह कहते हुए एक वचनबंध प्रस्तुत करती है कि अंतरण समूह कंपनियों के भीतर है।
- (3) टेलीविजन चैनल, टेलीपोर्ट या प्राइवेट रेडियो सेवा का, यथास्थिति, अंतरण निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगा:-
 - (क) नया निकाय इन नियमों के अधीन पात्रता मानदंडों के अनुसार पात्र हो, जिसमें निवल मूल्य की आवश्यकता भी शामिल है और निकाय तथा उसके प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की सुरक्षा मंजूरी प्राप्त हो; और
 - (ख) नया निकाय इस प्रकार प्रदान किए गए प्राधिकरण के सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने का वचन देता है।
- (4) टेलीविजन चैनल वितरण सेवाओं के लिए प्राधिकरण, सरकार की पूर्वानुमति के बिना अंतरणीय नहीं होगा।
- (5) टेलीविजन समाचार एजेंसियों तथा सामुदायिक रेडियो सेवाओं के लिए प्राधिकरण अंतरणीय नहीं होगा।

अध्याय 7: न्यायनिर्णयन और अपील

48. निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन

- (1) किसी प्राधिकृत निकाय द्वारा प्राधिकरण के निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन, अधिनियम की धारा 32 का उल्लंघन माना जाएगा, और ऐसे उल्लंघन का न्यायनिर्णयन तथा ऐसे न्यायनिर्णयन से कोई अपील इस अध्याय द्वारा शासित होगी।
- (2) न्यायनिर्णयन प्रक्रिया के अनुसरण में, प्राधिकरण के निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन के लिए सिविल शास्तियों का वर्गीकरण, अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (3) के अधीन सूचीबद्ध कारकों को ध्यान में रखते हुए, अनुसूची 4 में यथा-विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

49. न्यायनिर्णयन अधिकारी

केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा—

- (क) अधिनियम के अध्याय VIII के अधीन जांच करने के लिए, संयुक्त सचिव के समकक्ष स्तर के किसी केंद्रीय सरकार के अधिकारी को एक या अधिक न्यायनिर्णयन अधिकारियों के रूप में नियुक्त कर सकती है; और
- (ख) यदि एक से अधिक न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, तो उन मामलों और स्थानों को विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिनके संबंध में ऐसे अधिकारी अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेंगे।

50. नामोदित अपील समिति

केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा—

- (क) अपर सचिव के समकक्ष स्तर के केंद्रीय सरकार के अधिकारियों को एक या अधिक नामोदित अपील समितियों के सदस्यों के रूप में नियुक्त कर सकती है, जिनके समक्ष न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है; और
- (ख) यदि एक से अधिक नामोदित अपील समितियां हैं, तो उन मामलों और स्थानों को विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिनके संबंध में ऐसी समितियां अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेंगी।

51. न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जांच

- (1) न्यायनिर्णयन अधिकारी, अधिनियम की धारा 32 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण के निबंधनों और शर्तों के किसी उल्लंघन का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकता है, जिसमें अभिकथित उल्लंघन और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के लागू उपबंधों को विनिर्दिष्ट किया गया हो, और उससे यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकता है कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर उसके विरुद्ध जांच क्यों न की जाए।
- (2) न्यायनिर्णयन अधिकारी, अधिनियम की धारा 33 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी उल्लंघन का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, स्वप्रेरणा से, या किसी शिकायत के प्रथमदृष्टया आकलन पर, ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकता है, जिसमें अभिकथित उल्लंघन और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के लागू उपबंधों को विनिर्दिष्ट किया गया हो, और उससे यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकता है कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर उसके विरुद्ध जांच क्यों न की जाए।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट शिकायत, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे प्ररूप और रीति में की जाएगी, जिसके साथ पांच हजार रुपये की फीस, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी शिकायतकर्ता की पहचान का प्रमाण और अभिकथित उल्लंघन के समर्थन में संबंधित दस्तावेज या अभिलेख या कोई अन्य साक्ष्य संलग्न होगा:

परंतु यह कि यहां विनिर्दिष्ट फीस या शिकायतकर्ता का अपेक्षित पहचान प्रमाण या अभिकथित उल्लंघन के समर्थन में दस्तावेज या अभिलेख या साक्ष्य के बिना दायर की गई किसी शिकायत पर न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(4) जिस व्यक्ति को उप-नियम (1) या (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, वह ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न्यायनिर्णयन अधिकारी को लिखित उत्तर प्रस्तुत करेगा या ऐसी अवधि के विस्तार के लिए उसके कारणों सहित अनुरोध करेगा:

परंतु यह कि उसके कारणों सहित अधिकारी, विस्तार के लिए लिखित अनुरोध पर विचार करने के पश्चात्, उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय को पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि तक नहीं बढ़ा सकता है।

(5) न्यायनिर्णयन अधिकारी, उप-नियम (1) या (2) के अधीन नोटिस जारी किए गए व्यक्ति से प्राप्त साक्ष्य और लिखित उत्तर, यदि कोई हो, के आकलन पर, यदि यह निर्धारित करता है कि अधिनियम की धारा 32 या 33 के अधीन जांच आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं, तो ऐसा अधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों सहित, कार्यवाही को समाप्त कर सकता है।

(6) यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी, उप-नियम (1) या (2) के अधीन नोटिस जारी किए गए व्यक्ति से प्राप्त साक्ष्य और लिखित उत्तर, यदि कोई हो, के आकलन पर, यह निर्धारित करता है कि अधिनियम की धारा 32 या 33 के अधीन जांच आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति को, जिस पर उल्लंघन या अवहेलना किए जाने का आरोप है, नोटिस जारी कर सकता है, जिसमें ऐसे व्यक्ति की सुनवाई के लिए तारीख विनिर्दिष्ट की गई हो।

(7) उप-नियम (6) के अधीन सुनवाई के लिए नियत तारीख को या किसी अन्य दिन, जिस दिन ऐसी सुनवाई स्थगित की जा सकती है, ऐसा व्यक्ति, स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा और जांच की विषय-वस्तु से संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

(8) न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा की जाने वाली किसी जांच का निपटारा उसके द्वारा यथासंभव शीघ्रता से किया जाएगा और उसके द्वारा उप-नियम (6) के अधीन नोटिस जारी किए जाने की तारीख से छह माह के भीतर जांच पूरी करने और आदेश पारित करने का प्रयास किया जाएगा:

परंतु यह कि जहां उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश पारित नहीं किया जा सका, वहां न्यायनिर्णयन अधिकारी उस अवधि के भीतर ऐसा आदेश पारित न किए जाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।

52. न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश

(1) जांच पूरी होने पर और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात्, न्यायनिर्णयन अधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) के खंड (क) या धारा 33 की उप-धारा (1) के अधीन आदेश पारित करेगा:

परंतु यह कि जहां वह व्यक्ति, जिसे सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया गया है, सुनवाई के लिए उपस्थित होने में विफल रहता है, वहां न्यायनिर्णयन अधिकारी एकपक्षीय आदेश पारित कर सकता है।

(2) न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश, अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (4) के अधीन प्रस्तुत स्वैच्छिक वचनबंध, यदि कोई हो, पर भी विचार करेगा।

53. स्वैच्छिक वचनबंध का अनुपालन न करना

(1) यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं कि कोई प्राधिकृत निकाय अधिनियम की धारा 34 के अधीन स्वीकृत स्वैच्छिक वचनबंध के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहा है, तो वह ऐसे प्राधिकृत निकाय को नोटिस जारी करेगा, जिसमें अभिकथित गैर अनुपालन को विनिर्दिष्ट किया गया हो और ऐसे निकाय को यह कारण बताने का अवसर प्रदान करेगा कि अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (8) के अधीन सिविल (दीवानी) शास्तियां क्यों न अधिरोपित की जाएं।

(2) प्राधिकृत निकाय, उप-नियम (1) के अधीन नोटिस का उत्तर उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर देगा।

(3) यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी, तथ्यों के अपने आकलन और उप-नियम (2) के अधीन प्रस्तुत उत्तर, यदि कोई हो, के आधार पर, स्वैच्छिक वचनबंध का अनुपालन न किया जाना पाता है, तो वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों सहित एक आदेश पारित करेगा, जिसमें यथाप्रयोज्य, अधिनियम की द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट सिविल शास्तियां अधिरोपित की जा सकती हैं।

54. नामोदिष्ट अपील समिति को अपील

(1) नियम 52 या 53 के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, दस हजार रुपये की फीस के साथ, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की एक प्रति के साथ अपील कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन अपील प्राप्त होने पर, नामित अपील समिति, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसे आदेश पारित कर सकती है, जैसा वह उचित समझे, जिसमें अपील किए गए आदेश की पुष्टि, संशोधन या उसे अपास्त करना शामिल है।

(3) नामित अपील समिति उसके समक्ष दायर अपीलों का निपटारा यथासंभव शीघ्रता से करेगी और ऐसी अपील दायर किए जाने की तारीख से छह माह के भीतर अपील का निपटारा करने का प्रयास करेगी:

परंतु यह कि जहां उप-नियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी अपील का निपटारा नहीं किया जा सका, वहां नामित अपील समिति उस अवधि के भीतर ऐसी अपील का निपटारा न किए जाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगी।

55. न्यायनिर्णयन अधिकारी और नामित अपील समिति के समक्ष कार्यवाहियां

न्यायनिर्णयन अधिकारी और नामित अपील समिति को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) किसी व्यक्ति को समन करने और उसकी उपस्थिति प्रवर्तित करने तथा ऐसे व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा करने की शक्ति;

(ख) दस्तावेजों की खोज और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी डेटा, पुस्तक, दस्तावेज, रजिस्टर, लेखा पुस्तकों या किसी अन्य दस्तावेज का निरीक्षण करना;

(ङ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियों की मांग करना;

(च) अंतरिम आदेश जारी करना; और

(छ) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लागत अधिरोपित करना।

56. नोटिसों की तामील और आदेशों का प्रकाशन।

(1) इन नियमों के अधीन जारी किया गया कोई नोटिस किसी व्यक्ति पर निम्नलिखित में से किसी रीति से तामील किया जाएगा, अर्थात्—

- (क) ई-मेल पत्राचार के माध्यम से उस व्यक्ति या उसके विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि को नोटिस प्रदान करना या सुपुर्द करके; या
- (ख) पावती सहित रजिस्टर्ड डाक द्वारा उसके निवास स्थान के पते या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान के पते पर, या उस स्थान पर जहां वह कारोबार करता था या अंतिम बार कारोबार करता था या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कार्य करता है या अंतिम बार कार्य करता था, नोटिस भेजकर; या
- (ग) उस परिसर के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य प्रमुख स्थान पर नोटिस चिपकाकर, जिसमें वह व्यक्ति निवास करता है, या जिसके बारे में ज्ञात है कि उसमें वह अंतिम बार निवास करता था, या कारोबार करता था या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कार्य करता है या अंतिम बार कार्य करता था, और उसकी लिखित रिपोर्ट दो व्यक्तियों द्वारा साक्ष्यित की जाएगी; या
- (घ) यदि खंड (क), (ख) या (ग) के अधीन नोटिस की तामील नहीं की जा सकती है, तो ऐसे प्रमुख समाचार पत्र में, जिसका उस क्षेत्र या अधिकारिता में व्यापक प्रसार है, जिसमें वह व्यक्ति निवास करता है, या जिसके बारे में ज्ञात है कि उसमें वह अंतिम बार निवास करता था या कारोबार करता था या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कार्य करता है या अंतिम बार कार्य करता था, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित करके; और
- (ङ) पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित करके।

(2) न्यायनिर्णयन अधिकारी या नामोदिष्ट अपील समिति द्वारा जारी किए गए किसी आदेश में उसके कारणों का उल्लेख होगा, उस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे, और उसे उप-नियम (1) के खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट रीति से प्रकाशित किया जाएगा।

57. बकाया राशि की वसूली

वसूली के अन्य तरीकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों के अधीन देय कोई भी राशि, यदि भुगतान नहीं की जाती है, तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

अध्याय 8: विविध

58. प्राधिकरण का अभ्यर्पण।

(1) इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए प्राधिकरण का अभ्यर्पण करने का इच्छुक प्राधिकृत निकाय, प्रस्तावित अभ्यर्पण की तारीख से कम-से-कम साठ दिन पूर्व, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे प्ररूप और रीति में, एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) प्राधिकृत निकाय—

- (क) उप-नियम (1) के अधीन अभ्यर्पण के लिए आवेदन के साथ, ऐसे आवेदन किए जाने की तारीख को अधिनियम और इन नियमों के अधीन देय और देयक सभी लंबित राशियों, जिसमें शुल्क भी शामिल हैं, के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा; और

(ख) ऐसे अभ्यर्पण की प्रस्तावित तारीख से कम-से-कम साठ दिन पूर्व, सभी संबंधित और प्रभावित पक्षकारों को, जिसमें प्रसारण सेवा के उपयोगकर्ता और ऐसा कोई अन्य प्राधिकृत निकाय, जिसे ऐसे प्राधिकृत निकाय द्वारा प्रसारण सेवाएं, प्रसारण नेटवर्क या प्रसारण उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं, भी शामिल है, को ऐसे अभ्यर्पण की अग्रिम सूचना देगा।

(3) केंद्रीय सरकार उप-नियम (1) के अधीन आवेदन को या तो स्वीकार या अस्वीकार करेगी, और ऐसा कोई अस्वीकरण लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों सहित होगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन अभ्यर्पण के आवेदन को स्वीकार किए जाने पर, केंद्रीय सरकार बकाया राशि, यदि कोई हो, के समायोजन के अधीन प्रतिभूति जमा वापस करेगी।

(5) प्राधिकृत निकाय द्वारा प्राधिकरण के अभ्यर्पण से संबंधित विवरण केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसे प्राधिकृत निकाय द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने के अड़तालीस घंटे के भीतर उसे सार्वजनिक किया जाएगा।

59. अधिनियम की धारा 32 के अधीन सिफारिशों पर कार्रवाई

(1) अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन सिफारिशों के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार, संबंधित प्राधिकृत निकाय को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के अधीन, अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकरण के निलंबन, प्रतिसंहरण या परिसीमन का आदेश पारित कर सकती है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन पारित ऐसा कोई आदेश केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे आदेश की तारीख से इकसठवें दिन से प्रभावी होगा।

(3) प्राधिकृत निकाय, आदेश के अड़तालीस घंटे के भीतर, अपने सभी उपयोगकर्ताओं को, साथ ही इन नियमों के अधीन उन अन्य प्राधिकृत निकायों को, जिन्हें प्रसारण सेवाएं या नेटवर्क प्रदान किए जा रहे हैं, उन्हें कम-से-कम तीस दिन को नोटिस देगा और इसे सार्वजनिक करेगा।

(4) प्राधिकृत निकाय, यदि ऐसा प्राधिकरण निलंबित, परिसीमित या प्रतिसंहृत किया जाता है, तो प्राधिकरण के संबंध में या उसके अधीन भुगतान किए गए किसी शुल्क या प्रभार की वापसी का हकदार नहीं होगा, सिवाय प्रतिभूति निक्षेप के, जिसे बकाया राशि, यदि कोई हो, के समायोजन के अधीन वापस किया जाएगा:

परंतु यह कि जिस अवधि के लिए प्राधिकरण पूर्णतः निलंबित रहता है, उस अवधि के लिए कोई प्राधिकरण शुल्क देय नहीं होगा।

(5) केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकरण के निलंबन, परिसीमन या प्रतिसंहरण को, यदि प्राधिकृत निकाय द्वारा केंद्रीय सरकार की संतुष्टि के अनुसार गंभीर उल्लंघन का निवारण कर दिया जाता है, वापस ले सकती है।

(6) अधिनियम के अधीन प्राधिकरण का कोई निलंबन, प्राधिकरण की वैधता अवधि के विस्तार का कारण या आधार नहीं होगा।

60. प्राधिकरण का प्रतिसंहरण

(1) केंद्रीय सरकार, अपने लिए उपलब्ध किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारा, निम्नलिखित रीति से प्राधिकरण का प्रतिसंहरण कर सकती है, अर्थात्:—

(क) यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि किसी प्राधिकृत निकाय द्वारा किसी आवेदन के प्रसंस्करण के दौरान प्रदान किए गए अभ्यावेदन, प्रस्तुतियां या दस्तावेजों में से कोई असत्य था; या

- (ख) यदि किसी प्राधिकृत निकाय को परिसमापन में रखे जाने का निर्देश दिया जाता है या उसे समापन किए जाने का आदेश दिया जाता है।
- (2) केंद्रीय सरकार, उप-नियम (1) के खंड (क) में निर्धारित परिस्थिति के घटित होने पर, प्रतिसंहरण के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करेगी, जिसमें उसका उत्तर देने के लिए इक्कीस दिनों तक की अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी।
- (3) केंद्रीय सरकार, उप-नियम (2) के अधीन जारी कारण बताओ नोटिस के उत्तर, यदि कोई हो, और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर सम्यक् विचार करने के पश्चात्, आदेश द्वारा ऐसे निकाय के प्राधिकरण का प्रतिसंहरण कर सकती है।
- (4) प्राधिकरण के प्रतिसंहरण का कोई आदेश, जो—
- (क) उप-नियम (3) के अधीन; या
- (ख) उप-नियम (1) के खंड (ख) के अधीन परिस्थिति के संबंध में,
- जारी किया गया है, केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे आदेश की तारीख से इकसठवें दिन से प्रभावी होगा।

61. प्रसार भारती के माध्यम से प्रसारण सेवाओं का प्रावधान।

- (1) निम्नलिखित निकाय, जो प्रसारण सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, ऐसा केवल प्रसार भारती के माध्यम से करेंगे, सिवाय सामुदायिक रेडियो सेवा के मामले में, जो केंद्रीय सरकार से प्राधिकरण प्राप्त करने के पश्चात् प्रदान की जा सकती है: -
- (क) केंद्रीय सरकार;
- (ख) राज्य सरकार;
- (ग) स्थानीय प्राधिकरण; या
- (घ) खंड (क) से (ग) में विनिर्दिष्ट निकायों द्वारा या किसी विधि के अधीन निगमित या स्थापित कोई प्राधिकरण, निकाय, कंपनी या संस्था।

62. केंद्रीय सरकार की शक्तियां।

- (1) केंद्रीय सरकार, इन नियमों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे निदेश या दिशानिर्देश जारी कर सकती है, जो अधिनियम या इन नियमों के असंगत न हों।
- (2) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इन नियमों की अनुसूचियों में संशोधन कर सकती है।

अनुसूची 1

(नियम 3(3) और 31(2) देखें)

इन नियमों के अधीन प्राधिकरण की आवश्यकता से छूट प्राप्त संस्थाएं निम्नलिखित हैं:

- (क) भारतीय संसद; और
- (ख) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) के अधीन स्थापित प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)।

अनुसूची 2

(नियम 5(2), 6(4), 7(1) और 9(2) देखें)

आवश्यक न्यूनतम निवल मूल्य

क्र. सं.	प्राधिकरण का प्रकार	आवश्यक निवल मूल्य (करोड़ रु.)
1.	टेलीविजन चैनल	
	(क) पहले गैर-समाचार चैनल के लिए	5
	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त गैर-समाचार चैनल के लिए	2.5
	(ग) पहले समाचार चैनल के लिए	20
	(घ) प्रत्येक अतिरिक्त समाचार चैनल के लिए	5
2.	टेलीविजन चैनल वितरण सेवा	
	(क) डायरेक्ट-टू-होम सेवा	10
	(ख) हेड-एंड इन द स्काई सेवा	10
3.	टेलीपोर्ट	
	(क) पहले टेलीपोर्ट के लिए	3
	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त टेलीपोर्ट के लिए	1
4.	टेलीविजन के लिए समाचार एजेंसी	शून्य
5.	प्राइवेट रेडियो सेवा (एक क्षेत्र के लिए आवश्यक निवल मूल्य)	
	(क) 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले ए+ और ए श्रेणी के शहर	3
	(ख) 10 लाख से 20 लाख के बीच जनसंख्या वाले 'बी' श्रेणी के शहर	2
	(ग) 3 लाख से 10 लाख के बीच जनसंख्या वाले 'सी' श्रेणी के शहर	1
	(घ) 1 लाख से 3 लाख के बीच जनसंख्या वाले 'डी' श्रेणी के शहर और 1 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर	0.50
	(ङ) सभी क्षेत्रों में सभी श्रेणियों के शहर	10
6.	सामुदायिक रेडियो सेवा	शून्य

स्पष्टीकरण:

उपरोक्त क्रम संख्या 5 के संबंध में निम्नलिखित लागू होगा:

(1) "क्षेत्र" में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) उत्तर क्षेत्र, जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं;

(ख) पूर्व क्षेत्र, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं;

(ग) दक्षिण क्षेत्र, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं; और

(घ) पश्चिम क्षेत्र, जिसमें छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य और दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

(2) एक ही क्षेत्र के स्थित भीतर दो या अधिक शहरों के लिए, उस क्षेत्र में शहर की उच्चतम श्रेणी के अनुरूप निवल मूल्य अपेक्षित होगा। दो या अधिक भिन्न क्षेत्रों में स्थित दो या अधिक शहरों के लिए, निवल मूल्य की आवश्यकता प्रत्येक क्षेत्र में शहरों की उच्चतम श्रेणी के लिए अपेक्षित निवल मूल्य का योग होगी। हालांकि, अपेक्षित अधिकतम निवल मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।

उदाहरण: -

क्र. सं.	क्षेत्र	शहर	अपेक्षित निवल मूल्य
1.	एकल क्षेत्र	'ए+' श्रेणी और 'सी' श्रेणी वाले दो शहर	निवल मूल्य की आवश्यकता ए+ शहर के अनुरूप 3 करोड़ रु. होगी।
2.	दो अलग-अलग क्षेत्र	(क) प्रथम क्षेत्र में 'बी' श्रेणी और 'सी' श्रेणी के शहर; (ख) द्वितीय क्षेत्र में 'सी' श्रेणी का शहर	निवल मूल्य की आवश्यकता 'बी' और 'सी' श्रेणी के शहरों के लिए अपेक्षित निवल मूल्य का योग होगी, अर्थात् 2 करोड़ रु. + 1 करोड़ रु. = 3 करोड़ रु.।
3.	तीन अलग-अलग क्षेत्र	(क) प्रथम क्षेत्र में 'ए' श्रेणी और 'बी' श्रेणी के शहर (ख) द्वितीय क्षेत्र में 'बी' श्रेणी, 'सी' श्रेणी और 'डी' श्रेणी के शहर (ग) दो 'सी' श्रेणी के शहर	निवल मूल्य की आवश्यकता 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणी के शहरों के लिए अपेक्षित निवल मूल्य का योग होगी, अर्थात् 3 करोड़ रु. + 2 करोड़ रु. + 1 करोड़ रु. = 6 करोड़ रु.।
4.	चार अलग-अलग क्षेत्र	(क) प्रथम क्षेत्र में 'ए' श्रेणी का शहर; (ख) द्वितीय क्षेत्र में 'ए+' श्रेणी का शहर;	निवल मूल्य 3 करोड़ रु. + 3 करोड़ रु. + 2 करोड़ रु. + 3 करोड़ रु. = 11 करोड़ रु. होगा; हालांकि, 10 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा के कारण, निवल मूल्य की आवश्यकता 10 करोड़ रु. होगी।

		(ग) तृतीय क्षेत्र में 'बी' श्रेणी का शहर; (घ) चतुर्थ क्षेत्र में 'ए' श्रेणी का शहर;	
--	--	---	--

अनुसूची 3

(नियम 11(1), 12(4), 14(1), 20(1), 20(2), 24(2), 24(7), 27(1), 28(1), 29(2), 33(1), 35(1), 38(2) और 40 देखें)

शुल्क

क. टेलीविजन चैनल

क्र. सं.	विवरण	लागू शुल्क	
1.	आवेदन प्रसंस्करण शुल्क (अप्रतिदेय)	(क) टेलीविजन चैनल के नए प्राधिकरण, या उसके नवीकरण, या श्रेणी में परिवर्तन, या प्रसारण के माध्यम में परिवर्तन के लिए: 10,000/- रु.। (ख) टेलीविजन चैनल के लिए टेलीपोर्ट में परिवर्तन के लिए : 10,000/- रु.। (ग) स्थानांतरण (माइग्रेशन) के लिए : शून्य	
2.	कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी	प्रत्येक समाचार चैनल के लिए 2,00,00,000/- रु., प्राधिकरण की प्रभावी तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए, जिसे प्राधिकृत संस्था को प्राधिकरण के दायरे में विनिर्दिष्ट चैनल का परिचालन शुरू होने पर वापस कर दिया जाएगा। प्रत्येक गैर-समाचार चैनल के लिए 1,00,00,000/- रु., प्राधिकरण की प्रभावी तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए, जिसे प्राधिकृत संस्था को प्राधिकरण के दायरे में विनिर्दिष्ट चैनल का परिचालन शुरू होने पर वापस कर दिया जाएगा	
3.	वार्षिक प्राधिकरण शुल्क	स्थलीय पारेषण माध्यम के माध्यम से प्रसारित होने वाला टेलीविजन चैनल	7,00,000/- रु. प्रति टेलीविजन चैनल
		टेलीविजन चैनल की अपलंकिंग	2,00,000/- रु. प्रति टेलीविजन चैनल
		टेलीविजन चैनल की डाउनलंकिंग	भारत से अपलंक किया गया: 5,00,000/- रु. प्रति टेलीविजन चैनल
			भारत के बाहर से अपलंक किया गया: 15,00,000/- रु. प्रति टेलीविजन चैनल
4.	भारत के राज्यक्षेत्र से सृजित न होने वाले टेलीविजन चैनल के संबंध में पंजीकरण शुल्क (एकवारगी)	10,00,000/- रु., वार्षिक प्राधिकरण शुल्क के अतिरिक्त।	

क्र. सं.	विवरण	लागू शुल्क
5.	प्रतिभूति निक्षेप (सिक्योरिटी डिपोजिट)	संबंधित गतिविधि के लिए वार्षिक प्राधिकरण शुल्क के संबंध में विनिर्दिष्ट राशि की दो गुनी राशि, जिसे केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से, प्राधिकरण की संपूर्ण वैधता अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा।
6.	अन्य शुल्क	(क) टेलीविजन चैनल के नाम और लोगो में परिवर्तन के लिए: 1,00,000/- रु। (ख) गैर-समाचार चैनल द्वारा किसी कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के लिए : • राष्ट्रीय चैनल: 1,00,000/- रु. प्रति टेलीविजन चैनल प्रति दिन; • क्षेत्रीय चैनल: 50,000/- रु. प्रति टेलीविजन चैनल प्रति दिन; • धार्मिक चैनल: कोई शुल्क नहीं।

स्पष्टीकरण: इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए:

- (क) “राष्ट्रीय चैनल” से ऐसा टेलीविजन चैनल अभिप्रेत है जो क्षेत्रीय चैनल के अलावा कोई अन्य हो;
- (ख) “क्षेत्रीय चैनल” से ऐसा टेलीविजन चैनल अभिप्रेत है जो अंग्रेजी या हिंदी के अलावा किसी भारतीय भाषा में प्रसारण करता है; और
- (ग) “धार्मिक चैनल” से ऐसा कोई गैर-समाचार चैनल अभिप्रेत है जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस आकलन के आधार पर मान्यता दी गई हो कि ऐसा चैनल मुख्य रूप से धार्मिक, आध्यात्मिक या योग-संबंधी विषय-वस्तु का प्रसारण करता है।

ख. डायरेक्ट-टू-होम सेवा

क्र. सं.	विवरण	लागू शुल्क
1.	आवेदन प्रसंस्करण शुल्क (अप्रतिदेय)	(क) नए प्राधिकरण के लिए, या उसके नवीकरण के लिए: 10,000/- रु. (ख) स्थानांतरण (माइग्रेशन) के लिए: शून्य
2.	प्रवेश शुल्क (अप्रतिदेय, एकवारगी)	10,00,00,000/- रु.
3.	वार्षिक प्राधिकरण शुल्क	समायोजित सकल राजस्व का 8 प्रतिशत या प्रवेश शुल्क का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

क्र. सं.	विवरण	लागू शुल्क
4.	सुरक्षा जमा राशि	5,00,00,000/- रु. या दो तिमाहियों के समतुल्य अनुमानित प्राधिकरण शुल्क और अन्य देय राशि, जो अन्यथा प्रतिभूतिकृत नहीं है, इनमें से जो अधिक हो, जिसे प्राधिकरण की संपूर्ण वैधता अवधि के लिए बैंक गारंटी के रूप में बनाए रखा जाएगा।

ग. हेड-एंड इन द स्काई सेवा

क्र. सं.	विवरण	लागू शुल्क
1.	आवेदन प्रसंस्करण शुल्क (अप्रतिदेय)	(क) नए प्राधिकरण के लिए, या उसके नवीकरण के लिए: 10,000/-रु. (ख) स्थानांतरण (माइग्रेशन) के लिए: शून्य
2.	प्रवेश शुल्क (अप्रतिदेय, एकबारगी)	10,00,00,000/- रु.
3.	कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी	5,00,00,000/- रु., प्राधिकरण की प्रभावी तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखी जाएगी, जिसे प्राधिकृत संस्था को प्राधिकरण के दायरे में विनिर्दिष्ट हेड-एंड इन द स्काई सेवा का परिचालन शुरू होने पर वापस कर दिया जाएगा।

घ. टेलीपोर्ट

क्र. सं.	विवरण	लागू शुल्क
1.	आवेदन प्रसंस्करण शुल्क (अप्रतिदेय)	(क) नए प्राधिकरण के लिए, या उसके नवीकरण के लिए: 10,000/- रु. (ख) अंतरराष्ट्रीय टेलीविजन टर्नअराउंड सेवा के लिए: 10,000/- रु. प्रति टेलीविजन चैनल (ग) स्थानांतरण के लिए: शून्य
2.	कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी	25,00,000/- प्रति टेलीपोर्ट प्रति सैटेलाइट, प्राधिकरण की प्रभावी तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए, जिसे प्राधिकृत संस्था को प्राधिकरण के दायरे में विनिर्दिष्ट टेलीपोर्ट का परिचालन शुरू होने पर वापस कर दिया जाएगा।
3.	वार्षिक प्राधिकरण शुल्क	2,00,000/- रु. प्रति टेलीपोर्ट प्रति उपग्रह
4.	प्रतिभूति निक्षेप	4,00,000/- रु. प्रति टेलीपोर्ट प्रति सैटेलाइट, जिसे केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से, प्राधिकरण की संपूर्ण वैधता अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा।

क्र. सं.	विवरण	लागू शुल्क
5.	विदेशी टेलीविजन चैनल या संस्था द्वारा लाइव कार्यक्रम के अपलिकिंग के लिए शुल्क	1,00,000/- रु. प्रति दिन

ड. टेलीविजन के लिए समाचार एजेंसी

क्र. सं.	विवरण	लागू शुल्क
1.	आवेदन प्रसंस्करण शुल्क (अप्रतिदेय)	(क) नए प्राधिकरण के लिए, या उसके नवीकरण के लिए: 10,000/-रु. (ख) स्थानांतरण (माइग्रेशन) के लिए : शून्य

च. प्राइवेट रेडियों सेवा

क्र. सं.	विवरण	लागू शुल्क
1.	आवेदन प्रसंस्करण शुल्क (अप्रतिदेय)	नए प्राधिकरण के लिए: 50,000/- रु.
2.	अप्रतिदेय एकबारगी प्रवेश शुल्क	आवेदन आमंत्रित करने वाली सूचना के अनुसरण में आयोजित नीलामी में यथा निर्धारित शुल्क के अनुसार।
3.	वार्षिक प्राधिकरण शुल्क	(क) निम्नलिखित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शहरों को छोड़कर समायोजित सकल राजस्व का 4 प्रतिशत: - जम्मू और कश्मीर; - लद्दाख; - अरुणाचल प्रदेश; - असम; - मणिपुर; - मेघालय; - मिजोरम; - नागालैंड; - सिक्किम; - त्रिपुरा; - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; और - लक्षद्वीप।

क्र. सं.	विवरण	लागू शुल्क
		(ख) उपर्युक्त (क) में सूचीबद्ध राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शहरों के संबंध में, वार्षिक प्राधिकरण शुल्क प्राधिकरण की प्रभावी तिथि से प्रारंभिक तीन वर्ष की अवधि के लिए समायोजित सकल राजस्व का 2 प्रतिशत और उसके बाद समायोजित सकल राजस्व का 4 प्रतिशत होगा।
4.	प्रतिभूति निक्षेप	(क) निम्नलिखित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शहरों को छोड़कर, अप्रतिदेय एकबारगी प्रवेश शुल्क का 2.5 प्रतिशत, जिसे केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से, प्राधिकरण की प्रभावी तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा,: • जम्मू और कश्मीर; • लद्दाख; • अरुणाचल प्रदेश; • असम; • मणिपुर; • मेघालय; • मिजोरम; • नागालैंड; • सिक्किम; • त्रिपुरा; • अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; और • लक्षद्वीप। (ख) उपर्युक्त (क) में सूचीबद्ध राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शहरों के संबंध में, अप्रतिदेय एकबारगी प्रवेश शुल्क का 1.25 प्रतिशत, जिसे केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से प्राधिकरण की प्रभावी तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा। (ग) प्राधिकरण की प्रभावी तिथि से एक वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष के लिए, उस वर्ष के वार्षिक प्राधिकरण शुल्क के समतुल्य राशि, जिसे केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से बनाए रखा जाएगा।

छ. सामुदायिक रेडियो सेवा

क्र. सं.	विवरण	लागू शुल्क
1.	आवेदन प्रसंस्करण शुल्क (अप्रतिदेय)	(क) नए प्राधिकरण के लिए, या उसके नवीकरण के लिए: 2,500/- रु. (ख) स्थानांतरण (माइग्रेशन) के लिए: शून्य
2.	कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी	25,000/- रु., प्राधिकरण की प्रभावी तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखी जाएगी, जिसे प्राधिकृत संस्था को प्राधिकरण के दायरे में विनिर्दिष्ट सामुदायिक रेडियो सेवा का परिचालन शुरू होने पर वापस कर दिया जाएगा।

ज. अन्य शुल्क

क्र. सं.	विवरण	लागू शुल्क
1.	डीएसएनजी की खरीद के लिए प्रसंस्करण शुल्क (अप्रतिदेय)	10,000/- रु. प्रति डीएसएनजी
2.	डीएसएनजी की खरीद के लिए कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी	10,00,000/- रु., प्राधिकरण की प्रभावी तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखी जाएगी, जिसे प्राधिकृत संस्था को डीएसएनजी का परिचालन शुरू होने पर वापस कर दिया जाएगा।
3.	प्लेटफॉर्म सेवा के लिए पंजीकरण शुल्क (अप्रतिदेय, एकबारगी)	10,000/- रु. प्रति प्लेटफॉर्म सेवा।

अनुसूची 4

(नियम 48(2) देखें)

प्राधिकरण के निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन के लिए सिविल शास्तियों का वर्गीकरण

क्र.सं.	निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन	सिविल शास्ति के लिए वर्गीकरण		
		पहली बार	दूसरी बार	तीसरी बार या अधिक
1	शेयरधारिता, साझेदारी या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में किसी परिवर्तन की सूचना देने में विलंब (नियम 22(1)(क) का संदर्भ लें)	गैर-गंभीर	छोटी	मध्यम
2.	पूर्व अनुमोदन के बिना प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति (नियम 19(2) का संदर्भ लें)	गैर-गंभीर	छोटी	मध्यम
3	ऐसे प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को नहीं हटाना, जिसे सुरक्षा मंजूरी से इनकार कर दिया गया है (नियम 19(1) का संदर्भ लें)	छोटी	मध्यम	बड़ी
4	टेलीविजन चैनल पर ऐसे नाम और लोगो का प्रदर्शन करना, जो उस टेलीविजन चैनल के प्राधिकरण में विनिर्दिष्ट नहीं है (नियम 26(1)(घ) का संदर्भ लें)	छोटी	मध्यम	बड़ी

5	टेलीविजन चैनल के संबंध में, सूचना दिए बिना साठ दिनों से अधिक (लेकिन नब्बे दिनों से कम) अवधि तक गैर-परिचालन में रहना (नियम 26(3) का संदर्भ लें)	गैर-गंभीर	छोटी	मध्यम
6	पंजीकरण के बिना गैर-समाचार चैनल द्वारा किसी लाइव कार्यक्रम का प्रसारण (नियम 24(6)(क) का संदर्भ लें)	गैर-गंभीर	छोटी	मध्यम
7	किसी विदेशी चैनल या संस्था द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा पंजीकरण के बिना डीएसएनजी का उपयोग करके लाइव कार्यक्रम की अपलिकिंग (नियम 24(6)(ख) का संदर्भ लें)	गैर-गंभीर	छोटी	मध्यम
8	अनुमोदन के दायरे से बाहर डीएसएनजी टर्मिनल का अनधिकृत उपयोग	छोटी	मध्यम	बड़ी
9	टेलीपोर्ट ऑपरेटर द्वारा किसी गैर-प्राधिकृत या निलंबित या रद्द किए गए टेलीविजन चैनल की अपलिकिंग (नियम 37(2)(क) का संदर्भ लें)	छोटी	मध्यम	बड़ी
10	पंजीकरण प्राप्त किए बिना विदेशी टेलीविजन चैनलों या निकाय को अंतरराष्ट्रीय टर्न-अराउंड सैटेलाइट सेवाएं प्रदान करना (नियम 37(3) देखें)	छोटी	मध्यम	बड़ी
11	अपनी डायरेक्ट-टू-होम या हेड-एंड-इन-द-स्काई या इंटरनेट प्रोटोकॉल सेवा में ऐसे किसी टेलीविजन चैनल को प्रसारित/शामिल करना, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है (नियम 31(1)(ग) और 32(2) देखें)।	छोटी	मध्यम	बड़ी
12	पूर्व अनुमोदन के बिना टेलीविजन चैनल, टेलीपोर्ट या प्राइवेट रेडियो सेवा के प्राधिकरण का अंतरण करना (नियम 47(1) देखें)	छोटी	मध्यम	बड़ी
13	पंजीकरण के बिना प्लेटफॉर्म सेवाएं प्रदान करना। (नियम 33(1) का संदर्भ लें)	गैर-गंभीर	छोटी	मध्यम
14	निर्धारित संख्या से अधिक प्लेटफॉर्म सेवाएं प्रदान करना। (नियम 33(2) का संदर्भ लें)	गैर-गंभीर	छोटी	मध्यम
15	अनुमोदन के बिना प्राइवेट रेडियो सेवा की 'चैनल पहचान' निर्धारित करना या उसमें परिवर्तन करना	छोटी	मध्यम	बड़ी
16	वार्षिक लेखाओं या सकल राजस्व का विवरण प्रस्तुत न करना।	गैर-गंभीर	छोटी	बड़ी

[फा. सं. 2/1/2025-बीपी&एल]

प्रभात, अपर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd September, 2026

G.S.R. 773(E).— The Telecommunications Act was passed by Parliament in 2023. It is a pathbreaking piece of legislation that replaced the archaic Telegraph Act of 1885.

The Telecommunications Act is a comprehensive piece of legislation that encompasses a wide range of services. Its implementation is carried out by different departments, depending on the nature of the service covered. The Ministry of Information and Broadcasting administers the provisions relating to television, radio, and associated services.

The draft Telecommunications (Television, Radio and Associated Services) Rules, 2026 have been framed to consolidate the various guidelines issued for television and radio services under the erstwhile Telegraph Act, 1885 within the framework of the newly enacted Telecommunications Act, 2023.

Following guidelines are integrated into this set of rules:

- a) Policy Guidelines for Uplinking and Downlinking of Satellite Television Channels in India, dated 9th November, 2022;
- b) Guidelines for obtaining a license to provide Direct-to-Home (DTH) Broadcasting Services in India, dated 15th March, 2001, as amended from time to time;
- c) Guidelines for providing Headend-in-the-Sky (HITS) Broadcasting Services in India, dated 26th November, 2009;
- d) Policy Guidelines on Expansion of FM Radio Broadcasting Services through Private Agencies (Phase III), dated 25th July 2011, as amended up to 10th September, 2024;
- e) Revised Policy Guidelines for setting up Community Radio Stations in India, dated 13th February 2024; and
- f) Guidelines for provisioning of Internet Protocol Television (IPTV) Services, dated 8th September 2008.

With this set of rules, the industry will now have a unified and significantly simplified rule book. These rules are designed to simplify and harmonize the existing regime while promoting ease of doing business in the television and radio broadcasting sector.

The Draft Rules were published on the website of the Ministry of Information and Broadcasting on 12.06.2026 for public consultation. The suggestions and inputs received from stakeholders have been examined and suitably incorporated, wherever considered appropriate.

These draft rules are hereby published for further public consultation. Inputs, comments, or suggestions, if any, may be sent either to the Under Secretary (BP&L), Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Room No. 23076, 3rd Floor, Kartavya Bhawan-II, New Delhi – 110001, or, preferably, by email at usbpl-moib@gov.in, by 02.10.2026.

CHAPTER 1: PRELIMINARY**1. Short title and commencement.**

- (1) These rules may be called the Telecommunications (Television, Radio and Associated Services) Rules, 2026.
- (2) They shall come into force on such date as the Central Government may specify by notification.

2. Definitions.

In these rules, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall have the meanings assigned to them below, and such terms not defined herein but defined in Telecommunications Act, 2023, Companies Act, 2013, Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, Foreign Exchange Management Act, 1999, or the Limited Liability Partnership Act, 2008, shall have the meanings respectively assigned to them in the said Acts—

- (1) “Act” means the Telecommunications Act, 2023;
- (2) “applicant” means a person applying for an authorisation under rule 11;
- (3) “broadcasting equipment” means any telecommunication equipment used for broadcasting;

- (4) “broadcasting network” means any telecommunication network used for broadcasting;
- (5) “broadcasting service” means a telecommunication service in which programmes are transmitted, directly or indirectly, for simultaneous reception by users, and all its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly;
- (6) “community radio service” means broadcasting of audio messages in a linear manner using radio waves to serve a local community within a specified geographical area with transmission range of approximately ten kilometers from the specified geo-coordinates;
- (7) “DSNG” means digital satellite news-gathering which includes broadcasting equipment that enables an authorised entity to gather messages for broadcasting from locations outside of a television studio using satellite transmission medium;
- (8) “internet protocol television service” means a television channel distribution service using internet protocol over a closed and managed network;
- (9) “internet services” shall have the same meaning assigned to it in the Telecommunications (Authorisation for Provision of Principal Telecommunication Services) Rules, 2026;
- (10) “LLP” means a limited liability partnership under the Limited Liability Partnership Act, 2008;
- (11) “news agency for television” means an agency that gathers news and provides it either to an authorised entity operating a news channel or to another authorised entity functioning as a news agency for television;
- (12) “news channel” means a television channel which predominantly broadcasts news and current affairs programmes;
- (13) “non-news channel” means a television channel other than a news channel;
- (14) “platform services” means the programmes transmitted by an authorised entity for television channel distribution services or internet protocol television service to its own subscribers and does not include television channels provided by *Prasar Bharati*, or *Parliament*, or authorised television channels, or foreign television channels not authorised for distribution in the territory of India.
- (15) “Prasar Bharati” means *Prasar Bharati* (Broadcasting Corporation of India), established under the *Prasar Bharati* (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990;
- (16) “private radio service” means the broadcasting of audio messages in a linear manner, using radio waves, provided as a business activity;
- (17) “programme” means any message comprising audio, visual, or audio-visual content intended for broadcasting, and it may include exhibition of films, features, dramas, documentaries, advertisements and serials, as well as any audio, visual or audio-visual live performance, presentation, or pre-recorded message;
- (18) “satellite transmission medium” means a transmission medium using satellite networks;
- (19) “service area” means the geographical area of each authorisation as specified under sub-rule (7) of rule 12;
- (20) “teleport” means a satellite earth-station facility from which multiple television channels may be uplinked to a satellite;
- (21) “terrestrial transmission medium” means a transmission medium that uses terrestrial infrastructure for a television channel, and includes wireline or wireless infrastructure, the internet, or any other broadcasting equipment or systems, other than the satellite transmission medium; and
- (22) “television channel” means broadcast of programme in linear manner;

Explanation: ‘programmes in linear manner’ refer to the programme that is transmitted in a fixed, time-bound sequence decided by the authorised entity for television channel, not chosen by the viewer.

3. Applicability.

- (1) These rules shall apply to any person seeking to obtain, or already holding, any of the types of authorisations specified in Chapter 2.
- (2) The provisions of Chapters 2, 3, 4, 5, 6 and 8, together with the Schedules, shall constitute the terms and conditions of any authorisation granted under these rules.
- (3) These rules shall not apply in respect of television, radio, and associated services provided by entities listed in Schedule 1.

- (4) Without prejudice to the provisions of this rule, the provisions of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, and the rules and regulations made thereunder shall apply to the authorised entity.

4. Digital implementation.

The Central Government may, in furtherance of section 53 of the Act, notify one or more digital portals for the implementation of these rules, including for the publication of relevant forms, directions, and guidelines specified under these rules.

CHAPTER 2: TYPES OF AUTHORISATIONS

5. Television channel

- (1) Television channel comprises news channel and non-news channel, broadcast through satellite transmission medium or terrestrial transmission medium, which may be provided to —
- (a) an authorised entity for television channel distribution services;
 - (b) a multi-system operator; or
 - (c) an internet protocol television service provider,
- for further re-transmission to its users.
- (2) An applicant seeking authorisation for operating a television channel shall be a company or an LLP and shall:
- (a) ensure compliance with foreign investment requirements under applicable law;
 - (b) fulfil minimum net worth requirement as specified in Schedule 2, for the financial year immediately preceding the year in which such application is made; and
 - (c) ensure compliance with sub-rule (3), and with rule 19 relating to security conditions.
- (3) The applicant shall,
- (a) in respect of the name and logo of the television channel for which authorisation is sought, possess a registered trademark under the Trade Marks Act, 1999, or a duly valid no objection certificate from the registered trade mark owner or, in case of unregistered trade marks, from the person that has been using the relevant trademark in any class for a continuous period of at least one year;
 - (b) have exclusive marketing or distribution rights, including the rights to the advertising and subscription revenue, in respect of the television channels that it seeks to provide to the authorised entity for television channel distribution services or multi-system operator or internet protocol television service provider, for further re-transmission to users; and
 - (c) where a television channel is not originating from the territory of India, ensure compliance with applicable law of the country of origin.

Explanation: For clause (a) of sub-rule (3), it is clarified that the trademark shall be unhindered, i.e., not objected, opposed or rejected in the trademark authority, at the time of seeking authorisation.

6. Television channel distribution services.

- (1) Television channel distribution service comprises direct-to-home service as specified under sub-rule (2), head-end in the sky service as specified under sub-rule (3) and internet protocol television service provider.
- (2) Direct-to-home service means:
- (a) re-transmission of television channels; or
 - (b) transmission of platform services,
- directly to users by using a satellite transmission medium, and without passing through the broadcasting network of any other authorised entity or cable television network.

- (3) Head-end in the sky service means:
- re-transmission of television channels or transmission of platform services, using satellite transmission medium, to cable operators for further re-transmission to users; or
 - provision of passive infrastructure facility to one or more multi-system operators.
- (4) An applicant seeking authorisation for television channel distribution service shall be a company and shall:
- ensure compliance with foreign investment requirements under applicable law;
 - fulfil minimum net worth requirement as specified in Schedule 2, for the financial year immediately preceding the year in which such application is made; and
 - ensure compliance with sub-rules (5), (6), (7), (8), (9), (10), as applicable, and with rule 19 relating to security conditions.
- (5) In case of direct-to-home services, an authorised entity for a television channel, individually or collectively with any multi-system operator shall not hold more than twenty per cent equity shareholding in an authorised entity for direct-to-home service.
- (6) In case of direct-to-home services, the applicant shall not hold more than twenty percent equity shareholding in any authorised entity for television channel or in any multi-system operator, whether individually or in combination.
- (7) In case of head-end in the sky services, an authorised entity for a television channel, individually or collectively with any authorised entity for direct-to-home service, shall not hold more than twenty per cent equity shareholding in an authorised entity for head-end in the sky service.
- (8) In case of head-end in the sky services, the applicant shall not hold more than twenty per cent equity shareholding, in any authorised entity for a television channel or in any direct-to-home service, whether individually or in combination.
- (9) Any person holding more than twenty per cent equity shareholding in an authorised entity for head-end in the sky service shall not hold more than twenty percent equity shareholding in any other authorised entity for television channel or direct-to-home service, whether individually or in combination.
- (10) Any person holding more than twenty per cent equity shareholding in an authorised entity for television channel or direct-to-home service, whether individually or in combination, shall not hold more than twenty per cent equity shareholding in the applicant seeking authorisation for head-end in the sky service.

Explanation: (1) For the purposes of sub-rules (7) and (8) of rule 6, while determining the equity shareholding of a company, both its direct and indirect shareholding shall be taken into account.

(2) Sub-rules (9) and (10) of rule 6 shall not apply to financial institutional investors.

7. Teleport.

An applicant seeking authorisation for teleport shall be a company or LLP, and shall:

- ensure compliance with foreign investment requirements under applicable law;
- fulfil minimum net worth requirement as specified in Schedule 2, for the financial year immediately preceding the year in which such application is made; and
- ensure compliance with rule 19 relating to security conditions.

8. News agency for television.

An applicant seeking authorisation for news agency for television, shall be a company or LLP that possesses accreditation issued by the Press Information Bureau, and shall:

- ensure compliance with foreign investment requirements under applicable law; and
- ensure compliance with rule 19 relating to security conditions.

9. Private radio service.

- (1) An applicant seeking authorisation for private radio service, shall be a company and shall:
- (a) ensure compliance with foreign investment requirements under applicable law;
 - (b) fulfil minimum net worth requirement as specified in Schedule 2, for the financial year immediately preceding the year in which such application is made;
 - (c) ensure compliance with sub-rule (3) and rule 19 relating to security conditions;
- (2) The applicant seeking authorisation for private radio service shall:
- (a) be an entity in which equity held by the largest Indian shareholder is at least fifty-one percent of the total equity, excluding the equity held by a scheduled bank and public financial institutions as defined in section 2(72) of the Companies Act;
 - (b) not be controlled by or associated in any manner with a trust, society, non-profit organisation, religious body or a political body;
 - (c) not be an entity which is functioning as an advertising agency or is an associate of an advertising agency or is controlled by an advertising agency or person associated with an advertising agency;
 - (d) not be a subsidiary, holding company, or an affiliate of an authorised entity holding an authorisation for private radio service, in the same service area; and
 - (e) not be owned or controlled by persons having beneficial interest in another authorised entity for private radio service, in the same service area.

Explanation: For the purposes of the clause (a) of sub-rule (2) of rule 9, the term largest Indian shareholder shall include any or a combination of the following:

- (1) In the case of an individual shareholder,
 - (a) The individual shareholder;
 - (b) A relative of the shareholder within the meaning of section 2(77) of the Companies Act, 2013; or
 - (c) A company or group of companies in which the individual shareholder or Hindu Undivided family, to which it belongs, has management and controlling interest.
- (2) In the case of an Indian company,
 - (a) The Indian company; or
 - (b) A group of Indian companies under the same management and ownership control.

Note: - for the purpose of this *Explanation*, “Indian company” shall be a company, which must have a resident Indian or a relative as defined under section 2(77) of the Companies Act, 2013 or Hindu Undivided Family, either individually or in combination holding at least fifty one percent of the shares. In case of a combination of all or any of the entities, each of the parties shall have entered into a legally binding agreement to act as a single unit in managing the matters of the applicant company.

- (3) The authorised entity shall be allowed to run not more than forty percent of the total number of channels in a city subject to a minimum of three different authorised entity in the city.

Explanation: For the purpose of sub-rule (3) of rule 9: -

- (1) In case the number arrived at by calculating forty per cent is a decimal, it shall be rounded off to the nearest whole number;
- (2) the channels authorised to the following categories of companies shall be reckoned together for the purpose of calculating the total number of channels authorised:
 - (a) subsidiary company of any applicant or authorised entity;
 - (b) holding company of any applicant or authorised entity;
 - (c) companies with the same management as that of applicant or authorised entity; or
 - (d) more than one inter-connected undertakings with regard to the applicant or authorised entity.

(4) The Central Government shall publish a notice inviting applications for auction private radio service for the purpose of determining non-refundable one-time entry fee, and shall, while publishing such notice, specify the terms and conditions of such auction including, *inter alia*, the frequency spots, reserve price, and earnest money deposit.

10. Community radio service.

- (1) The authorisation for community radio service shall be done on first come first serve basis.
- (2) An applicant seeking authorisation for community radio service may be:
 - (a) a company registered under section 8 of the Companies Act, 2013;
 - (b) a society constituted for charitable purposes and registered under the applicable law relating to societies or the Societies Registration Act, 1860;
 - (c) a public charitable trust registered under the applicable law relating to trusts;
 - (d) krishi vigyan kendras or self-help groups or farmer producer organisations registered under the applicable law; or
 - (e) an institution established or recognized by the Central Government or State Government or established under any law made by Parliament or legislature of a State.

Explanation: An applicant under sub-rule (2) shall:

- (1) Not be an entity established with a motive to earn profit, or an entity established and operating principally for religious or political purposes, or affiliated with any such entity; and
 - (2) If it is an entity specified under clauses (a) to (d) of sub-rule (2), possess a unique identification number issued by the NITI Aayog, Government of India.
- (3) An applicant for community radio service shall additionally:
- (a) ensure compliance with foreign investment requirements under applicable law;
 - (b) ensure compliance with the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 in respect of foreign contributions from multilateral aid agencies;
 - (c) ensure compliance with rule 19 relating to security conditions; and
 - (d) have been engaged in services for the development of the community in the specific geographical area for which authorisation is sought, over a period of at least three years prior to the date of making an application under rule 11.
- (4) If an applicant seeks authorisation for community radio service in multiple service areas, the following additional conditions shall apply:
- (a) only one application may be made in respect of each service area;
 - (b) an application in respect of a second or more service areas, may be made subject to any existing authorisation having been operational for a continuous period of one year prior to such application; and
 - (c) an applicant shall not hold more than six authorisations for provision of community radio service.
- (5) For community radio service, a transmitter having maximum effective radiated power of hundred watts shall be adequate:

Provided that, in cases, where the transmitter power is insufficient to provide coverage due to terrain conditions up to ten kilometers transmission range, transmitter with maximum effective radiated power up to two hundred and fifty watts maybe considered on a case-to-case basis.

Explanation: The effective radiated power is the total radio frequency power radiated by an antenna system in its maximum direction, compared to a theoretical half-wave dipole antenna.

CHAPTER 3: APPLICATION AND GRANT OF AUTHORISATION

11. Application for obtaining authorisation.

- (1) An applicant shall submit an application, in such form and manner and accompanied by such documents, as the Central Government may specify, along with:
 - (a) payment of an application processing fee as specified in Schedule 3;
 - (b) details of the applicant including its registered address and shareholding pattern of the applicant, if any; and

- (c) details of its key managerial personnel or the governing body members, as the case may be, for the purpose of obtaining security clearance.
- (2) An entity intending to provide internet protocol television service may do so upon submitting a declaration, in such form and manner as specified by the Central Government, that the entity holds either —
 - (a) an internet service authorisation under the Telecommunications (Authorisation for provision of Principal Telecommunication Services) Rules, 2026; or
 - (b) a registration as a multi-system operator under the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995.

12. Grant of authorisation.

- (1) Upon examination of the application submitted under sub-rule (1) of rule 11, the Central Government may require the applicant to furnish such further information as it may call for.
- (2) If the applicant fails to provide information as required under sub-rule (1) within a period of ninety days, the Central Government may, after providing an opportunity to the applicant to be heard, reject such application, with reasons to be recorded in writing.
- (3) In the event the application is found to be complete, the Central Government shall:
 - (a) forward such application to the relevant ministries of the Central Government for security and site-related clearances; and
 - (b) if considered necessary, for reasons to be recorded in writing, the Central Government may cause inspection of the physical premise or location, to ascertain the veracity of the claims made in the application.
- (4) If, based on its assessment of the application, and relevant clearances obtained pursuant to sub-rule (3), the applicant is found to be eligible for grant of authorisation, the Central Government shall issue a letter of intent to such applicant through the portal, specifying the following, namely: —
 - (a) amounts payable as entry fee, authorisation fee, performance bank guarantee and security deposit, registration fee in accordance with Schedule 3, payable in such manner as the Central Government may specify; and
 - (b) validity of the letter of intent, not exceeding sixty days from its issuance, within which period the payments under clause (a) shall be made.
- (5) If the payment specified in the letter of intent is not paid within the time period specified therein, the letter of intent shall lapse, and the application for authorisation shall stand rejected.
- (6) Upon compliance with the requirements of the letter of intent under sub-rules (5) and subject to the relevant clearances obtained under sub-rule (3), authorisation shall be granted to such applicant through the designated portal, detailing the following aspects, namely: —
 - (a) unique authorisation number;
 - (b) effective date of authorisation;
 - (c) validity period of authorisation;
 - (d) scope of authorisation; and
 - (e) service area of authorisation.
- (7) The service area for which each authorisation under sub-rule (6) is granted, shall be as follows:
 - (a) In respect of television channel, television channel distribution service, teleport and news agency for television, the service area shall be the national service area; and
 - (b) In respect of private radio service and community radio service, the service area shall be limited to a specific geographical area, within the national service area, as specified in the authorisation.

Explanation: For the purposes of this rule, the expression “national service area” refers to the territory of India, territorial waters of India and the continental shelf and exclusive economic zone of India, in accordance with section 55 of the Act.

13. Validity period of authorisation.

The validity period of authorisation granted under sub-rule (6) of rule 12 shall be: —

- (a) ten years for television channel, teleport and community radio service from the date of commencement of its operation;

- (b) ten years for news agency for television from the date of authorisation;
- (c) twenty years for the television channel distribution service from the date of commencement of its operation; and
- (d) fifteen years for private radio service from the date of commencement of its operation.

14. Renewal of authorisation.

- (1) An authorised entity may submit an application for renewal of authorisation, in such form and manner, along with such other information, as the Central Government may specify, at least one hundred and twenty days prior to the expiry of the authorisation, along with an application processing fee for such renewal, as specified in Schedule 3.
- (2) The Central Government shall, on receipt of an application under sub-rule (1), consider renewal, subject to:
 - (a) adherence to the law and policy applicable at the time of such renewal;
 - (b) obtaining the requisite security clearances from the relevant ministries of the Central Government;
 - (c) adherence to terms and conditions of authorisation; and
 - (d) the condition that the authorised entity has not committed breach of terms and conditions of authorisation, including non-compliance with the programme code or advertising code as specified under rule 16, as applicable, for more than five number of instances where entity has been adjudicated for such breach.
- (3) Any decision rejecting an application under sub-rule (2) shall be accompanied by reasons to be specified in writing.
- (4) The validity period of authorisation upon renewal under sub-rule (2) shall be ten years except for private radio service, which shall not be eligible for renewal.
- (5) If an application has been rejected in terms of sub-rule (2), or no application for extension of authorisation is received within the timelines specified under sub-rule (1), then such authorisation shall expire at the end of its validity period, and the authorised entity shall notify all its users, and any other authorised entity being provided with broadcasting services, broadcasting network, or broadcasting equipment, by such authorised entity, by issuing a notice of at least thirty days, communicating the effective date of expiry of its authorisation.

15. Migration.

- (1) Any entity holding a licence, registration, or permission, by whatever name called, granted prior to date of notification of these rules, under Indian Telegraph Act, 1885 or the Indian Wireless Telegraphy Act 1933, pursuant to any of the following guidelines:
 - (a) Policy Guidelines for Uplinking and Downlinking of Satellite TV Channels in India, dated 9th November 2022;
 - (b) Guidelines for obtaining license for providing direct-to-home (DTH) broadcasting service in India, dated 15th March 2001, as amended;
 - (c) Guidelines for providing headend-in-the-sky (HITS) broadcasting service in India, dated 26th November 2009;
or
 - (d) Revised Policy Guidelines for setting up Community Radio Stations in India, dated 13th February 2024,
 may submit, at any time during the validity of such licence, registration, or permission, as the case may be, an application in accordance with rule 11, for migration to a corresponding type of authorisation under Chapter 2.
- (2) In case, no application for migration in accordance with rule 11 is received, such licence, registration, or permission, as the case may be, shall continue to be valid on the terms and conditions on which it was permitted and no renewal of such licence, registration, or permission shall be granted.
- (3) The entity intending to migrate shall, prior to making an application under sub-rule (1), make payment of all pending dues, along with interest, if any, in respect of the licence or permission or registration, as the case may be, specified under sub-rule (1), and such application shall be accompanied with proof of payment of such dues.
- (4) Upon migration under these rules, the corresponding licence or permission or registration, as the case may be, held by the relevant entity shall be terminated and new authorisation shall be granted under rule 12.
- (5) No application processing fee shall be levied for migration under sub-rule (1).

- (6) Any obligation of an entity holding a licence, registration, or permission, by whatever name called, granted prior to date of notification of these rules, under Indian Telegraph Act, 1885 or the Indian Wireless Telegraphy Act 1933, pursuant the guidelines mentioned under clause (a) to (d) under sub-rule (1), shall apply *mutatis mutandis* to the authorised entity under these rules and vice-versa.
- (7) Notwithstanding anything contained in this rule, the provisions herein shall not apply to FM radio broadcasting services holding permission prior to the date of notification of these rules, and such permissions shall continue to remain valid on the terms and conditions under which they were originally granted.

CHAPTER 4: GENERAL TERMS AND CONDITIONS

16. General obligations of authorised entities.

- (1) Every authorised entity shall ensure compliance with the requirements specified under Chapter 2 and maintain the validity of the clearances obtained under sub-rule (3) of rule 12, for the entire validity period of authorisation.
- (2) Every authorised entity shall ensure:
- (a) compliance with the programme code and advertising code; and
 - (b) compliance with such directions or guidelines issued, for the purpose of these rules, by the Central Government, from time to time.

Explanation: The expressions “programme code” and “advertising code” shall mean the following:

- (a) in respect of television channels and television channel distribution services, the “Programme Code” and “Advertising Code” as referred to in the rules made under the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995; and
 - (b) in respect of private radio service and community radio service, such code as followed by *Akashwani*, as amended from time to time, or any other code which the Central Government may specify, from time to time.
- (3) No authorised entity shall sub-let or sub-lease or assign its authorisation.

17. Use of broadcasting network.

An authorised entity may:

- (a) use its own broadcasting network; or
- (b) enter into mutual agreement with another authorised entity for sharing the broadcasting network of such other entity.
- (c) hire or lease broadcasting equipment on long terms basis from any entity as long as it does not impact authorised entity’s obligation under these rules.

Explanation: For the removal of doubts, it is hereby clarified that each authorised entity entering into a mutual agreement under clause (b) shall continue to remain responsible for compliance with the terms and conditions of its respective authorisation, jointly and severally.

18. Assignment and use of spectrum.

- (1) The grant of an authorisation under these rules does not confer any right to assignment and use of spectrum.
- (2) The authorised entity intending to use spectrum shall, unless exempted from the requirement of assignment under the Act, apply for assignment of spectrum, under section 4 of the Act, no later than thirty days from the grant of authorisation under these rules.

19. Security conditions.

- (1) The authorised entity, its key managerial personnel and governing body members shall remain security cleared throughout the currency of authorisation.
- (2) Every authorised entity shall, prior to the appointment of any key managerial personnel, submit the details on the designated portal for obtaining security clearance, in such form and manner as the Central Government may specify.

- (3) The authorised entity holding authorisation for provision of the following services shall ensure that majority of directors, partners, and other key managerial personnel shall be a person resident in India: —
 - (a) news channel;
 - (b) news agency for television;
 - (c) television channel distribution service; and
 - (d) private radio service.
- (4) All foreign personnel likely to be deployed, whether by way of appointment, contract, consultancy, or under any other arrangement, by the authorised entity for installation, maintenance, or operation of broadcasting networks shall be required to obtain security clearance from the Central Government prior to their deployment.
- (5) The authorised entity shall disclose the name, address and details of any foreigner or non- resident Indian to be employed or engaged in the company or LLP, as the case may be, as a consultant or by any other designation for more than sixty days in a year, or, as a regular employee.

Explanation: For the purposes of these rules, the expression “key managerial personnel”:

- (a) in respect of a company shall have the same meaning as is assigned to it in section 2(51) of the Companies Act, 2013;
- (b) in respect of a partnership shall mean the “partner” under the Indian Partnership Act, 1932 and the “partner” or “designated partner” under the Limited Liability Partnership Act, 2008;

20. Assessment and payment of authorisation fee.

- (1) The authorisation fee as specified in Schedule 3 shall be payable by the authorised entity in the manner and within the applicable timelines as specified in Chapter 5.
- (2) If the authorisation fee as specified in Schedule 3 is calculated on the basis of adjusted gross revenue, the Central Government may carry out the assessment of such fees in accordance with the procedure as it may specify.

Explanation: For the purposes of this rule, the expression “assessment” shall include reassessment and re-computation.

- (3) If the authorised entity holds more than one type of authorisation under Chapter 2 or holds the same type of authorisation in a different service area, it shall maintain separate financial accounts and furnish separate statement of computation of authorisation fee for each such authorisation.
- (4) The Central Government shall have the right to get the accounts of any authorised entity audited by the Comptroller and Auditor-General of India or any other professional auditors, at its discretion, so as to verify that the statements of gross revenue submitted by the authorised entity are correct.
- (5) For the purposes of these rules:
 - (a) “adjusted gross revenue” of an authorised entity shall be the adjusted gross revenue, which shall be calculated by excluding goods and services tax from the gross revenue, as determined by statutory auditor, in the audited accounts of such authorised entity;
 - (b) “gross revenue” of an authorised entity means the gross inflow of cash, receivables, or other consideration arising in the course of ordinary activities of the authorised entity, including from the provision of broadcasting services, from the use by others of the enterprise resources yielding rent, interest, dividend, royalties, and commissions, from barter advertising contracts;
 - (c) gross revenue shall be calculated, without deduction of taxes or agency commissions, on the basis of billing rates, net of discounts to advertisers; and
 - (d) gross Revenue shall, in the case of an authorised entity providing or receiving goods and services from other entities that are owned or controlled by such authorised entity, be calculated taking into account all such transactions on normal commercial rates, and shall be included in the profit and loss accounts of such authorised entity.
- (6) In the event of any difference between the gross revenue determined by the statutory auditor and that determined by the auditor appointed by the Central Government, the views of the Government-appointed auditor shall prevail, subject to the authorised entity being afforded an opportunity of hearing, and the expenses of such audit shall be borne by the authorised entity.

21. Monitoring and inspection.

- (1) Every authorised entity shall preserve recordings of programmes, including advertisements, for a period of ninety days from the date of its broadcast, and shall submit such recordings, when so directed, to the Central Government or to any agency designated by it for this purpose.
- (2) In case of any complaint, dispute, inquiry, or judicial proceeding in respect of a programme referred to under sub-rule (1), the authorised entity shall preserve its recordings until the final conclusion of such proceedings, and shall submit such recordings, when so directed, to the Central Government or any agency designated by it for this purpose.
- (3) The Central Government may, for the purposes of inspection and monitoring compliance with these rules, after issuing a notice to the authorised entity, inspect or cause to inspect the premises, from where an authorised entity operates its authorisation, and the broadcasting equipment, recordings and broadcasting network at such or any other premises.
- (4) The Central Government may, for reasons to be recorded in writing, undertake monitoring and inspection under sub-rule (3) without providing notice when it determines that issuing notice would defeat the purpose of such inspection.
- (5) Every authorised entity shall provide access, facilities and support, as may be necessary, to facilitate monitoring and inspection under this rule.

22. Reporting requirements.

- (1) Every authorised entity shall, in such form and manner and along with such supporting documents as the Central Government may specify, —
 - (a) intimate any change in its shareholding, partnership, or foreign direct investment, within thirty days of such change;
 - (b) intimate any change in the name under which it has been registered or incorporated, as the case may be, within thirty days of such change; and
 - (c) intimate any change in its details, including ownership, control, address and contact details, or any other such material details, within fifteen days of such change;
 - (d) furnish such information relating to compliance with these rules, including documents, reports, accounts, estimates and returns, at such time periods as may be specified.
- (2) Any change in ownership leading to change in control or complete change in management of an authorised entity shall be undertaken only with the prior written permission of the Central Government, obtained in such manner as the Central Government may specify.

23. Use of satellite transmission medium.

- (1) An authorised entity intending to use satellite shall either own, or enter into an agreement with an entity that has the relevant satellite capacity authorised by Department of Space in the Government of India, or any other designated agency specified for the purpose.
- (2) The authorised entity using a satellite shall provide information relating to the use of the satellite, and any subsequent change thereof, to the Central Government within thirty days of such change.

24. Conditions for use of DSNG.

- (1) An authorised entity holding any of the following authorisations may purchase DSNG for the purposes specified under sub-rule (4), subject to such clearances as may be required from the relevant ministries of the Central Government, obtained in such manner as the Central Government may specify:
 - (a) news channel;
 - (b) teleport; and
 - (c) news agency for television.
- (2) The authorised entity, for purchase of DSNG, shall submit a performance bank guarantee as specified in Schedule 3.

- (3) An authorised entity, except an entity holding authorisation for television channel distribution service or private radio service or community radio service, may obtain DSNG by lease or hire from any other authorised entity for the purposes specified under sub-rule (4), subject to clearances from relevant ministries of the Central Government, as may be specified.
- (4) DSNG shall only be used for the following purposes, namely: —
- In respect of provision of news channel, for live news coverage, footage collection and point-to-point transmission;
 - In respect of provision of non-news channel, for live uplinking of events;
 - In respect of provision of news agency for television, for the collection or transmission of news or footage; and
 - In respect of a foreign channel or entity, for the purpose of live coverage of events intended for broadcast outside the territory of India.

Explanation: The DSNG shall not be used in any security sensitive areas as specified by the Central Government.

- (5) The authorised entity using DSNG shall:
- preserve a daily record of the locations and events covered and uplinked by the DSNG, and downlinked at the satellite earth station, for a period of ninety days, in such form and manner as the Central Government may specify, and when so directed, submit the same to the Central Government;
 - uplink signals in an encrypted manner to ensure that the transmission is receivable only within a closed group;
 - uplink for broadcasting only through use of satellite transmission medium; and
 - downlink signals only at the teleport of any authorised entity or licensee.
- (6) The DSNG for lease or hire under sub-rule (3) shall be registered by the following authorised entity on the portal, in such manner as the Central Government may specify:
- in case the authorised entity taking DSNG on lease or hire, holds an authorisation to provide non-news channel, register the uplinking of a live programme or event using DSNG, at least fifteen days prior to the commencement of such live programme or event; and
 - in case a foreign channel or entity is granted permission for uplinking of a live event using DSNG, intended for broadcast outside the territory of India, register prior to such use, by the authorised entity providing such service.
- (7) Any registration under sub-rule (6) shall be accompanied with a fee specified in Schedule 3 and the following, namely: —
- name of the programme or event, date, time and venue thereof;
 - willingness of the teleport operator to uplink the programme or event;
 - authorisation of the relevant authorised entity broadcasting the programme or event; and
 - information and documents as may be specified.
- (8) The authorised entity shall submit any modification of the information provided under sub-rule (7), in such form and manner as may be specified—
- at least seven days prior to the programme or event; or
 - at least two days prior to the programme or event, subject to payment of an additional fee of fifty per cent of the initial fee paid under sub-rule (7), unless otherwise waived by an officer of the Central Government or State Government, not below the rank of Joint Secretary, authorised for this purpose.
- (9) The authorised entity shall commence operation of the DSNG within six months from the date of assignment of spectrum, failing which, the Central Government may, without prejudice to its rights or any other remedy, including those under Chapter 7 on adjudication and appeals, encash, claim, or appropriate the performance bank guarantee submitted by such authorised entity.

25. Force majeure.

- (1) If the compliance of any obligation under an authorisation by an authorised entity is prevented or delayed, in whole or in part, by reason of a *force majeure* event, and such entity has adhered to its obligations under sub-rule (2), then such non-compliance or delay in compliance shall not constitute a breach of the terms and conditions of authorisation, for the duration of such event.

- (2) The authorised entity shall notify the Central Government, in such form and manner as the Central Government may specify, the occurrence of a *force majeure* event within twenty-one days from the date of its occurrence.
- (3) The operation of an authorisation under these rules shall be resumed as soon as practicable, after such *force majeure* event comes to an end or ceases to exist, and the decision of the Central Government as to whether such broadcasting service may be so resumed and the time frame within which it may be resumed or not, shall be final and binding.
- (4) Any *force majeure* event shall not result in the extension of the validity period of authorisation.
- (5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (4), the Central Government may, on a case-by-case basis, taking into consideration the circumstances of the *force majeure* event, allow deferment for a period not exceeding the number of days of such event, of the obligation to make payment of the authorisation fee, if such payment was due during the period of *force majeure*.
- (6) No authorised entity under this rule shall be entitled to claim any compensation for *force majeure* event, or any damages against the Central Government for non-performance or delay in performance of the Central Government's obligations by reason of the *force majeure* event.
- (7) For the purposes of this rule, the expression "*force majeure* event" shall mean and be limited to the following events: (a) war or hostilities; (b) major riots or civil commotion; (c) earthquake, flood, tempest, lightning or other natural disasters; or (d) any other event which the Central Government may notify to be a *force majeure* event.

CHAPTER 5: SERVICE SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS

Part A: Television Channel

26. Operation and roll out.

- (1) Every authorised entity shall:
 - (a) commence its operations within a period of one year from the date of assignment of spectrum and report the same to the Central Government, in such form and manner as may be specified, within fifteen days of such commencement;
 - (b) provide signals of television channel only to an authorised entity holding authorisation for television channel distribution service, or a multi-system operator or internet protocol television service provider;
 - (c) ensure compliance with the Sports Broadcasting Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharati) Act, 2007, and all applicable rules, directions, guidelines and notifications issued thereunder; and
 - (d) display only the name and logo of a television channel as specified in the authorisation.
- (2) The television channel shall remain continuously operational throughout the period of validity of its authorisation.
- (3) If a television channel remains non-operational for a continuous period exceeding sixty days, the authorised person shall notify the Central Government and provide the reasons therefor.
- (4) The television channel which remains non-operational for a continuous period exceeding ninety days, except by virtue of an order or instruction, by whatever name called, issued in this behalf under these rules, authorisation granted in respect of it shall be deemed to have been withdrawn:

Provided that the authorised entity shall be offered an opportunity of being heard.
- (5) The television channel, using satellite communication medium, shall encrypt the signals of television channels if transmitted in a band other than "C" band.
- (6) Every authorised entity shall broadcast on its television channel, for a minimum duration of thirty minutes each day between 0600 hours IST and 2300 hours IST, programmes focusing on themes of national importance and social relevance, including the following, namely: —
 - (a) education and the spread of literacy;
 - (b) agriculture and rural development;
 - (c) health and family welfare;
 - (d) science and technology;

- (e) welfare of women;
 - (f) welfare of the weaker sections of society;
 - (g) protection of environmental and cultural heritage;
 - (h) animal welfare; and
 - (i) national integration.
- (7) The Central Government may exempt, by notification, specified television channels, from the obligation under sub-rule (6).
- (8) Where a television channel is intended to be uplinked from India but is exclusively for viewership outside the territory of India, the authorised entity shall undertake such uplinking pursuant to obtaining the requisite clearances from such ministries of the Central Government as may be specified, and shall ensure that the uplinked message does not contain anything prejudicial to India's sovereignty, integrity, national security and friendly relations with other countries.
- (9) The authorised entity referred to under sub-rule (8) shall ensure compliance with the applicable law in the destination country for which the message is produced and uplinked under sub-rule (8).
- (10) Every authorised entity shall submit, to the Central Government and television rating agencies registered under applicable law and policy, the availability of its television channels on landing page, if any.
- Explanation:** For the purposes of sub-rule (10), the expression "landing page" means the default display of a television channel, upon the turning on the customer premises equipment, including during navigation or switching of television channels, where such default display is activated without any specific user selection.
- (11) In case of non-compliance with the obligations under clause (a) of sub-rule (1), the Central Government may, without prejudice to its rights or any other remedy, including those under Chapter 7 on adjudication and appeals, encash or appropriate the performance bank guarantee submitted by the authorised entity.
- (12) The authorised entity shall comply with rule 17,18,19,20 and 21 of the Cable Television Networks Rules, 1994, as amended from time to time.

27. Change in category and medium of transmission of television channel.

- (1) An authorised entity seeking to change the category or medium of transmission of its television channel as follows:
- (a) from news channel to non-news channel or vice-versa;
 - (b) from satellite transmission medium to terrestrial transmission medium or vice-versa; or
 - (c) change of teleport for uplinking of television channel,
- shall submit an application in such form and manner as may be specified by the Central Government, along with fees as specified in Schedule 3.
- (2) The authorised entity shall, at the time of making an application under sub-rule (1), ensure compliance with the eligibility conditions specified under Chapter 2, in respect of the category of service or medium of transmission sought to be changed to, and shall submit proof of such compliance.
- (3) The Central Government shall endeavour to process the application made under sub-rule (1) within a period of thirty days, subject to:
- (a) adherence by the authorised entity with the terms and conditions of authorisation, including eligibility conditions; and
 - (b) requisite clearances from the relevant ministries of the Central Government, as specified.

28. Change in name and logo of television channel.

- (1) An authorised entity seeking to change the name, logo, or both, of its operational television channel, shall:
- (a) in respect of the change in name and logo, (i) possess a registered trademark under the Trade Marks Act, 1999 or (ii) a no objection certificate from the registered trade mark owner or, in case of unregistered trade marks, from the person that has been using the relevant trademark in any class for a continuous period of at least one year; and
 - (b) submit an application in such form and manner, accompanied with such information and documents as specified, including proof of compliance with clause (a), along with fees as specified in Schedule 3.

- (2) The Central Government may, preferably within thirty days of the application made under sub-rule (1), either accept or reject such application.
- (3) Any rejection of an application under this rule shall be accompanied by reasons recorded in writing.
- (4) In case of withdrawal of a no objection certificate under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5, or under clause (a) of sub-rule (1), during the validity period of authorisation, the authorised entity shall forthwith submit an application for change in logo, in accordance with this rule and the said withdrawal shall be effective only after the approval of change of logo or trademark by the Central Government.

Explanation: For rule 28, it is clarified that:

- (a) if the trademark is rejected by the trademark authority, subsequent to grant of authorisation and the authorised entity has filed an appeal against such rejection, the authorisation shall continue to be valid till such dispute attains finalization.
- (b) if the status of the trademark application for an authorised logo gets opposed or objected to during the period of authorisation, the same will not affect the renewal, if any, of the said authorisation.

29. Financial Conditions.

- (1) The annual authorisation fee for the first year shall be paid after issuance of letter of intent under sub-rule (4) of rule 12, within sixty days of its issue.
- (2) An authorised entity shall make payment of an annual authorisation fee as specified in Schedule 3, at least thirty days prior to the due date for such payment.
- (3) The annual authorisation fee paid after due date shall attract late fee charges levied at simple interest rate of one per cent for each month of such non-payment.

Explanation: (1) Incomplete months shall be considered as one month for the purpose of calculation of late fee.

(2) For the purpose of this rule, the due date for succeeding year's annual authorisation fee shall be one year from the date of commencement of operation of the television channel and so on.

30. Reporting requirements in respect of television channel.

- (1) An authorised entity shall, in such form and manner and along with such supporting documents, as the Central Government may specify, report the following changes, within a period of thirty days therefrom, namely: —
 - (a) Change in language of transmission; and
 - (b) Change in formats from Standard Definition (SD) to High Definition (HD), 4K or such other formats.

Part B: Television Channel Distribution Service

31. Operation and roll out.

- (1) Every authorised entity shall:
 - (a) commence its operations within a period of one year from the date of assignment of spectrum and report the same to the Central Government, in such form and manner as may be specified, within fifteen days of such commencement;
 - (b) ensure that its television channel distribution service is operational for the entire validity period of authorisation;
 - (c) re-transmit only the television channels authorised under these rules; and
 - (d) ensure that all programmes transmitted by it pass through the encryption and conditional access system, located within a satellite earth station in the territory of India.
- (2) The Central Government may, from time to time, notify the details of the television channels transmitted by entities specified in Schedule 1, to be mandatorily re-transmitted by the authorised entity, in the course of its provision of television channel distribution service, and such entity shall comply with the notifications issued under this rule.
- (3) In case of non-compliance with the obligations under clause (a) of sub-rule (1), the Central Government may, without prejudice to its rights or any other remedy, including those under Chapter 7 on adjudication and appeals, encash or appropriate the performance bank guarantee or security deposit, as the case may be, submitted by the authorised entity.
- (4) The customer premises equipment provided by the authorised entity at the user premises shall comply with standards as may be notified by the Bureau of Indian Standards or by the Central Government.

32. Specific conditions applicable to internet protocol television service.

- (1) The internet protocol television service provider shall:
 - (a) preserve recordings of programmes, including advertisements, for a period of ninety days from the date of their broadcast, and submit such recordings, when so directed, to the Central Government or any agency designated by it for this purpose;
 - (b) inform the Central Government of any suspension, revocation, curtailment, or surrender, of the relevant internet service authorisation or registration as a multi-system operator, as the case may be, in such form and manner as may be specified;
 - (c) re-transmit only the television channels authorised under these rules;
 - (d) comply with such directions or guidelines issued by the Central Government, including the programme code and advertising code, as specified under rule 16; and
 - (e) ensure that the internet protocol service includes digital rights management system providing functionality of conditional access system to prevent piracy of television channels.
- (2) The Central Government may, from time to time, notify the details of the television channels transmitted by entities specified in Schedule 1, to be mandatorily re-transmitted on internet protocol television service, in the course of its provision of internet protocol television service.

33. Provision of platform service.

- (1) An authorised entity intending to provide platform services on its broadcasting network shall, subject to the ceiling specified under sub-rule (2), register each such service in the form and manner as may be specified, along with payment of a one-time non-refundable registration fee as specified in Schedule 3.
- (2) The total number of platform services registered under sub-rule (1) shall not be more than five per cent of the total channel carrying capacity of the broadcasting network of the authorised entity holding authorisation for television channel distribution service.

34. Prohibition of certain activities.

An authorised entity shall not:

- (a) transmit the signal of any television channel not authorised under these rules;
- (b) enter into any agreement for the exclusive distribution of authorised television channels; and
- (c) in respect of head-end in the sky service, provide signals of television channels directly from a satellite transmission medium to the user.

Explanation: For the purposes of clause © of this rule, it is clarified that signals of a television channel from a satellite transmission medium shall be transmitted to the user only through use of cable network.

35. Financial conditions applicable to direct-to-home service.

- (1) The authorised entity shall pay an adjusted gross revenue-based annual authorisation fee, as specified in Schedule 3, in four quarterly instalments during each financial year commencing from the first of April, in the following manner:
 - (a) the quarterly instalment in respect of each of the first three quarters of a financial year shall be paid within thirty days of completion of the relevant quarter; and
 - (b) the quarterly instalment for the last quarter shall be paid after adjustments and settlement of accounts for the entire financial year and on the basis of the finalized audited statements of the authorised entity, and such amount shall be duly payable for such quarter by the thirtieth of September of the next financial year.
- (2) Payments pursuant to sub-rule (1) shall be accompanied with self-certificate and a statement of revenue, in such form and manner as the Central Government may specify.
- (3) The authorised entity shall submit a reconciliation statement between the figures appearing in the submitted quarterly statement of revenue under sub-rule (2) and those appearing in annual accounts under clause (b) of sub-rule (1), within fifteen days of the date of signing of the audit report.
- (4) Non-payment of the annual authorisation fee within the time period specified under sub-rule (1), shall attract a late fee levied at a simple interest rate of one per cent for each month of such non-payment.

- (5) If the amount so determined under sub-rule (3), is found to be lesser than the amount already deposited, the difference may at the request of the authorised entity be adjustable against the annual authorisation fee for the following financial year.

36. Reporting requirement in respect of television channel distribution service.

The authorised entity shall furnish, at periodic intervals as may be required by the Central Government, such documents, reports, estimates, returns including annual accounts, details of company's share holding pattern, details of television channels, or details of platform services being carried on the television channel distribution service.

Part C: Teleport

37. Operation and roll out.

- (1) Every authorised entity shall:
- (a) commence its operations within a period of one year from the date of assignment of spectrum and report the same to the Central Government, in such form and manner as may be specified, within fifteen days of such commencement; and
 - (b) ensure that its teleport is operational for the entire validity period of authorisation.
- (2) The authorised entity shall ensure that its teleport:
- (a) only uplinks the signals of a television channel authorised under these rules, and the duration of such uplinking shall be coterminous with the authorisation in respect of the relevant television channel; and
 - (b) ceases to uplink the signal of a television channel pursuant to an order of the Central Government regarding withdrawal, suspension, revocation or cancellation of the relevant authorisation.
- (3) The authorised entity may provide international turn-around satellite services to foreign television channels or entity, after obtaining registration on the portal and submission of fee specified in Schedule 3, for downlinking the signals of their television channels and further uplinking on the other satellite:
- Provided that authorised entity shall not distribute such signals in India unless the television channel has been authorised for distribution in India.
- (4) In case of non-compliance with the obligations under this rule, the Central Government may, without prejudice to its rights or any other remedy, including those under Chapter 7 on adjudication and appeals, encash or appropriate the performance bank guarantee submitted by the authorised entity.

38. Financial Conditions.

- (1) The annual authorisation fee for the first year shall be paid after issuance of letter of intent under sub-rule (4) of rule 12, within sixty days of its issue.
- (2) An authorised entity shall make payment of an annual authorisation fee as specified in Schedule 3, at least thirty days prior to the due date for such payment.
- (3) The annual authorisation fee paid after due date shall attract late fee charges levied at simple interest rate of one per cent for each month of such non-payment.

Explanation: (1) Incomplete months shall be considered as one month for the purpose of calculation of late fee.

(2) For the purpose of this rule, the due date for succeeding year's annual authorisation fee shall be one year from the date of commencement of operation of the teleport and so on.

Part D: Private Radio Service

39. Operation and roll out.

- (1) Every authorised entity shall:
- (a) commence its operations within a period of twenty-four months from the date of assignment of spectrum and report the same to the Central Government, in such form and manner as may be specified, within fifteen days of such commencement; and
 - (b) ensure that its service is operational for the entire validity period of authorisation.
 - (c) ensure that its service is not closed down either continuously or intermittently for more than 180 days in any continuous period of 365 days for whatever reason.

- (d) provide private radio service as a free-to-air service and no charges shall be levied to access such broadcasting;
 - (e) broadcast programmes public interest announcements as may be required by the Central Government or concerned State Government for a maximum of one hour per day interspersed during the day;
 - (f) retain full editorial and operational control over its private radio service, at all times for the entire validity period of authorisation;
 - (g) ensure compliance with the Sports Broadcasting Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharati) Act, 2007 (11 of 2007), and all applicable guidelines and notifications issued thereunder; and
 - (h) ensure that at least twenty per cent of the total broadcast in a day comprises local content for the adequate promotion of such content.
- (2) The authorised entity shall fix or modify the '*Channel Identity*', which is the brand name of the private radio service, only after prior approval of the Central Government.
- (3) The authorised entity shall not re-transmit the signals of radio channel of another authorised entity.
- (4) The restriction under sub-rule (3) shall not apply to re-transmission of signals of radio channel of another authorised entity that is a subsidiary company, holding company, companies with the same management, or companies having more than one inter-connected undertaking.
- (5) The authorised entity shall not provide the following services:
- (a) transmission of messages relating to news except unaltered news of *Akashwani* under rule 41; and
 - (b) services intended for individual users, including radio paging.
- (6) In case of non-compliance with the obligations under clause (a) of sub-rule (1), the Central Government may, without prejudice to its rights or any other remedy, including those under Chapter 7 on adjudication and appeals, encash or appropriate the security deposit submitted by the authorised entity.
- (7) The authorised entity shall co-locate its transmission facility in geographical areas where the broadcasting infrastructure of *Prasar Bharati* is available.

40. Financial conditions.

The authorised entity shall pay an annual authorisation fee as specified in Schedule 3, in advance on quarterly basis in four equal instalments during each financial year commencing from the first of April, in the following manner:

- (a) the quarterly instalment in respect of each quarter of a financial year shall be paid within fifteen days of commencement of that quarter, calculated on the basis of the adjusted gross revenue of the last financial year for which revenue has been determined.
- (b) The first year's fee shall become payable with effect from the date of commencement of operation of the service or the expiry of the period prescribed in clause (a) of sub-rule (1) of rule 39, whichever is earlier;
- (c) The authorised entity shall be required to initially pay advance quarterly installments calculated on the basis of the two-point five percent of non-refundable one-time entry fee or one point two five per cent of non-refundable one-time entry fee, as applicable and determined in an auction, till the end of the financial year and even beyond till the determination of the adjusted gross revenue for the first year;
- (d) After the determination of adjusted gross revenue for the first year, the quarterly installments will be determined on the basis of adjusted gross revenue of last year, for which adjusted gross revenue has been determined;
- (e) Once the annual authorisation fee for the financial year is determined on the basis of actual adjusted gross revenue and is found to be higher than the specified percentage of non-refundable one-time entry fee, the authorised entity shall pay the balance in one lump sum within a period of thirty days from the date of such determination, and in any case not later than thirtieth of September of the following financial year;
- (f) From the second year onwards, the authorised entity shall pay advance authorisation fee on the basis of the last year for which adjusted gross revenue has been determined, within fifteen days of each quarter, and balance due of final annual authorisation fee, if any, by thirtieth September of the following financial year.
- (g) From the first year, any delay on the part of authorised entity to pay quarterly fee, or the balance due of the final authorisation fee, determined on the adjusted gross revenue figure, will attract simple interest one per cent per month for the period of such delay.

- (h) The delay for the quarterly fee shall be counted from the first date of each quarter if the quarterly fee is not paid within the first fifteen days;
- (i) The delay for the balance due of the first authorisation fee shall be counted from first October of the following year; and
- (j) At the end of each financial year, the authorised entity shall submit a statement of adjusted gross revenue as part of its final accounts, in such form and manner as the Central Government may specify.

41. News and current affairs programmes.

- (1) The authorised entity may, on such terms and conditions as may be mutually agreed with Prasar Bharati, broadcast the unaltered news bulletins of *Akashvani*.
- (2) The following categories of broadcast shall be categorised as non-news and may be undertaken by authorised entities:
 - (a) Information relating to sporting events of local nature, including live coverage of the same;
 - (b) Information relating to traffic and weather;
 - (c) Information relating to cultural events and festivals;
 - (d) Information relating to examinations, results, admissions and career counselling;
 - (e) Information relating to employment opportunities;
 - (f) Information relating to civic amenities including announcements on supply of electricity and water, natural calamities and health alerts, as may be specified by the Central Government or State Government, from time to time; and
 - (g) Information relating to such other categories as the Central Government may specify.

42. Reporting requirement in respect of private radio service.

The authorised entity shall furnish, at periodic intervals as may be required by the Central Government, such documents, reports, estimates, returns including annual accounts, details of company's share holding patterns or details of services being provided by it.

Part E: Community Radio Service

43. Operation and roll out.

- (1) Every authorised entity shall:
 - (a) commence its operations within a period of one year from the date of assignment of spectrum and report the same to the Central Government, in such form and manner as may be specified, within fifteen days of such commencement;
 - (b) ensure that its community radio service is operational for a minimum duration of two hours per day for the entire validity period of authorisation;
 - (c) provide community radio service as a free-to-air service and no charges shall be levied to access such broadcasting;
 - (d) comply with the specifications in respect of transmitter power, as may be specified by the Central Government, from time to time;
 - (e) not broadcast sponsored programmes, except such programmes in public interest sponsored by the Central Government or State Governments or other organisations; and
 - (f) prominently mention the word "community radio" in its channel identity.
- (2) Every authorised entity shall, in such form and manner and along with such supporting documents as the Central Government may specify, intimate the change in governing body members or trustee, as the case may be, for obtaining security clearance.
- (3) If security clearance is denied in respect of any member of the governing body or trustee, as the case may be, the authorised entity shall forthwith remove such person from the governing body.
- (4) The authorised entity may broadcast advertising and announcements relating to local events, businesses, services and employment opportunities, for a maximum duration of twelve minutes per hour of broadcast.

- (5) In case of non-compliance with the obligations under clause (a) of sub-rule (1), the Central Government may, without prejudice to its rights or any other remedy, including those under Chapter 7 on adjudication and appeals, encash or appropriate the performance bank guarantee submitted by the authorised entity.

44. Messages in respect of community radio service.

(1) Every authorised entity shall:

- (a) establish an Advisory and Content Committee comprising members of the local community, fifty per cent of which shall be women, for advice on the nature of messages to be broadcast on its community radio;
- (b) ensure that the messages broadcast on its community radio are of immediate relevance to the local community, covering topics relating to agriculture, health, education, environment, social welfare, culture and development;
- (c) not broadcast any programme related to the news, except for unaltered news bulletins of Akashwani, which may be translated into a local language or dialect, where necessary; and
- (d) ensure that the news bulletins of Akashwani referred to under clause © is not distorted or edited during such translation.

(2) The following categories of broadcast shall be categorised as non-news and may be undertaken by authorised entities:

- (a) Information relating to sporting events of local nature, including live coverage of the same;
- (b) Information relating to traffic and weather;
- (c) Information relating to cultural events and festivals of a local nature;
- (d) Information relating to examinations, results, admissions and career counselling;
- (e) Information relating to employment opportunities;
- (f) Information relating to civic amenities including announcements on supply of electricity and water, natural calamities and health alerts, as may be specified by the Central Government or State Government, from time to time; and
- (g) Information relating to such other categories as the Central Government may specify.

45. Reporting requirement in respect of community radio service.

The authorised entity shall furnish, at periodic intervals as may be required by the Central Government, such documents, reports, estimates, returns including annual accounts or details of community radio service provided by it.

CHAPTER 6: TRANSFER OF AUTHORISATION

46. Definitions under this Chapter.

For the purposes of this Chapter:

- (1) “group company” in relation to a company means a company, which is under the same management or has the same promoters as the other company or over which that other company exercises significant influence or control and shall also include an associate company, subsidiary company, holding company or a joint venture company.
- (2) “significant influence” means control of at least twenty percent of the total paid up share capital or having right to appoint at least one third of the board of directors by way of agreement or otherwise.
- (3) “lock-in period” means, in relation to:
 - (a) private radio services, a period of three years from the date of commencement of operation of each radio service governed by the authorisation; and
 - (b) television channels and teleports, a period of one year from the date of commencement of operation of the television channel or teleport, as the case may be;
- (4) “tribunal” shall have the same meaning as is assigned to in section 2(90) of the Companies Act, 2013.

47. Transfer of authorisation.

- (1) A television channel, teleport, or a private radio service may be transferred, after lock-in period, by an authorised entity to another entity only with the prior approval of the Central Government.

- (2) Any transfer under sub-rule (1) shall be permitted only under the following situations:
- (a) merger or demerger or amalgamation is duly approved by the court or tribunal in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 or the Limited Liability Partnership Act, 2008, and the authorised entity files a copy of the order of the court or tribunal sanctioning the said scheme;
 - (b) transfer of business or undertaking in accordance with the provisions of applicable law, and the authorised entity files a copy of the agreement arrangement executed between itself and the transferee entity;
 - (c) transfer within group company, and the company files an undertaking stating that the transfer is within the group companies.
- (3) The transfer of television channel, teleport or private radio service, as the case may be, shall be subject to the following additional conditions: -
- (a) the new entity is eligible as per the eligibility criteria under these rules, including the net worth requirement and the entity together with its key managerial personnel are security cleared; and
 - (b) the new entity undertakes to comply with all the terms and conditions of authorisation so granted.
- (4) The authorisation for television channel distribution services shall not be transferable, without prior approval of the Government.
- (5) The authorisation for news agencies for television and community radio services shall not be transferable.

CHAPTER 7: ADJUDICATION AND APPEALS

48. Breach of terms and conditions.

- (1) The breach of the terms and conditions of authorisation by an authorised entity shall be considered as a breach of section 32 of the Act, and its adjudication and any appeal from such adjudication shall be governed by this Chapter.
- (2) The categorisation of civil penalties, pursuant to the adjudicatory process, for breach of terms and conditions of authorisation, having regard to the factors listed under sub-section (3) of section 32 of the Act shall be as specified in Schedule 4.

49. Adjudicating Officer.

The Central Government may, by an order published in the Official Gazette:

- (a) appoint any officer of the Central Government not below the rank of Joint Secretary as one or more Adjudicating Officers for holding an inquiry under Chapter VIII of the Act; and
- (b) if more than one Adjudicating Officers are appointed, specify the matters and places with respect to which such officers shall exercise their jurisdiction.

50. Designated Appeals Committee.

The Central Government may, by an order published in the Official Gazette:

- (a) appoint officers of the Central Government not below the rank of Additional Secretary as members of one or more Designated Appeals Committee to which an appeal may be preferred against an order made by the Adjudicating Officer; and
- (b) if there is more than one Designated Appeals Committee, specify the matters and places with respect to which such committees shall exercise their jurisdiction.

51. Inquiry by Adjudicating Officer.

- (1) The Adjudicating Officer may, for the purpose of adjudicating any breach of terms and conditions of authorisation by any person under section 32 of the Act, issue notice to such person, specifying the alleged breach and applicable provisions of the Act and rules made thereunder, and require him to show cause, within such period as may be specified therein, as to why an inquiry should not be held against him.
- (2) The Adjudicating Officer may, for the purpose of adjudicating any contravention by any person under section 33 of the Act, either, *suo motu*, or upon a *prima facie* assessment of a complaint, issue notice to such person, specifying the alleged contravention and applicable provisions of the Act and rules made thereunder, and require him to show cause, within such period as may be specified therein, as to why an inquiry should not be held against him.

- (3) The complaint referred under sub-rule (2) shall be made in such form and manner as the Central Government may specify, accompanied by fees of five thousand rupees, identity proof of the complainant issued by the Central Government or State Government, and relevant documents or records or any other evidence in support of the alleged contravention:

Provided that any complaint filed without the fees as specified herein or the requisite identity proof of the complainant or supporting documents or records or evidence of the alleged contravention, shall not be considered by the Adjudicating Officer.

- (4) The person to whom a notice under sub-rules (1) or (2) is issued shall, within the period specified in such notice, submit a written response to the Adjudicating Officer or seek an extension of such period with reasons thereof:

Provided that the Adjudicating Officer may, after considering the written request for extension, extend the time for submission of response by a period not exceeding fifteen days.

- (5) The Adjudicating Officer shall, on assessment of the evidence and written response, if any, from the person to whom notice is issued under sub-rules (1) or (2), determines that there are insufficient grounds to proceed with an inquiry under sections 32 or 33 of the Act, such officer may, with reasons to be recorded in writing, close the proceedings.
- (6) If the Adjudicating Officer, on assessment of the evidence and written response, if any, from the person to whom notice is issued under sub-rules (1) or (2), determines that there are sufficient grounds to proceed with inquiry under sections 32 or 33 of the Act, such officer may issue a notice to the person alleged to have committed the breach or contravention, specifying the date for hearing such person.
- (7) On the date fixed for hearing under sub-rule (6) or any other day to which such hearing may be adjourned, such person shall, either by itself or through its authorised representative, present its case and produce documents and evidence relevant to the subject matter of the inquiry.
- (8) Any inquiry by the Adjudicating Officer shall be dealt with by him as expeditiously as possible and endeavour shall be made by him to conclude the inquiry and pass an order within six months from the date of issuance of notice under sub-rule (6):

Provided that where an order could not be passed within the period specified in sub-rule (8), the Adjudicating Officer shall record, in writing, the reasons for not passing such order within that period.

52. Orders of Adjudicating Officer.

- (1) On completion of the inquiry and after giving the person concerned an opportunity of being heard, the Adjudicating Officer shall, for reasons to be recorded in writing, pass an order under clause (a) of sub-section (1) of section 32 or sub-section (1) of section 33 of the Act:

Provided that where the person to whom the notice for hearing is issued, fails to appear for the hearing, the Adjudicating Officer may pass an order *ex parte*.

- (2) Every order made by the Adjudicating Officer shall also consider the voluntary undertaking, if any, submitted under sub-section (4) of section 34 of the Act.

53. Non-compliance with voluntary undertaking.

- (1) If an Adjudicating Officer has reasonable grounds to believe that an authorised entity has failed to comply with the terms and conditions of a voluntary undertaking accepted under section 34 of the Act, he shall issue a notice to such authorised entity, specifying the alleged non-compliance and provide an opportunity to such entity to show cause as to why civil penalties under sub-section (8) of section 34 of the Act should not be imposed.
- (2) The authorised entity shall respond to a notice under sub-rule (1), within such period as may be specified therein.
- (3) If the Adjudicating Officer, based on his assessment of the facts and response submitted under sub-rule (2), if any, finds non-compliance with the voluntary undertaking, he shall pass an order with reasons to be recorded in writing, which may impose civil penalties specified under the Second Schedule or the Third Schedule to the Act, as applicable.

54. Appeal to Designated Appeals Committee.

- (1) Any person aggrieved by an order of the Adjudicating Officer under rules 52 or 53, may prefer an appeal in such form and manner as the Central Government may specify, accompanied by a fee of ten thousand rupees, within a period of thirty days from the date of receipt of such order, along with a copy of the order against which the appeal is preferred.

- (2) On receipt of an appeal under sub-rule (1), the Designated Appeals Committee may, after giving the parties to the appeal, an opportunity of being heard, pass such orders as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against.
- (3) The Designated Appeals Committee shall deal with appeals filed before it as expeditiously as possible and endeavour to dispose of the appeal within six months from the date of filing of such appeal:

Provided that where any appeal could not be disposed of within the period specified under sub-rule (3), the Designated Appeals Committee shall record, in writing, the reasons for not disposing of such appeal within that period.

55. Proceedings before Adjudicating Officer and Designated Appeals Committee

The Adjudicating Officer and the Designated Appeals Committee are vested with the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 including:

- (a) the power to summon and enforce the attendance of any person and examining such person on oath;
- (b) requiring the discovery and production of documents;
- (c) receiving evidence on affidavit;
- (d) inspecting any data, book, document, register, books of account or any other document;
- (e) requisitioning any public record or copies thereof from any court or office;
- (f) issuing interim orders; and
- (g) imposing costs having regard to the facts and circumstances of the case.

56. Service of notices and publication of orders.

- (1) A notice issued under these rules shall be served on any person in any of the following manner, namely:
 - (a) by delivering or tendering the notice to that person or his duly authorised representative through email correspondence; or
 - (b) by sending the notice by registered post with acknowledgment due to the address of his place of residence, or his last known place of residence, or the place where he carried on or last carried on business or personally works or last worked for gain; or
 - (c) by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which the person resides, or is known to have last resided, or carried on business or personally works or last worked for gain and that written report thereof shall be witnessed by two persons; or
 - (d) if the notice cannot be served under clauses (a), (b) or (c), by publishing in a leading newspaper, both in vernacular and in English, having wide circulation of area or jurisdiction in which the person resides, or is known to have last resided or carried on business or personally works or last worked for gain; and
 - (e) by publishing electronically on the portal.
- (2) Any order issued by an Adjudicating Officer or by the Designated Appeals Committee, shall state the reasons therefor, be digitally signed, and be published as specified in clause © of sub-rule (1).

57. Recovery of dues.

Without prejudice to other modes of recovery, any amount due under these rules shall, if not paid, be recovered as an arrear of land revenue.

CHAPTER 8: MISCELLANEOUS**58. Surrender of authorisation.**

- (1) An authorised entity seeking to surrender an authorisation granted under these rules shall submit an application, in such form and manner as the Central Government may specify, at least sixty days prior to the proposed date of surrender.
- (2) The authorised entity shall:
 - (a) along with the application for surrender under sub-rule (1), submit proof of payment of all pending amounts, including fees, which are due and payable under the Act and these rules, as on the date of making such application; and
 - (b) provide advance notice of such surrender, at least sixty days prior to the proposed date of surrender, to all concerned and affected parties, including to users of the broadcasting service and any other authorised entity being provided with broadcasting services, broadcasting network, or broadcasting equipment, by such authorised entity.
- (3) The Central Government shall either accept or reject the application under sub-rule (1), and any such rejection shall be accompanied by reasons to be recorded in writing.
- (4) Upon acceptance of the application for surrender under sub-rule (3), the Central Government shall return the security deposit, subject to adjustment of outstanding dues, if any.
- (5) The details relating to surrender of an authorisation by the authorised entity shall be made available on the portal by the Central Government and the same shall be made public by such authorised entity, within forty-eight hours of being made available on the portal.

59. Actions on recommendations under section 32 of the Act.

- (1) Pursuant to recommendations under clause (b) of sub-section (1) of section 32 of the Act, the Central Government may, subject to providing an opportunity of hearing to the relevant authorised entity, pass an order of suspension, revocation or curtailment of an authorisation under sub-section (2) of section 32 of the Act.
- (2) Any such order passed under sub-rule (1) shall be published by the Central Government on the portal and be effective from the sixty-first day from the date of such order.
- (3) The authorised entity shall, within forty-eight hours of the order, make public and give notice of at least thirty days to all its users, as well as to other authorised entities to which broadcasting services or networks are being provided under these rules.
- (4) The authorised entity shall not be entitled to refund of any fees or charges paid in respect of, or under an authorisation, if such authorisation is suspended, curtailed or revoked, except for security deposit, which shall be returned subject to adjustment of outstanding dues, if any:

Provided that no authorisation fee shall be payable for the period for which the authorisation remains suspended in whole.
- (5) The Central Government may reverse the suspension, curtailment or revocation of authorisation under sub-section (2) of section 32 of the Act, if the substantial violation is remedied by the authorised entity, to the satisfaction of the Central Government.
- (6) Any suspension of authorisation under the Act shall not be a cause or ground for extension of the validity period the authorisation.

60. Revocation of authorisation.

- (1) The Central Government may, without prejudice to any other remedy available to it, by an order, revoke an authorisation in the following manner, namely: —
 - (a) If, at any stage, it is found that any of the representations, submissions or documents that had been provided by an authorised entity during the processing of an application, were false; or
 - (b) If an authorised entity is directed to be placed into liquidation or is ordered to be wound up.
- (2) The Central Government shall, upon occurrence of a circumstance stipulated in clause (a) of sub-rule (1), issue a show cause notice regarding revocation, specifying a period of up to twenty-one days to reply to the same.

- (3) The Central Government may, after due consideration of the reply to the show cause notice issued under sub-rule (2), if any, and the material on record, by order, revoke the authorisation of such entity.
- (4) Any order of revocation of an authorisation issued—
- under sub-rule (3); or
 - in respect of the circumstance under clause (b) of sub-rule (1),
- shall be published by the Central Government on the portal and be effective from the sixty-first day from the date of such order.

61. Provision of broadcasting services through Prasar Bharati.

- (1) The following bodies seeking to provide broadcasting services shall do so only through *Prasar Bharati*, except in the case of community radio service, which may be provided after obtaining authorisation from the Central Government: -
- the Central Government;
 - the State Government;
 - local authority; or
 - any authority, body, company or institution incorporated or established by the bodies specified under clauses (a) to (c) or under any statute.

62. Powers of Central Government.

- (1) The Central Government may, for the purposes of giving effect to these rules, issue directions or guidelines not inconsistent with the Act or these rules.
- (2) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, amend the Schedules to these rules.

SCHEDULE 1

(See rules 3(3) and 31(2))

The entities exempt from the requirement of authorisation under these rules are as follows:

- Parliament of India; and
- Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), established under the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990).

SCHEDULE 2

(See rules 5(2), 6(4), 7(1) and 9(2))

MINIMUM NET WORTH REQUIREMENT

Sl. No.	Type of authorisation	Net-worth requirement (In ₹ Crore)
1.	Television channel	
	(a) For the first non-news channel	5
	(b) For each additional non-news channel	2.5
	(c) For the first news channel	20
	(d) For each additional news channel	5
2.	Television channel distribution service	
	(a) Direct-to-home service	10
	(b) Head-end in the sky service	10

Sl. No.	Type of authorisation	Net-worth requirement (In ₹ Crore)
3.	Teleport	
	(a) For the first teleport	3
	(b) For each additional teleport	1
4.	News agency for television	Nil
5.	Private Radio service (net worth required for one region)	
	(a) A+ and A category cities comprising of population above 20 lakhs	3
	(b) 'B' category cities comprising of population between 10 lakhs and 20 lakhs	2
	(c) 'C' category city comprising of population between 3 lakhs and 10 lakhs	1
	(d) 'D' category city comprising of population between 1 lakh and 3 lakh and cities with population up to 1 lakh	0.50
	(e) All categories of cities in all regions	10
6.	Community radio service	Nil

Explanation:

In respect of Sl. No. 5 above, the following shall apply:

(1) "region" shall comprise the following:

- North Region, comprising the States of Punjab, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttarakhand, and the Union Territories of Jammu & Kashmir, Ladakh, Delhi, Chandigarh;
- East Region, comprising the States of Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Jharkhand, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Sikkim, Tripura, West Bengal, and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands;
- South Region, comprising the States of Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Keralam, Tamil Nadu, and the Union Territories of Puducherry, Lakshadweep; and
- West Region, comprising the States of Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, and the Union Territories of Daman and Diu, and Dadra and Nagar Haveli.

(2) For two or more cities within the same region, the net worth corresponding to the highest category of city in that region shall be required. For two or more cities located in two or more distinct regions, the net worth requirement shall be the sum of the required net worth of the highest category of cities in each region. However, maximum net worth required shall not exceed rupees ten crore.

Illustration: -

Sl.	Regions	Cities	Net worth required
1	Single region	The two cities comprising 'A+' Category and 'C' category	Net worth requirement shall be ₹ 3 crore corresponding to A+ city.
2	Two distinct regions	(a) 'B' category and 'C' category cities in 1 st region; (b) 'C' category city in 2 nd region	Net worth requirement shall be sum of net worth required for 'B', and 'C' category cities i.e. ₹ 2 crore + ₹ 1 crore = ₹ 3 crore.
3	Three distinct regions	(a) 'A' category and 'B' category cities in 1 st region (b) 'B' Category, 'C' category and 'D' category cities in 2 nd region (c) Two 'C' category cities	Net worth requirement shall be sum of net worth required for 'A', 'B', and 'C' category cities i.e. ₹ 3 crore + ₹ 2 crore + ₹ 1 crore = ₹ 6 crore.
4	Four distinct regions	(a) 'A' category city in 1 st region; (b) 'A+' category city in 2 nd region; (c) 'B' category city in 3 rd region; (d) 'A' category city in 4 th region;	Net worth shall be ₹ 3 crore + ₹ 3 crore + ₹ 2 crore + ₹ 3 crore = Rs 11 crore; However, due to ceiling of ₹ 10 crore, net worth requirement shall be ₹ 10 crore.

SCHEDULE 3

(See rules 11(1), 12(4), 14(1), 20(1), 20(2), 24(2), 24(7), 27(1), 28(1), 29(2), 33(1), 35(1), 38(2) and 40)

FEES**A. Television channel**

Sl. No.	Particulars	Applicable Fees	
1.	Application processing fee (non-refundable)	(a) For new authorisation, or renewal thereof, or change in category, or medium of transmission of a television channel: ₹ 10,000/-. (b) For change of teleport for a television channel: ₹ 10,000/- (c) For migration: Nil	
2.	Performance bank guarantee	₹ 2,00,00,000/- per news channel, for a period of two years from the effective date of authorisation, which shall be refunded to the authorised entity upon commencement of operation of the channel as specified in the scope of its authorisation. ₹ 1,00,00,000/- per non-news channel, for a period of two years from the effective date of authorisation, which shall be refunded to the authorised entity upon commencement of operation of the channel as specified in the scope of its authorisation.	
3.	Annual authorisation fee	Television channel broadcasting through terrestrial transmission medium	₹ 7,00,000/- per television channel
		Uplinking of television channel	₹ 2,00,000/- per television channel
		Downlinking of television channel	Uplinked from India: ₹ 5,00,000/- per television channel
			Uplinked from outside India: ₹ 15,00,000/- per television channel
4.	Registration fee (one-time) in respect of a television channel not originating from the territory of India	₹ 10,00,000/-, in addition to the annual authorisation fee.	
5.	Security deposit	Two times the amount specified in respect of annual authorisation fee, for the corresponding activity undertaken, to be maintained, in such manner as the Central Government may specify, for the entire validity period of authorisation.	
6.	Other fees	(a) For change in name and logo of a television channel: ₹ 1,00,000/- (b) For live broadcast of an event by non-news channel: ○ national channel: ₹ 1,00,000/- per television channel per day; ○ regional channel: ₹ 50,000/- per television channel per day; ○ devotional channel: no fee	

Explanation: For the purposes of this Schedule:

- (a) “national channel” shall mean a television channel other than a regional channel;
- (b) “regional channel” shall mean a television channel which broadcasts in an Indian language, other than English or Hindi; and
- (c) “devotional channel” shall mean any non-news channel recognized by the Central Government, based on an assessment of whether such channel predominantly broadcasts devotional, spiritual, or yoga-related content.

B. Direct-to-Home Service

Sl. No.	Particulars	Applicable Fees
1.	Application processing fee (non-refundable)	(a) For new authorisation, or renewal thereof ₹ 10,000/- (b) For migration: Nil
2.	Entry fee (non-refundable, one-time)	₹ 10,00,00,000/-
3.	Annual authorisation fee	8 percent of adjusted gross revenue or ten percent of entry fee, whichever is higher.
4.	Security deposit	₹ 5,00,00,000/- or the estimated authorisation Fee equivalent to two quarters and other dues not otherwise securitised, whichever is higher, maintained in the form of a bank guarantee, for the entire validity period of authorisation.

C. Head-end in the sky Service

Sl. No.	Particulars	Applicable Fees
1.	Application processing fee (non-refundable)	(a) For new authorisation, or renewal thereof: ₹ 10,000/- (b) For migration: Nil
2.	Entry fee (non-refundable, one-time)	₹ 10,00,00,000/-
3.	Performance bank guarantee	₹ 5,00,00,000/-, maintained for a period of two years from the effective date of authorisation, which shall be refunded to the authorised entity upon commencement of operation of the head-end in the sky service as specified in the scope of its authorisation.

D. Teleport

Sl. No.	Particulars	Applicable Fees
1.	Application processing fee (non-refundable)	(a) For new authorisation, or renewal thereof: ₹ 10,000/- (b) for international television turnaround service: ₹ 10,000/- per television channel (c) For migration: Nil
2.	Performance bank guarantee	₹ 25,00,000/- per teleport per satellite, for a period of two years from the effective date of authorisation, which shall be refunded to the authorised entity upon commencement of operation of the teleport as specified in the scope of its authorisation.
3.	Annual authorisation fee	₹ 2,00,000/- per teleport per satellite
4.	Security deposit	₹ 4,00,000/- per teleport per satellite, maintained in such manner as the Central Government may specify, for the entire validity period of authorisation.
5.	Fee for uplinking of live event by foreign television channel or entity	₹ 1,00,000/- per day

E. News Agency for Television

Sl. No.	Particulars	Applicable Fees
1.	Application processing fee (non-refundable)	(a) For new authorisation, or renewal thereof: ₹ 10,000/- (b) For migration: Nil

F. Private Radio Service

Sl. No.	Particulars	Applicable Fees
1.	Application processing fee (non-refundable)	For new authorisation: ₹ 50,000/-
2.	Non-refundable one-time entry fee	As determined in an auction conducted pursuant to a notice inviting application.
3.	Annual authorisation fee	(a) 4 percent of adjusted gross revenue except for cities in the following States and Union Territories: ▪ Jammu and Kashmir; ▪ Ladakh; ▪ Arunachal Pradesh; ▪ Assam; ▪ Manipur; ▪ Meghalaya; ▪ Mizoram; ▪ Nagaland; ▪ Sikkim; ▪ Tripura; ▪ Andaman and Nicobar Islands; and ▪ Lakshadweep (b) In respect of the cities in the States and Union Territories listed at (a) above, the annual authorisation fee shall be 2 percent of adjusted gross revenue, for an initial period of three years from the effective date of authorisation, and 4 percent of adjusted gross revenue, thereafter.
4.	Security deposit	(a) 2.5 percent of non-refundable one-time entry fee, maintained in such manner as the Central Government may specify, for a duration of one year from the effective date of authorisation except for cities in the following States and Union Territories: ▪ Jammu and Kashmir; ▪ Ladakh; ▪ Arunachal Pradesh; ▪ Assam; ▪ Manipur; ▪ Meghalaya; ▪ Mizoram; ▪ Nagaland; ▪ Sikkim;

Sl. No.	Particulars	Applicable Fees
		▪ Tripura; ▪ Andaman and Nicobar Islands; and Lakshadweep (b) 1.25 percent of non-refundable one-time entry fee, maintained in such manner as the Central Government may specify, for a duration of one year from the effective date of authorisation in respect of the cities in the States and Union Territories listed at (a) above. (c) For each year after one year from the effective date of authorisation, the amount equivalent to the annual authorisation fee for that year, maintained in such manner as the Central Government may specify.

G. Community Radio Service

Sl. No.	Particulars	Applicable Fees
1.	Application processing fee (non-refundable)	(a) For new authorisation, or renewal thereof: ₹ 2,500/- (b) For migration: Nil
2.	Performance bank guarantee	₹ 25,000/-, maintained for a period of two years from the effective date of authorisation, which shall be refunded to the authorised entity upon commencement of operation of the community radio service specified in the scope of its authorisation.

H. Other Fees

Sl. No.	Particulars	Applicable Fees
1.	Processing fee for purchase of DSNG (non-refundable)	₹ 10,000/- per DSNG
2.	Performance bank guarantee for purchase of DSNG	₹ 10,00,000/- maintained for a period of one year from the effective date of authorisation, which shall be refunded to the authorised entity upon commencement of operation of the DSNG.
3.	Registration fee for platform service (non-refundable, one-time)	₹ 10,000/- per platform service.

SCHEDULE 4
(See rules 48(2))

THE CATEGORISATION OF CIVIL PENALTIES FOR BREACH OF TERMS AND CONDITIONS OF
AUTHORISATION

Sl. No.	Breach of Terms and Conditions	Categorisation for civil penalty		
		1 st time	2 nd time	3 rd time or more
1	Delay in intimation of any change in shareholding, partnership, or foreign direct investment (refer rule 22(1)(a))	Non-severe	Minor	Moderate
2.	Appointment of key managerial personnel without prior approval (refer rule 19(2))	Non-severe	Minor	Moderate
3	Non-removal of key managerial personnel who has been denied security clearance (refer rule 19(1))	Minor	Moderate	Major
4	Displaying the name and logo on the television channel, not specified in authorisation of that television channel (refer rule 26(1)(d))	Minor	Moderate	Major
5	In respect of television channel, for being non-operational for more than sixty (but less than ninety days), without intimation (refer rule 26(3))	Non-severe	Minor	Moderate
6	Telecast of a Live event by a non-news channel without registration. (refer rule 24(6)(a))	Non-severe	Minor	Moderate
7	Use of DSNG, for uplinking a Live event of foreign channel or entity, without registration by the authorised entity. (refer rule 24(6)(b))	Non-severe	Minor	Moderate
8	Unauthorized use of DSNG terminal beyond the scope of its approval (refer rule 24(4))	Minor	Moderate	Major
9	Uplinking of a non-authorised or suspended or cancelled television channel by a Teleport Operator (refer rule 37(2)(a))	Minor	Moderate	Major
10	Provisioning of international turn around satellite services to foreign television channels or entity, without obtaining registration (refer rule 37(3))	Minor	Moderate	Major
11	Carrying or including in its direct-to-home or head-end in the sky or internet protocol service any television channel that has not been authorised by the Central Government. (refer rule 31(1)(c) and 32(2))	Minor	Moderate	Major
12	Transfer of an authorisation for a television channel, teleport or private radio service without prior approval (refer rule 47(1))	Minor	Moderate	Major
13	Offering platform services without registration. (refer rule 33(1))	Non-severe	Minor	Moderate
14	Offering more than the prescribed number of platform services. (refer rule 33(2))	Non-severe	Minor	Moderate
15	Fixing or modifying 'channel identity' of private radio service without approval (refer rule 39(2))	Minor	Moderate	Major
16	Non-submission of annual accounts or Statement of gross revenue (refer rule 35 and rule 40)	Non-Severe	Minor	Major

[F. No. 2/1/2025-BP&L]

PRABHAT, Addl. Secy.